लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 42, गुरुवार, 17 अप्रैल, 1969/27 चैत्र, 1891 (शक)

No. 42, Thursday April 17, 1969/Chaitra 27, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1141. तेलगु समाचारपत्र को रूसी सहायता	Russian Assistance to a Telugu Paper ..	1—8
1142. राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास की योजनायें	Schemes of Development of Telephone Exchanges in Rajasthan	8—10
1146. ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन	Minimum Wage for Rural Labourers ..	10—15
1148. अरब सागर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea Fishing in Arabian Sea ..	15—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1144. आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र से सिंधी भाषा के कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of Sindhi Programme from A.I.R. Bombay ..	17—18
1145. सीमावर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों में संचार साधन	Means of Communication in Border and Backward Areas ..	18
1147. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के नये कार्डों का जारी किया जाना	Issue of new milk cards by Delhi Milk Scheme ..	18—19
1149. चावल का उत्पादन	Production of Rice ..	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1150. गुजरात से मछली का निर्यात	Export of Fish from Gujarat ..	19—20
1151. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	National Seed Corporation Ltd. ..	20
1152. उत्तर प्रदेश के अध्यापकों द्वारा भेजे गये तारों का रोका जाना	Withholding of Telegrams sent by Teachers in U. P. ..	21
1153. दिल्ली में टेलीफोन सेवा	Telephone Service in Delhi ..	21
1154. कृषि उद्योग निगम	Agro-Industrial Corporations ..	21—23
1155. कुछ फर्मों के कर्मचारियों को सुविधाओं का दिया जाना	Grant of Facilities to the Workers of certain Firms ..	23
1156. फिल्म परिषद का गठन	Constitution of a Film Council ..	23—24
1157. फालतू पुर्जे न मिलने के कारण बेकार ट्रैक्टर	Tractors lying idle for want of Spare Parts..	24—25
1158. पटसन की खेती	Cultivation of Jute ..	25—26
1159. कम्पोस्ट खाद बनाने का कारखाना	Compost Plant for Fertilizers	26—27
1160. राजस्थान में खाद्यान्न उगाने वाले क्षेत्र में कमी होना	Decrease of Crop area in Rajasthan	28
1161. भारत में मत्स्य पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	U. N. Development Programme for Fisheries in India ..	29—30
1162. राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में बाजरे की बजाय ज्वार की सप्लाई	Supply of Jowar instead of Bajra in Famine Areas of Rajasthan ..	30—31
1163. कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का विनियोजन	Investment of Employees' Provident Fund Money ..	31
1164. पश्चिम बंगाल में चने की बिक्री	Sale of Grams in West Bengal ..	32
1165. बीड़ी कर्मचारियों की मजूरी	Wages of Beedi Workers ..	32—33
1166. भारत सेवक समाज के मामलों की जांच	Enquiry into the Affairs of Bharat Sewak Samaj ..	33

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1167. केरल में मोपला खाड़ी मछली पकड़ने का बन्दरगाह	Mopla Bay Fishing Harbour in Kerala ..	34
1168. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अग्रिम परियोजनायें	Pilot Projects in Drought affected areas ..	34—36
1169. ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors ..	36—37
1170. दूर संचार के लिए सभी प्रकार के केबलों की आवश्यकता	Requirement of all Varieties of Cable for Telecommunications ..	37—38
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6625. आयोगों आदि के प्रतिवेदन	Reports of Commissions etc. ..	38
6626. वनस्पति में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati ..	38—39
6627. एगमार्क घी में मिलावट	Adulteration in AGMARK Ghee ..	39—40
6628. कृषि उपज के लिए टेलीविजन की योजना	Television Project for Agricultural Produce ..	40—42
6629. खाद्यानों की चोरी	Theft of Foodgrains ..	42
6630. मध्य प्रदेश में श्रमिकों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Workers in Madhya Pradesh ..	42—43
6631. मध्य प्रदेश में बदली मजूदर प्रणाली	Badli Workers System in Madya Pradesh ..	43
6632. मध्य प्रदेश में मजदूरों की छंटनी	Retrenchment of Workers in Madhya Pradesh ..	43—44
6633. राजमन्ड्री (आंध्र प्रदेश) में भान्डागार	Warehouses at Rajahmundry (Andhra Pradesh) ..	44
6634. चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश के लिये अधिक पैदावार वाली किस्मों का कार्यक्रम	High Yielding varieties programme for Madhya Pradesh during Fourth Plan ..	44
6635. त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of refugees in Tripura ..	45—46
6636. त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति कृषि उपज	Per capita Agricultural production in Tripura ..	46

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6637. रेलवे डाक सेवा दिल्ली में कुलियों की भर्ती	Recruitment of porters in R.M.S. Delhi ..	47
6638. बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक नलकूप	Exploratory Tubewells in Uttar Pradesh and Bihar ..	47—48
6639. चौथी योजना के दौरान शीतागार (कोल्ड स्टोरेज)	Cold Storage during Fourth Plan ..	48—49
6640. कलकत्ता में अतिशक्तिशाली (सुपर पावर) ट्रांसमिटर	Super Power Transmitter, Calcutta	49
6641. सीमा सम्बन्धी प्रचार दल का प्रतिवेदन	Border Publicity Report	49
6642. दूसरे विश्वयुद्ध की शरणार्थी समस्याओं को दिखाने वाले फोटोग्राफ	Photograph Depicting Refugees Problems of Second War ..	50
6643. खाद्य तथा कृषि संगठन का वन-सम्पत्ति सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Forest Wealth Survey Report of Food and Agriculture Organisation ..	50
6644. फसल का उत्पादन	Crop Production ..	51
6645. फार्म और नियम पुस्तिकाओं का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Forms and Manuals into Hindi	52
6646. उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में टेलीफोन एक्सचेंजों और टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	Number of Telephone Exchanges and Connections in Faizabad Division of U. P.	52
6647. किसानों के आदान-प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम	Farmers' Exchange Programme ..	53
6648. औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings ..	53—54
6649. भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of land ..	54
6650. मैसूर में चावल तथा ज्वार की वसूली	Procurement of Rice and Jowar in Mysore ..	54
6651. गुजरात में चीनी का उत्पादन	Sugar Production in Gujarat ..	55
6652. गुजरात में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Gujarat ..	55—56
6654. उड़ीसा के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for Orissa ..	56

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6655. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बेतार संचार केन्द्र	Wireless Communication Stations in Andaman and Nicobar Islands ..	56—57
6656. श्रमिकों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण	Vocational Training for Labour	57—58
6657. संगणकों द्वारा नियंत्रित टेली-फोन केन्द्रों की स्थापना	Installation of Computer Controlled Telephone Exchange ..	58
6658. समाचार बुलेटिनों के प्रसारण के समय में परिवर्तन	Change in news timings ..	58—59
6659. दिल्ली में राशनों की दुकानों का उचित मूल्य की दूकानों में परिवर्तन	Conversion of Rationing Depots in Delhi into Fair Price Shops ..	59
6660. राजस्थान के अकाल पीड़ित अनुसूचित जातियों तथा अनु-सूचित आदिम जातियों के परिवारों को सहायता	Relief to Rajasthan Scheduled Caste/Tribes families affected by Famine ..	59—60
6661. राजस्थान में सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialling facility in Rajasthan ..	60
6662. जयपुर (राजस्थान) में सेना के लिये पृथक टेलीफोन केन्द्र	Separate Exchange for forces in Jaipur (Rajasthan) ..	60—61
6663. तारातला, कलकत्ते में संग-णक मशीनों का लगाया जाना	Installation of Computer Machine at Taratala, Calcutta ..	61
6664. कर्मचारी भविष्यनिधि की बकाया राशि	Arrears of Employee's provident Fund ..	61
6665. कुछ कोयला खानों पर कर्म-चारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees provident Fund due from certain collieries ..	61—62
6666. अनाज की कीमतें	Prices of foodgrains ..	62
6667. सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई हिन्दी फिल्में	Hindi films passed by Board of Film Censors ..	62—63
6668. गोरक्षा आन्दोलन	Goraksha Agitation ..	63
6669. मद्रास पत्तन में हड़ताल	Strike in Madras Port ..	63—64

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6670. आयातित अनाज की किस्म	Quality of imported foodgrains ..	64—65
6671. मधुबनी सब डिवीजन में शाखा-डाक घर का खोला जाना	Branch post offices opened in Madhubani sub-division ..	65
6672. पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए नलकूप लगाना	Sinking of tubewells in West Bengal for irrigation purposes ..	65—66
6673. रेडियो स्टेशनों का प्रयोग करने वाले मंत्रालयों के लिए प्रसारण सम्बन्धी संहिता	Broadcasting Code for Ministers using Radio Stations	66
6674. आसनसोल उपमंडल में पेय जल की व्यवस्था	Supply of drinking water in Asansol sub-division ..	66—67
6675. भारतीय सैनिक डाक सेवा के व्यक्तियों की सिविल पदों पर नियुक्ति	Appointment of Indian Army Postal Services persons in civil posts ..	67
6676. विजिन्जाम में मछली पकड़ने की बन्दरगाह	Fishing Harbour at Vizhinjam ..	67—68
6677. कोचीन पत्तन क्षेत्र में मछली पकड़ने की सुविधा वाली बन्दरगाह	Fishing Harbour facilities in Cochin port area ..	68—69
6678. राजस्थान में नदौती में भूमिगत पानी का सर्वेक्षण	Survey of underground water in Nadonti in Rajasthan ..	69
6679. पंचायती राज संस्थान संबंधी समिति	Committee on Panchyati Raj Institutions ..	69—70
6680. चांदनी चौक, दिल्ली में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange in Chandi Chowk Delhi ..	70
6681. नागार्जुन सागर परियोजना के लिए रूस द्वारा दिए गए खराब बुलडोजर	Defective Bull dozers supplied by USSR for Nagarjuna Sagar Project ..	71
6682. सूखे से सदा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों की समस्या	Problems of Chronically Drought affected areas ..	71
6683. बनमांखें में चीनी मिल	Sugar Mill at Banmankhe ..	72
6684. बिहार में मोतीपुर, चकिया तथा मोतीहारी में चीनी मिलें	Sugar Mills in Motipur, Chakia and Motihari in Bihar	72

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6685.	मोतीपुर, चकिया तथा मोतीहारी में चीनी के कारखाने	Sugar Mills in Motipur, Chakia and Motihari ..	73
6686.	फसल काटने तथा उसे बटोरने की मशीनें	Machines for Harvesting and Packing ..	73
6687.	खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट	Fall in prices of Foodgrains ..	74
6688.	तम्बाकू का उत्पादन	Production of Tobacco ..	74—75
6689.	पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली में शरणार्थियों को आवंटित क्वार्टर	Quarters allotted to the refugees in West Patel Nagar, New Delhi ..	75—76
6690.	राजस्थान में अकाल पीड़ित श्रमिक कैम्प में मृत्यु	Deaths in Famine Labour Camp in Rajasthan	76—77
6691.	मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं	Lift Irrigation Schemes in Mirzapur (U. P.) ..	77
6692.	आरक्षित घोषित किये गये पशु तथा पक्षी	Animals and Birds declared protected ..	77—78
6693.	सोयाबीन तेल का आयात	Import of Soyabean Oil ..	78
6694.	बीड़ी उद्योग, सागर (म० प्र०)	Beedi Industry, Saugar (M. P.) ..	79
6695.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था तथा केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड, राजस्थान	Central Arid Zone Research Institute and Central Desert Development Board, Rajasthan ..	79—80
6696.	प्रत्येक राज्य में काम कर रहे पम्पिग सैटों की संख्या	Number of pumping sets operating in each state ..	80—81
6697.	रिक्शा सहकारी समितियां	Rickshaw Co-operatives ..	81—82
6698.	गेहूं के वसूली मूल्य	Procurement price for wheat ..	82
6699.	गोदी श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees' State Insurance Scheme for Dock Workers ..	83
6700.	सागर में बीड़ी उद्योग का विकेन्द्रीयकरण	Decentralisation of Beedi Industry in Saugar ..	83
6701.	राज्यों में बहु फसल कार्यक्रम	Multi Crop programme in States ..	83

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6702.	साउथ इण्डियन वाइकोस कम्पनी, तमिलनाडु के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of South Indian Voscose Company in Tamilnadu	84
6703.	दिल्ली में छात्रों के लिए रेडियो स्टेशन	Radio Station for students in Delhi	84
6704.	आकाशवाणी इम्फाल केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes of A.I.R. Imphal	85
6705.	आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of staff of AIR Imphal	85
6706.	कान्होजी आंगरे नौका के लापता होने के बारे में समाचार	News about missing Kanhoji Angre's Craft ..	85—86
6707.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में गेहूं की खरीद	Wheat purchases in Haryana by Food Corporation of India ..	86
6708.	भारतीय पशु चिकित्सा संस्था के अनुसन्धानकर्ताओं के लिये ऊंचे पद	Higher Posts for Research Scholars of Indian Veterinary Institute ..	86
6709.	दिल्ली दुग्ध योजना की मोटर वर्कशाप के कर्मचारियों द्वारा काम न करना	Suspension of work by workers in Motor workshop of Delhi Milk Scheme ..	87
6710.	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आकाशवाणी का 'फोरम'	A.I.R. Forum for Small Scale Industries ..	87
6711.	चूहों से सुरक्षित गोदामों के लिए अमरीका से ऋण	U. S. Loan for rodent proof warehouses ..	87—88
6712.	बहु-प्रयोजनीय सहकारी स्टोर	Multipurpose Co-operative Stores ..	88—99
6713.	सेंट्रल जर्सी फार्म (हिमाचल प्रदेश) की इमारत	Building of Central Jersey Farm Himachal Pradesh ..	89
6714.	पश्चिम बंगाल में अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains in West Bengal ..	89—90
6715.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Supar Bazar, New Delhi ..	90—91

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6716.	आकाशवाणी की विज्ञापन सेवाएं	Commercial services of A.I.R. ..	91—92
6718.	डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति	Appointment of Dy. Press Registrar ..	92
6719.	डाक तथा तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labour in P. & T. Department ..	92
6720.	वनस्पति घी बनाना	Manufacture of Vanaspati Ghee ..	92—93
6721.	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for settlement of displaced persons from East Pakistan ..	93
6722.	भारतीय खाद्य निगम का ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करना	Working of F.C.I. through contractors ..	94
6723.	दिल्ली के सिनेमाघरों द्वारा हड़ताल	Strike by Delhi Cinemas ..	94
6724.	श्रम न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन	Report of Labour Tribunal ..	95
6725.	खाद्यान्नों के मूल्यों में असमानता	Disparity in prices of Foodgrains ..	95—96
6726.	पंचायत सचिव	Panchayat Secretaries ..	96
6727.	सौरो (उड़ीसा) में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Soro (Orissa) ..	96—97
6728.	दिल्ली में दूध की सप्लाई में सुधार करने का तरीका	Techniques to improve Milk Supply in Delhi ..	97—98
6729.	मैसर्स मदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऋण	Loan to M/s Madan Industries Limited ..	98
6730.	भारतीय वन सेवा के कर्मचारी	Personnel of Indian Forest Service ..	99
6731.	सागर (मध्य प्रदेश) में यंत्रीकृत फार्म	Central Mechanised farm in Saugar (M. P.) ..	99
6732.	टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी	Sanctioning of Telephone Connections ..	99—100

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6733. जोर बाग, नई दिल्ली में स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों के लगाने में विलम्ब	Delay in Installation of Sanctioned Telephone connections in Jorbagh, New Delhi ..	100—101
6734. दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची	Waiting List for Telephone Connections in Delhi ..	101—102
6735. दिन में दो बार भोजन न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	Number of People not getting even two meals daily ..	102
6736. अमरीकी चलचित्र निर्माताओं के लिए स्वामिस्व	Royalty for American Film Producers ..	102—103
6737. समाचारों के प्रसारण में संसदीय कार्यवाही का प्रसारण	Broadcasting of Parliamentary Proceedings during News Broadcast ..	103
6738. दिल्ली ज्योलोजिकल स्टडी सर्किल एण्ड दिल्ली बर्ड वाचिंग सोसायटी	Delhi Zoological study circle and Delhi Bird Watching Society ..	104
6739. भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त कमीशन एजेन्ट	Commission Agents approved by Food Corporation of India ..	104—105
6740. भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त कमीशन एजेन्ट	Commission Agents appointed by Food Corporation of India ..	105
6741. पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कमीशन एजेन्टों की नियुक्ति	Appointment of Commission Agents by Food Corporation of India in Punjab ..	105—106
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
लेह में हाल ही की घटनाएं	Recent Incidents in Leh ..	106—109
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	109—110
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
69वां प्रतिवेदन	Sixty-ninth Report ..	110
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants ..	110
वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade and Supply ..	110—117
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat ..	110—117

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय	Ministry of Education and Youth Services	117
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin ..	118—120
श्री वाल्मीकि चौधरी	Shri Valmiki Choudhary ..	158—159
श्री नारायण स्वरूप शर्मा	Shri Narain Swarup Sharma ..	159—161
डा० अ० ग० सोनार	Dr. A. G. Sonar ..	161—162
श्री लताफत अली खां	Shri Latafat Ali Khan ..	162—163
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ..	164—165
श्री बैरो	Shri Barrow ..	165—167
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma ..	167—168
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh ..	168—169
श्री पी० एंथनी रेड्डी	Shri P. Anthony Reddi ..	169—171
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai ..	171—173
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh ..	173—174
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel ..	174—176
श्री गं० च० दीक्षित	Shri G. C. Dixit ..	177
श्री मुहम्मद इमाम	Shri Mohamed Imam ..	177—178
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sharma ..	178—180
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan ..	180—181
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu ..	182
श्रीमती तारा सप्रे	Shrimati Tara Sapre ..	182—183
डा० वी० के० आर० वी० राव०	Dr. V. K. R. V. Rao ..	183—188
पूर्व पाकिस्तान में आये भयानक तूफान के बारे में	Re: Tornado havoc in East Pakistan ..	163—164

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 17 अप्रैल, 1969/27 चैत्र, 1891 (शक)
Thursday, April 17, 1969/Chaitra 27, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Russian Assistance to a Telugu Paper

+
*1141. **Shri Ranjit Singh:**
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Suraj Bhan:
Dr. Sushila Nayar:
Shri A Sreedharan:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether the press report appearing in the 'Organiser' of the 14th December, 1968 is correct that Shri Raj Gopal who has 16 years' standing as an editor of a Communist paper 'Vishal Andhra' in Telugu, has stated that the Soviet Union had given an assistance of Rs. 7.50 lakhs to this paper by purchasing useless tobacco through a fake Agricultural -Industrial Corporation ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the measures being taken to prevent the attempts made to influence the Indian press by such foreign money ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार का ध्यान 14 दिसम्बर, 1968 के 'आर्गेनाइजर' में छपे समाचार की ओर आकर्षित

किया गया था । इस समाचार का बाद में 'विशाल आंध्र' के वर्तमान सम्पादक द्वारा 24 दिसम्बर, 1968 के एक लेख में खंडन किया गया था । इससे अधिक सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). मामला गृह मन्त्रालय के ध्यान में ला दिया गया है जो पिछले आम चुनाव में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के रोल के बारे में अध्ययन कर रहा है ।

Shri Ranjit Singh : I want to draw the attention of the Hon. Minister to Starred Question No. 765 in which it had been asked as to what were the findings of the C. B. I. with regard to the papers and periodicals like link, Patriot which receive foreign aid from different sources and the time by which the Government would lay the report on the Table. In reply to that it had been stated :

"The report of the Intelligence Bureau on the use of foreign money in the last General Elections and for other purposes has been carefully considered. Government will make a statement on the subject in the current session of Parliament."

Is it not a fact that for giving money to "Patriot", the Soviet agents made several persons its shareholders. The shares will be resold immediately keeping the purchaser's name blank ? In this way crores of rupees have been received by "Patriot". Are Government aware of it, and if so what steps have been taken to counter this Russian interference ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य ने गृह मंत्री द्वारा दिये गये एक प्रश्न के उत्तर का जिक्र किया है । गृह मंत्री ने अपने उत्तर में यह भी कहा था कि वह इस सत्र में ही इस विषय पर एक व्यापक वक्तव्य देने जा रहे हैं । 4 दिसम्बर, 1968 को वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें भारतीय 'पैट्रियट' के शेयरों और उसको दिये गये चंदे आदि का ब्योरा दिया गया था । ऐसा ही एक वक्तव्य गृह मंत्री द्वारा भी दिया गया है । मैं केवल यही दोहरा सकता हूं कि, जहां तक मैं जानता हूं, गृह मंत्रालय इस विषय का व्यापक अध्ययन कर रहा है और अपने आश्वासन के अनुसार गृह मंत्री इस सत्र में ही वक्तव्य देंगे ।

श्री रणजीत सिंह : जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम यह आशा करते हैं कि इसका उत्तर सरकार की ओर से आ रहा है । माननीय मंत्री का यह कर्तव्य था कि वह गृह मंत्रालय के विचारों से अपने आपको अवगत करते और इस बारे में जानकारी इकट्ठी करते । मैंने दो विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं : क्या सरकार को पता है कि कुछ लोगों को रूसी एजेंटों ने पैट्रियट के शेयर बेचे थे और इन शेयरों को पुनः बेचा गया और खरीदने वालों के नाम खाली रखे गये ताकि जांच के समय वह यह कह सकें कि इन-इन लोगों ने इनको खरीदा था ।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि प्रश्न सरकार को सम्बोधित किया जाता है और उत्तर सरकार द्वारा ही दिया जाता है । फिर भी माननीय सदस्य को यह मानना पड़ेगा कि सरकार का काम बटा हुआ है । सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय शेयरों की जांच नहीं करता । यह काम समवाय विधि विभाग, वित्त मन्त्रालय और अन्य मन्त्रा-

लयों का है। अतः माननीय सदस्य इन मन्त्रालयों को अपना प्रश्न सम्बोधित करें। जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है, मैं उसे सम्बन्धित मन्त्रालयों को भेज दूंगा।

श्री रणजीत सिंह : यह प्रश्न तो केवल एक महीना पुराना ही है किन्तु समस्या अधिक पुरानी है और सरकार को इसका पता है। फिर भी, काफी समय से इसकी जांच चल रही है और इसके बावजूद भी कोई उत्तर नहीं आया है। क्या माननीय मंत्री उचित जांच के पश्चात मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि "पैट्रियट" को किस प्रकार के शेयर बेचे गये और उसके पास कितना पैसा है और विदेशों से कितना धन प्राप्त किया गया।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। माननीय सदस्य प्रश्न पूछने की जल्दी में हैं और वह मेरा उत्तर नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इस जानकारी को सम्बन्धित मन्त्रालयों को भेज दूंगा।

Shri Brij Bhushan Lal: Do Government propose to regulate the foreign trade only through the medium of S. T. C. so that this type of bungling may be avoided and our papers protected from the foreign influence?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक सामान्य नीति का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि किसी भी देश को हमारे समाचार पत्रों और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। जहां तक सामान्य व्यापार का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न को सम्बन्धित मन्त्रालय को सम्बोधित करें तो अधिक अच्छा होगा।

Shri Jagannath Rao Joshi: I was surprised to hear the answer of the Hon. Minister that the present editor of Vishal Andhra has repudiated it. Even the administration is completely ignorant of it. He was editor of the "Vishal Andhra" continuously for 16 years. When there was a dispute between the Left and the Right Communists, he had to leave. He had levelled the charge most seriously. Have Government asked them the grounds on which Shri Raj Gopal had levelled the charge? Now what steps have you taken or going to take?

Even before this the Mallyalam Paper received funds from China. This foreign money does not come from one country alone, but from China, Russia, America and Pakistan. Press has a great responsibility in taking the democracy towards its desired goal. They build public opinion. What steps have been taken or are proposed to be taken to insulate our press against foreign influence?

श्री इ० कु० गुजराल : महोदय, मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि हमने इस मामले की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान दिला दिया है और वे इसकी जांच कर रहे हैं। यह मामला सामान्य निर्वाचन के दौरान इस्तेमाल की गई विदेशी पूंजी के बारे में जो जांच की गई है अथवा की जा रही है, उसका अंग होगा। जहां तक इस सामान्य बात का सम्बन्ध है कि समाचार पत्रों पर प्रभाव डालने के लिये विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाना चाहिये, मैं इससे सहमत हूं।

Shri Jagannath Rao Joshi: I have asked about Raj Gopal. He has levelled an allegation.

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री का कहना है कि नये सम्पादक ने इसका खण्डन किया है। पुराने सम्पादक के बारे में वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : पुराने सम्पादक ने आरोप लगाया था और नये सम्पादक ने उसका खण्डन किया है। मैंने बस इतना ही कहा है। मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है। बात केवल यह है कि हमने इस समूचे मामले को हर बात की जांच करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दिया है। इस मामले की ओर आन्ध्र सरकार का ध्यान भी दिलाया गया है।

Shri Jagannath Rao Joshi: Then how you have replied like this, "if it is brought to the notice of the Government" before hand ?

Shri I. K. Gujral: The Hon. Member has not read my reply. My reply is as follows:—

"मामला गृह मंत्रालय के ध्यान में ला दिया गया है जो पिछले आम चुनाव तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के रोल के बारे में अध्ययन कर रहा है।"

Shri Suraj Bhan: My Hon. friend Shri Banerjee has just now said that in our country Patriot is a good paper. But I call it "Russian Patriot" and not "Indian Patriot".

श्री स० मो० बनर्जी : "हिन्दुस्तान टाइम्स" के बारे में, जो कि बिड़ला जैसे उद्योगपतियों के नियंत्रणाधीन है, आपकी क्या राय है ?

श्री समर गुह : श्री बीजू पटनायक जो कि "लिंक" प्रकाशन के वित्त नियोजकों में से एक हैं के बारे में उनका क्या विचार है ?

Shri Suraj Bhan: Mr. Speaker, Sir, during August session it was stated by Shri Morarji Desai in reply to a question that "Patriot" had received Rs. 5,69,747.00 as donations. I want to know the source of this money from the Hon. Minister. It was also stated by him that "Link" had received an amount of Rs. 2,90,500.00 during years 1964 and 1965. I want to know the source of this money.

श्री स० मो० बनर्जी : "मार्च आफ नेशन" नामक एक ओर पत्र है।

अध्यक्ष महोदय : ये सब प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछे जायें।

Shri Suraj Bhan: It was reported in the "Organiser" that the Communist Party of India received an amount of Rs. 50 lakh per annum. There are four sources from which this money is being received. The first source is a publishing House where no books are published. The books are received from Russia free of cost and sold here. The second source is New Age Printing Press. Russian Embassy gets all its publications published in this press at higher rates than the market rates and thus a huge amount is given. The third source is advertisements. More advertisements are given knowingly just to poison the Press. I demand that an inquiry may be made in this whole matter and the Report may be placed on the Table of the House.

श्री इ० कु० गुजराल : लिंक तथा पेट्रियट के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि 4 दिसम्बर, 1968 को एक प्रश्न के उत्तर में उप प्रधान मंत्री ने एक विवरण दिया था, जिसमें समूची जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह उस विवरण को देखें। यदि वह उस विवरण को देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि उन्हें कुछ विस्तृत जानकारी अवश्य प्राप्त हो जायेगी। जहां तक समाचार-पत्रों के कार्य संचालन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह हमने ध्यान में रख लिया है तथा हम ये सारी बातें गृह मंत्रालय के पास भेज देंगे।

श्री चेंगलराया नायडू : उप प्रधान मंत्री ने सभा में घोषणा की थी कि लिंक तथा पेट्रियट रूस से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अब विशाल आन्ध्र के भूतपूर्व सम्पादक ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें कई वर्षों से रूस से सहायता प्राप्त होती रही है। उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकार की ओर क्या साक्ष्य चाहिये? सरकार की कार्यवाही ऐसी है जिससे उन पत्रों को और अधिक धन देने में रूस को सहायता मिलती है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से डरती है, क्योंकि कांग्रेस दल में नव समाजवादी तथा कथित प्रगतिवादी जो लोग हैं, हालांकि वह कतई प्रगतिवादी नहीं हैं, उनका उसे डर है। सरकार को इन समाचार-पत्रों को धन देने से रूस को रोकने के लिये और क्या साक्ष्य चाहिये? पेट्रियट, लिंक तथा विशाल आन्ध्र में जो सम्पादकीय लेख प्रकाशित होते हैं, उन्हें रूसी दूतावास में तैयार किया जाता है। यदि ऐसे ही होता रहा, तो हमारे देश का क्या होगा? सरकार रूस के दबाव में क्यों है? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह रूसी समाचार अभिकरण के साथ हुए करार को रद्द करने को तैयार है?

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि उन्होंने रूसी रेडियो, जिसे 'शांति रेडियो' कहा जाता है, और जिससे हमारे नेताओं के विरुद्ध कुबातें प्रसारित की गई थीं, के विरुद्ध कड़ा विरोध पत्र भेजा है। हमें यह पता नहीं है कि उक्त रेडियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि विरोध पत्र का कोई उत्तर नहीं आया है। क्या सरकार कम से कम उनके साथ अपना समझौता रद्द करेगी और रूसी दूतावास के कर्मचारियों के विरुद्ध जो इन समाचार-पत्रों को धन देते हैं, कार्यवाही करेगी?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत लम्बा था। मुझे यह ही पता नहीं लगा कि यह कहां आरम्भ हुआ तथा कहां समाप्त हुआ।

श्री इ० कु० गुजराल : अध्यक्ष महोदय मैं आपका अभारी हूं। आपने मेरी समस्या हल कर दी है, क्योंकि मैं भी इस प्रश्न को नहीं समझ सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का संगत भाग यह था कि कांग्रेस कोई कार्यवाही करने से डरती है, क्योंकि कांग्रेस ही इसका समर्थन कर रही है।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं सुदृढ़ता से कह सकता हूं कि कांग्रेस जन किसी से नहीं डरते हैं

और मैं यह भी कह सकता हूं कि राष्ट्र की रक्षा करने में हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। हम किसी गुट के साथ नहीं है। हम तो भारत के हित को ही सबसे पहले ध्यान में रखते हैं, अन्य बातें हमारे लिये दूसरे दर्जे के महत्व की होती हैं। सरकार की नीति पर किसी गुट का प्रभाव नहीं है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यदि समाचार-पत्रों को प्रभावित करने के लिये किसी देश से धन प्राप्त हो रहा है तो अवश्य ही हम अपेक्षित कार्यवाही करेंगे तथा यही कारण है कि गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच आरम्भ कर दी गई है। जब गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य देंगे तो मुझे विश्वास है कि अधिकांश माननीय सदस्य उनके उत्तर से संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री रंगा : श्री चेंगलराया नायडू के प्रश्न का सारांश यह था कि क्या सरकार नोबस्ती के बारे में समझौता समाप्त करने को सहमत है। मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया हालांकि उन्होंने इस बात पर बहुत बता दिया कि वे न तो पूर्व से और न ही पश्चिम से प्रभावित हैं। इस बात को देखते हुए कि इस मामले से कई मंत्रालय/मंत्री अर्थात् गृह मंत्रालय, समवाय विधि विभाग, उप प्रधान मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय सम्बद्ध है तथा गत कई वर्षों में इस मामले को निबटाने में सरकार द्वारा कमजोरी का प्रदर्शन किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि न केवल कुछ पत्र पत्रिकाओं को धन देने अपितु इस समूचे प्रश्न की जांच करने के लिये इन मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति बनाई जायेगी ? हम नहीं चाहते कि केवल गृह मंत्री इस मामले की जांच करें और यहां आकर कहे कि जो कुछ जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है, वह उसके आधार पर कह रहे हैं, परन्तु हम चाहते हैं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सहित क्योंकि पी० एल० 480 की जिम्मेदारी उस मंत्रालय पर है, सब मंत्रालयों को एक समिति बनानी चाहिये और समूची जानकारी को एकत्र किया जाना चाहिये तथा उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। क्या मंत्री महोदय उप-प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, तथा अपने वरिष्ठ सहयोगी, जो कि यहां बैठे हैं, परन्तु अपने वरिष्ठ सहयोगी से डरने के कारण चुप हैं, तक यह सन्देश भेज देंगे ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बहुत सी बातें कही हैं उनमें से अधिकांश सुझाव हैं। वास्तविकता का पता लगाने के लिये उन्होंने जो कुछ कहा है, हम उन बातों को ध्यान में रखेंगे।

Shri Naval Kishore Sharma: Mr. Speaker, Sir, they are some elements—be they are Russians or Americans or Pakistanis—who want to have their hand in the politics of this country through their ideologies or the election or the foreign money. So keeping this in view it is very essential that the resources of the papers owned by political parties should be known. I would like to know whether the Ministry of Information and Broadcasting will make necessary enquiry and action will be taken against the persons who are found involved in this matter ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मैं अपने माननीय

मित्र को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में व्यापक अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है ।

श्री समर गुह : महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्णतया भारत-रूस मैत्री के पक्ष में हूं । परन्तु हमारे देश में राजनीतिक विचारों के परिवर्तन हेतु जो दबाव डालने के प्रयत्न किये जाते हैं, चाहे वे रूस द्वारा हों अथवा चीन द्वारा, अमरीका द्वारा हो अथवा ब्रिटेन द्वारा मैं उनके विरुद्ध हूं । इस पृष्ठभूमि में मैं सरकार का ध्यान उस प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें मैंने पूछा था कि हमारे देश में अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस द्वारा कितनी-कितनी सामयिक पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं तथा क्या ये पत्रिकायें किन्हीं ऐसे मुद्रणालयों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, जो किन्हीं राजनीतिक दलों के मुद्रणालय हैं ? उस प्रश्न का उत्तर देने में लगभग एक वर्ष का समय लगा था । उस प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि हमारे देश में अमरीका द्वारा 6 सामयिक पत्रिकायें, ब्रिटेन द्वारा 3, तथा रूस द्वारा 4, पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं । ब्रिटेन तथा अमरीका की पत्रिकाओं के कुल परिचालन के बारे में सरकार कोई जानकारी नहीं दे सकी थी । रूस की 4, पत्रिकायें हैं, जिनके परिचालन का पांचवां भाग 2 लाख से अधिक है । मैंने यह भी पूछा था कि इन सामयिक पत्रिकाओं को किन-किन मुद्रणालयों द्वारा प्रकाशित किया जाता है । ब्रिटेन तथा अमरीका की पत्रिकाओं के बारे में सरकार कोई जानकारी नहीं दे सकी थी । रूसी पत्रिकाओं के बारे में उन्होंने कुछ नाम जैसे कि न्यू एज, विशाल आन्ध्र, जन शक्ति, नवयुग तथा कुछ और नाम बताये थे, परन्तु पूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी । मुझे पता है कि रूस की सब बंगाली पत्रिकायें कालांनर मुद्रणालय में, जो कि भारतीय साम्यवादी दल का मुद्रणालय है, प्रकाशित की जाती है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस समय पूर्ण जानकारी है अर्थात ब्रिटेन और अमरीका द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं का कुल परिचालन कितना है, उन्हें किन-किन मुद्रणालयों द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा क्या सरकार को भारतीय साम्यवादी दल के उन मुद्रणालयों के नामों की जिनमें रूसी दूतावास की सब पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं तथा इनसे होने वाली कुल आय की जानकारी है ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । मैं यह जानकारी बाद में देने को तैयार हूं ।

श्री बलराज मधोक : यह बिल्कुल नया प्रश्न नहीं है । उन्हें आश्वासन देना चाहिये कि वह कब तक जानकारी दे देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह मामला गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है :

श्री बलराज मधोक : यह गृह मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है । यह प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित है । हम यह जानना चाहते हैं कि वह कब तक जानकारी दे सकेंगे ।

श्री सत्य नारायण सिंह : प्रश्न के स्वरूप को देखते हुए यह कहना तो सम्भव नहीं है कि दस अथवा पंद्रह दिन में जानकारी दे दी जायेगी । हम शीघ्रातिशीघ्र इस जानकारी को सभा-पटल पर रखने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री पीलु मोडी : मैं प्रश्न बहुत कम पूछता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके उत्तर किस प्रकार दिये जाते हैं । 16 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6607 में मैंने पूछा था कि पूर्वी यूरोप के देश भारत में विभिन्न आयातकों को बहुत भारी रियायती दरों पर मुद्रण सामग्री दे रहे हैं । रियायती दरों का मेरा अभिप्राय यह था कि उनकी पूरी कीमत कभी अदा नहीं की जाती है । पहली तथा दूसरी किश्तों का भुगतान कर दिया जाता है तथा फिर उस मामले को भुला दिया जाता है । इस कारण से मैंने निर्यातकों के नाम, निर्यात की तारीखें तथा किन मूल्यों पर निर्यात किया गया और उन देशों को यदि अभी तक कोई राशि अदा की गई तो कितनी आदि बातें पूछी थीं । परन्तु उस प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि निर्यातकों के नाम तथा निर्यात की तारीखें उपलब्ध नहीं हैं । सरकार लाइसेंसों पर लाखों रुपये खर्च कर रही है तथा नियंत्रित पद्धतियां हैं । इन बातों को देखते हुए सरकार आसानी से यह जानकारी दे सकती थी कि किन-किन को कितने-कितने के लाइसेंस दिये गये । इसी आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तविक आयतकों द्वारा निर्यातक देशों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? अब मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार की नीति में बड़ा परिवर्तन किया जायेगा और उसका मुख्य उद्देश्य देश के हितों को देखना होगा ।

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य इस बात को माने अथवा न माने हमारी नीति का उद्देश्य सदा ही देश के हितों को देखना रहा है । दैनिक कार्य संचालन में भी हम देश के हितों को ही ध्यान में रखते हैं । मैं केवल यह कह सकता हूं कि मुझे वह प्रश्न याद नहीं हैं। माननीय सदस्य यदि निर्यात अथवा आयात सम्बन्धी प्रश्नों को वैदेशिक व्यापार मंत्रालय से पूछें तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर वे ही दे सकते हैं ।

Schemes of Development of Telephone Exchanges in Rajasthan

*1142. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a number of schemes regarding Development of Telephone Exchanges and opening of Public Call Offices, already approved, are not being implemented for want of telephone equipment in Rajasthan and particularly in Jaipur and Bharatpur Divisions ;

(b) if so, the reasons therefor :

(c) the time by which the requisite equipment is likely to be made available ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). जी नहीं । टेलीफोन केन्द्रों के विकास और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की स्वीकृत योजनाओं को उत्तरोत्तर क्रियान्वित किया जा रहा है । किसी योजना के स्वीकृत होने

के बाद सामान प्राप्त करके इसे लगाने और इसके निर्माण का काम हाथ में लिया जाता है। इसे कार्यरूप देने में काम के आकार और परिमाण के अनुसार लगभग 12 से 30 महीने तक का समय लगता है। फिर भी यह सच है कि धन-राशि और सामान के सीमित होने के कारण विलम्ब होता रहा है।

Shri Meetha Lal Meena : The hon. Minister has said that there have been delays due to limitations of financial and material resources. May I know whether we or the public are responsible for it ? It is for the Government to make arrangements for money and material. It has been said in the reply given by you that Chauth Ka Bakhara Exchange would start work in the first week of 1968, but that has not started working as yet. Many P. C. O's. were sanctioned and they were expected to start working in 1968, but they have not yet been completed. It was promised to provide C. B. non-multiple by January 1968 in Gangapur City, but same has not been done so far. I want information regarding C. B. non-multiple in Gangapur city and exchange in Chauth ka Bakhara.

Shri Sher Singh : Chauth ka Bakhara is in Jaipur and an exchange has been started there since 29th March 1969. The hon. Member has asked especially for Jaipur and Bharatpur Division. These are not two different divisions. This is one Division. In this Division 8 exchanges and 11 P. C. Os' have been opened during 1968-69 and our programme for the current year is in progress.

Shri Meetha Lal Meena : Are Bharatpur and Jaipur one Division.

Shri Sher Singh : Yes for telegraph and telephone purposes.

Shri Meetha Lal Meena : I want to know whether repairing equipments have been sent for repairing the newly opened automatic exchanges in Jaipur and Bharatpur ?

Shri Sher Singh : I could not understand the type of equipment for which the hon. Member has made a reference.

Shri Meetha Lal Meena : I wanted to know whether the equipment for repairing automatic exchanges have been sent ?

Shri Sher Singh : We have sent the equipment which are required for constructing the exchanges.

Shri Meetha Lal Meena : What about the repairing equipments ? Have you sent them in Bharatpur and Jaipur Divisions ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sataya Narain Sinha) : How the functioning of those exchanges would have been possible which have already been completed.

Shri Meetha Lal Meena : Perhaps the hon. Minister is not aware that it has not been possible to have boards there due to lack of equipments.

Shri Satya Narain Sinha : We are trying to send them at those places where those have not been sent so far.

श्री न० कु० सांघी : राजस्थान में टेलीफोन सेवा दयनीय स्थिति में है। लोगों को बहुत कठिनाइयां पेश आ रही है। मंत्रालय से अच्छी संचार व्यवस्था, की आशा की जाती है। विशेषतया सीमावर्ती राज्य में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह न्यूनतम गारंटी लेना चाहे वहां

वर्षों तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जायें, सरकार की नीति है ? ऐसे बहुत से मांमले मेरी जानकारी में है । जिनमें न्यूनतम गारंटी मांगी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यूनतम गारंटी मांगना सरकार की नीति है और क्या राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी ऐसा किया जा रहा है ?

श्री शेर सिंह : उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों में प्रतिवर्ष 3000 रुपये का घाटा हो रहा है, हम रियायतें दे रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में 2000 से अधिक अथवा 3000 रुपये तक का घाटा होने पर भी हमने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले हैं। हमने वहां 9 सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले हैं और 7 अन्य टेलीफोन कार्यालय खोलने की आशा है ।

Minimum Wage For Rural Lobourers

+

*1146. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Kumari Kamala Kumari :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Minimum Wage Committee has made some recommendations in regard to the minimum wage of the labourers in rural area and the staff employed in Offices ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to implement them.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित रोजगारों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न्यूनतम मजूरी समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों समेत कुछ क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों तथा कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी के बारे में सिफारिशें की हैं।

(ख) एक विवरण भी, जिसमें सड़क निर्माण या अनुरक्षण या भवन निर्माण आदि, कृषि, जिप्सम, बैराइटिस, बौक्साइट और मैंगनीज खानों के अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजूरी समितियों द्वारा सिफारिश की गई, मजूरी की न्यूनतम-दरें दी गई हैं, सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०784/69]**

(ग) इन समितियों की सिफारिशें विचाराधीन है और आवश्यक अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी की जायेंगी ।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether Government propose to make available the same facilities which are being made available to the urban labourers such as housing, water and medical facilities to the rural labourers also ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Sir, there are different facilities for urban and rural labourers. The question is as to what has been done regarding their. wages. We have constituted three committees in this regard and the reports of these three committees have been received. The wage of Rs. 6 for agricultural labourer as is evident from the schedule has been fixed

keeping in view all the facilities. I hope that you will agree that the wages which are recommended by the committee and which are going to be accepted shortly are quite good.

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has not answered my question. You have made arrangements for housing, water and medical facilities for urban labourers. I wanted to know whether you have considered the desirability of giving same facilities to the rural labourers also, for houses and drinking water are not available to them and if so what steps are being taken in this regard ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have said these facilities are kept in mind. We are aware about the needs of the labourers, whether they are working in cities or in villages. In cities where they live together housing and water facilities are made available to them, in villages their wages are fixed keeping these things in mind. I hope you will agree with me that the wages fixed by the three committees in this regard are quite good and these have been fixed keeping all these facilities in mind.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know the arrangements made to ensure that the wage recommended by the committees and accepted by the Government are actually paid to the labourers in the rural areas.

Shri Bhagwat Jha Azad : When we accept any recommendation, it is hoped that it will be implemented. We have our administrative machinery to see whether the wages are being given according to the prescribed rates or not. We have our Inspectorates and officers. In certain areas the State Governments have their arrangements and in others we have our own arrangements.

Shri Tulsidas Jadhav : I want to know whether any mechanism has been made as was made after the enactment of Land Tenancy Act, so that if some body does not receive the prescribed wages, he may go there and lodge his or her complaint and get it redressed.

Shri Bhgawat Jha Azad : As I have already said that in certain areas we have only State Governments as the means through which we see, whether some policy has been implemented or not. For example if you take agricultural sector, very little area is under Central Administration. So the areas which are under State Governments are under their inspectorates and the areas which are under Central Government are under our inspectorates and labour officers. In the areas which are under our control, we see through our inspectorates and labour officers, and see whether it is implemented or not.

Shri Deven Sen : The question of dearness allowance is also connected with the rates mentioned by hon. Minister. Secondly I want to know the time by which these rates will be in force and whether these rates would be enhanced with the increase in dearness.

Shri Bhagwat Jha Azad : These are the minimum wages. These three Committeees have recommended that there should be the minimum wages. So these wages can be increased. There is nothing in it. The only question is that these wages can not be reduced.

Shri Deorao Patil : Sir, the agricultural labourers are in great difficuities. When their question is raised with Central Government, it is said that it is a State Subject and when there question is raised with State Governments it is stated that it is Central Subject. So I

want to know as to how far Central Government can take steps in implementing the question of minimum wages ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to make it clear that this question is connected with those undertakings which come under the per view of Centre. The hon. Member has raised the question of those labrourers who are working in agricultural sector in various States. To fix the wages of agricultural labourers is the responsibility of State Governments. Wages are fixed for them by the State Governments from time to time. We look after the labourers of the Central farms only. It is for the States to see whether the labourers in villages get minimum wages or not. We are hardly concerned with it.

श्री स० कुण्डू : कुछ खेतिहर मजदूरों तथा पत्थर तोड़ने का काम करने वाले मजदूरों के लिये 2 रुपये 40 पैसे प्रति दिन के हिसाब से मजूरी निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि महीने में 26 दिन भी कार्य दिवस हों, तो एक श्रमिक को 63 अथवा 64 रुपये मिले। मैं जानना चाहता हूं कि यह मजूरी किस आधार पर निर्धारित की गई है ? क्या यह मजूरी निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि इससे जीवन की न्यूनतम आवश्यकतायें अर्थात दो समय का भोजन, रहने के लिये मकान और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें मिल सकेंगी।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने 2 रुपए 40 पैसे का उल्लेख किया है। यह मजूरी अदक्ष श्रमिकों के लिये निर्धारित की गई है। उच्च दक्षता प्राप्त श्रमिकों के लिये 6 रुपये, दक्ष श्रमिकों तथा लिपिकों के लिये जो मैट्रिक पास है 4 रुपये 80 पैसे और अर्द्ध दक्ष श्रमिकों और अदक्ष पर्यवेक्षकों के लिये 3 रुपये 20 पैसे तथा अदक्ष श्रमिकों के लिये 2 रुपये 40 पैसे मजूरी निर्धारित की गई है। ये दरें समिति द्वारा निर्धारित की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या खाद्यान्न, मकान आदि जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ?

श्री भागवत झा आजाद : समिति ने इन सब बातों को ध्यान में रखा है। परन्तु इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि एक श्रमिक का कार्यभार कितना है और वह कितना काम करता है।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : जहां तक विभिन्न राज्य में केन्द्रीय फार्मों का सम्बन्ध है उनमें कितने क्षेत्र के लिये एक निरीक्षक भर्ती किया जाता है ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसाकि मैंने कहा है हमारी जिम्मेवारी केवल उन छोटे-छोटे फार्मों की है जो कि केन्द्र के अधीन हैं। राज्यों में जो बड़े-बड़े कृषि फार्म हैं उनके निरीक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हमारे पास एक निरक्षणालय है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निरीक्षकों के लिये कितना कार्य सम्भव है।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : एक निरीक्षक के अधीन कितना क्षेत्र होता है ?

श्री भागवत झा आजाद : उतना ही जितना एक व्यक्ति अच्छी तरह देख भाल सकता है ।

Shri Jageshwar Yadav : May I know whether Government have the authority of fixing the wages of agricultural labourers and if so, whether they have no right to reduce the fees of lawyers who charge Rs. 2,000/- for one hour ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The Hon. Member has really raised a very important issue regarding the remuneration of a lawyer and a farmer. A lawyer gets a remueration of Rs. 2,000/- per hour whereas a farmer gets Rs. 2.40 P. as wages for a day. I cannot reply to shis question. It is good if the Parliament passes some law in this regard.

Shrimati Savitri Shyam : Central Government has adopted a policy to pay Rs. 2.50 to unskilled labour. But its implementation has been left on the State Governments. I want to know whether Central Government can legally force the State Governments to implement that policy. I belong to a rural area. I want to ask specially with regard to women labour. They are being paid only twelve or eight annas in the villages. I want to know that inspite of the clear wage policy of the Central Government, if the State Government's do not implement that policy, whether the Central Government have the power to force them to implement that policy ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Hon. Member has not understood the question properly. This question relates to Central Agricultural Farms. So far as the question of wages of men and women labours are concerned, the matter relates to State Governments and the Central Government cannot do anything in this regard.

Shri S. M. Joshi : There is no organisation of agricultural labour. In case they do not work what redress we can give for it. I want to know whether the Government will appoint some Committee to see howfar these rates are given to the villagers ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : जहां तक खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है, यह ठीक है कि कर्मचारी संगठित नहीं हैं और इस बारे में कुछ कार्य किया जाना चाहिए । लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे फार्म तक ही सीमित है । वहां इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है । हम इस बारे में जांच कर सकते हैं । हम इंस्पेक्टरों की नियुक्ति कर सकते हैं और शिकायतों की भी जांच कर सकते हैं और धन का भी भुगतान करवा सकते हैं । लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न की जांच की जायेगी ।

Shri Mrityunjay Prasad : It is said that wage relate to work— load. Is this policy only for agricultural wages and that too far small farms or this policy is a general policy ? If it is so, whether Government is considering to adopt some measures for the work load ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is very clear that wages and pay scales are always related to workload. The pay scale is given on the basis of output. This policy is carried out in all the industries. We cannot work without it.

Shri Mrityunjay Prasad : In offices also ?

श्री रंगा : मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रीं भी इस समय सभा में उपस्थित हैं ।

ये जब श्रम मंत्री थे तब इस खण्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल किया गया था और कहा गया था कि यह खण्ड खेतिहर मजदूरों पर भी लागू होगा। मैं इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं इस सम्बन्ध में केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि जब भी खेतिहर मूल्य आयोग सिफारिश देगी सरकार उस पर अपना निर्णय देगी कि खेतिहर मजदूरों को उनके विभिन्न उत्पाद जैसे गेहूं, चावल आदि के लिये खेतिहर मजदूरों का उचित मूल्य दिया जाये ताकि देश में यह वातावरण उत्पन्न हो सके, चाहे कुछ क्षेत्रों में श्रमिक संगठित हैं अथवा नहीं, उचित मजदूरी इतनी ही समझी जाती है और किसान और मजदूरों को यह पता लग जाये कि देश में उचित मजदूरी कितनी दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान तो संयुक्त सम्मेलन सम्भव नहीं।

श्री रंगा : वे कह सकते हैं कि यह कार्य करने के लिये एक सुझाव है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मेरा प्रश्न तत्तसम्बन्धी नहीं है।

श्री हाथी : मैं इस बारे में कृषि मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा।

Shri Huham Chand Kachwai : The Hon. Minister has stated in his figures that daily w ges upto Rs. 6, 4 and 2.40 are paid to the labourers.

I want to know whether the Government has considered that these figures have been supplied by the officers whereas this money is not fully paid to the labourers ? P. W. D. people got the signature of the labourers on the receipt of Rs. 3.20 but in fact they are paid Rs. 2.00 and sometimes rupees 1.50. rupees 1.25 and rupee one. Such type of corruption is going on. Such type of injustice is done to the labourers. The labourers supplying agency earn this money and this amount goes in the labourer's account. There are coal workers in Gorakhpur. Lakhs of rupees are being earned by these agencies in the name of wages. But the Government does not pay any attention towards it.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is not correct that this figure has been supplied by the officers. This figure has been supplied by the Committee appointed to decide minimum wages for workers. What should be the minimum wages for mines, constitution and agriculture. These are their recommendations and we are considering those recommendations and very soon decision will be taken in this matter.

So far as the question of paying less to the agricultural or factory workers in those mines, let me tell you that, we have given proper facilities to them. Our labour inspectors are there to look after their difficulties. It is possible that less facilities may be provided at some places. The only measure in this regard is to make complaint. There are labour courts for investigations.

श्री बी० शंचरानन्द : यह सच है कि देश में कृषि श्रमिकों का बहुमत है। यह भी सच है कि इन कृषि श्रमिकों की केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षा की गई है। उनके साथ कारखानों में काम कर रहे औद्योगिक श्रमिकों के समान व्यवहार नहीं किया जाता है। यह भी सच है कि सरकार का श्रम मंत्रालय देश में औद्योगिक श्रमिकों के हित का ध्यान रखता है।

लेकिन वह कृषि श्रमिकों के हित की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं यह नहीं जानता कि क्या कानून में इस प्रकार भेद-भाव की व्यवस्था है अर्थात् एक वर्ग के श्रमिकों के साथ एक प्रकार का व्यवहार करना और दूसरे वर्ग के श्रमिकों के साथ दूसरी प्रकार व्यवहार करना। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कानून में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ताकि कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें कारखाने और सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों के समान ही दर्जा दिया जा सके।

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि कृषि श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी में अन्तर है। कृषि श्रमिकों का देश में बहुमत है। राज्य सरकारों द्वारा उनकी मजदूरी समय समय पर निर्धारित की जाती है। जब कभी भी हमें यह विदित होता है कि उनकी मजदूरी में पुनरीक्षण किये काफी समय हो गया है हम इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने राज्य में जहां तक सम्भव हो अन्य राज्यों के समान मजदूरी निर्धारित करें। जहां तक केन्द्रीय फार्मों का सम्बन्ध है, हम सिफारिश की गई मजदूरी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बारे में एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आवश्यकतानुसार मजदूरी के विषय पर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही थी और देश में देशव्यापी हड़ताल थी तब हमें बताया गया था कि यह विशेष मामला गजेन्द्र गड़कर आयोग जिसे श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय आयोग कहा जाता है, भेजा गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण और कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी का मामला भी उस आयोग को सौंपा गया है और यदि नहीं, तो क्या यह मामला भी उनको सौंपा जायेगा ताकि कृषि और अन्य उद्योगों में भी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा सके।

श्री भागवत झा आजाद : यह न्यूनतम मजूरी के बारे में है। माननीय सदस्य ने आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी के बारे में उल्लेख किया है। यह सच है कि राष्ट्रीय आयोग आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में विचार कर रहा है। वह इस बात पर विचार कर रहा है कि न्यूनतम मजूरी क्या होनी चाहिए और उसे कैसे दिया जाना चाहिए। उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

अरब सागर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1148. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सम्भावना का भारत तनिक भी लाभ नहीं उठा सका है;

(ख) क्या भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के तरीकों को सुधारने में सहायता करने हेतु कोई उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह ठीक है कि गहरे समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों का उपयोग करने के लिये अभी केवल शुरूआत ही की गई है और यद्यपि इन क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं, परन्तु यह अनुमान लगाया जाता है कि हिन्द महासागर में कितने ही लाख मीटरी टन मछली है ।

(ख) और (ग). गहरे समुद्रीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्य को विस्तृत करने के लिए कई उपाय किये गये हैं । भारतीय जहाज बनाने वाली फर्मों को 40 ट्रालर बनाने के आदेश दे दिये गये हैं । 30 ट्रालर आयात करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं । देश में बनाये ट्रालरों की खरीद के लिए उद्योग विकास बैंक, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की अब सहायता करता है । ट्रालरों के चलाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : उत्तर संतोषजनक नहीं है । योजना में मछली विकास को महत्व नहीं दिया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपलब्ध 90 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग नहीं किया गया है और प्रोटीन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की पूरी क्षमता का प्रयोग करने की कोई योजना है । हमें हिन्द महासागर से मछलियों के निर्यात करने की आवश्यकता नहीं होगी । हमें केवल ट्रालरों को चलाना सीखना होगा । 30 से 60 ट्रालर हमारे लिए अपर्याप्त हैं । बेकार क्षमता का प्रयोग करने और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिए और इसके साथ-साथ बड़ी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें हजारों ट्रालरों की आवश्यकता होगी । क्या सरकार का विचार, कुछ निदेशों और प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, सब बेकार पड़ी क्षमता का प्रयोग करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : हम पहली बार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य आरम्भ कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई विदेशी मुद्रा के प्राप्त न होने की है । देश में ट्रालरों को निर्माण किया जा रहा है । उन फर्मों को जिन्होंने ट्रालरों का आदेश दिया है, देश में निर्मित ट्रालर सप्लाई किये जायेंगे। यह सच है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की दिशा में विकास की बहुत अधिक गुंजाइश है । इस बारे में सरकार की योजना है । चौथी पंचवर्षीय योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 300 बड़े ट्रालरों का प्रयोग किया जायेगा ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मेरा दूसरा प्रश्न खारे पानी में मिलने वाली मछली की जानकारी न होने के बारे में है। वे मछलियां वास्तव में बहुत अच्छी हैं । उनमें आइडिन का अंश होता है । वे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी हैं । देश में प्रोटीन की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में उन लोगों में जो मछली खाने वाले हैं और उनमें नहीं जो मछली खाने वाले नहीं हैं, क्योंकि तब यह बहुत खतरनाक होगा, खारी पानी में या समुद्र के पानी में मछली पकड़ने को लोकप्रिय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुछ क्षेत्रों में लोगों ने देश में मछली पकड़ने को प्राथमिकता दी है लेकिन बहुत से क्षेत्रों में समुद्र में मछली पकड़ना लोकप्रिय हो रहा है। समुद्र में मछली पकड़ने को लोकप्रिय बनाने की सरकार की कुछ योजनाएं भी हैं।

श्री हेम बरुआ : चूंकि मछली बहुत पौष्टिक भोजन है और यह मनुष्य की प्रजनन शक्ति को बढ़ाती है, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए काम में आने वाले बड़े ट्रालरों को प्रयोग करने की अनुमति न देकर उनमें जंग लगने दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि उनके प्रयोग से बाजार में और अधिक मछलियां उपलब्ध हो सकती हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय ट्रालरों का प्रयोग केवल जांच के लिए किया जा रहा है, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नहीं। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए हम उनका पहली बार प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात से सहमत हैं कि मछली बहुत स्वादिष्ट होती है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : देश में मछली उद्योग का विकास न होने का मुख्य कारण मंत्री महोदय द्वारा इस दिशा में कार्य न करने का है। क्या वह जापान के सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर कार्य कर सभी का समर्थन प्राप्त करेंगे और सभा को इस बात का आश्वासन देंगे कि वह इस कार्य को पूरा करेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : महाराष्ट्र सरकार को इसकी अनुमति दे दी गई है। अब इस प्रस्ताव को आरम्भ करने का दायित्व महाराष्ट्र सरकार का है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Broadcast of Sindhi Programme from A. I. R., Bombay

*1144. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the time allotted weekly for the programme of Sindhi language at A.I.R. Station, Bombay and the date from which the programme is broadcast :

(b) whether the time is proposed to be increased ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 30 minutes per week from August, 1957. In addition, two news bulletins each of 15 minutes duration are relayed daily.

(b) No increase is contemplated in the near future.

(c) Does not arise.

(d) Lack of resources including transmission time.

Means of Communication in the Border and Backward Areas

*1145. **Shri Atal Bihari Vajpai**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether any schemes for providing adequate means of communication in border areas, backward areas and various Islands is under consideration of the Government ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far in this regard ?

The Minister of information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-785/69.]**

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के नये कार्डों का जारी किया जाना

*1147. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के 12,000 नये कार्ड जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूध प्राप्त करने के सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हुआ है;

(ग) आवश्यक तथा गैर-आवश्यक श्रेणियों में कितने आवेदनकर्त्ताओं को अब तक कार्ड जारी नहीं किये जा सके हैं;

(घ) क्या दूध के नये कार्ड जारी करने की नीति को युक्तिसंगत बनाने के लिए नये उपाय किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नवम्बर, 1968 से दिल्ली दुग्ध योजना ने लगभग 60,000 नये टोकन / कार्ड जारी किये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 28-2-69 को अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की संख्या अग्रता के लिए 6,626 और अग्रता रहित श्रेणियों के लिए 32,368 थी।

(घ) और (ङ). जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना अब राशन कार्ड देखने के पश्चात् परिवार के केवल प्रधान के नाम पर ही टोकन देती है और प्रार्थी से यह लिखवाया जाता है कि उसके पास

दिल्ली दुग्ध योजना का पहले कोई टोकन नहीं है। दूध की मात्रा परिवार के सदस्यों के आधार पर दी जाती है ।

चावल का उत्पादन

*1149 **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) चालू वर्ष में अनुमानित उत्पादन तथा अपेक्षित मात्रा में कितना अन्तर रहने की सम्भावना है; और

(ग) इस कमी को दूर करने तथा रक्षित भण्डार बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). अन्य वस्तुओं की तरह खाद्यान्नों की मांग भी लचीली होती है। एक किस्म के खाद्यान्न का कुछ हद तक दूसरे खाद्यान्न से प्रति स्थापन भी हो सकता है । अतः देश में किसी समय विशेषकर चावल की आवश्यकताओं और कमी का अन्दाजा लगाना कठिन है । चावल सहित खाद्यान्नों की कमी को केवल पैदावार बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है । 1970-71 के अन्त तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नई कृषि सामरिक महत्व की नीति के अन्तर्गत बहुत बड़े क्षेत्र में धान की अधिक उपज देने वाली किस्में उगाकर, बहुफसली कार्यक्रम लागूकर, उन्नत कृषि तरीके लागू कर और उर्वरकों, बेहतर बीजों, ऋण आदि की सप्लाई बढ़ाकर कुछेक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं । तब तक वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और बफर स्टाक तैयार करने के लिए विदेशों से यथासम्भव अधिक से अधिक चावल मंगवाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गुजरात से मछली का निर्यात

*1150. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में गुजरात में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों से मछलियों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि मछली पकड़ने की बहुत पुराने ढंग की नावों तथा उपकरणों के कारण मछुए गुजरात तट पर पकड़ी गई मछलियों के केवल 20 प्रतिशत भाग ही को इकट्ठा कर पाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संरक्षण व्यवस्था न होने के कारण पकड़ी गई कई टन मछली को खाद में परिवर्तित किया जाता है ;

(घ) क्या गुजरात में मत्स्यपालन के विकास के लिए कोई विदेशी सहयोग करार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में मत्स्य तथा मत्स्य-उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपया)
1966	13.12
1967	17.96
1968	20.20

गुजरात के पत्तनों से निर्यात किए गये माल का विवरण एकत्रित किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) पृथक-पृथक नावों द्वारा पकड़ी गई मछलियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी गुजरात देश के विशेष यन्त्रीकृत राज्यों में से एक है । इस मामले में इसका स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। यन्त्रीकृत नावों, आधुनिक मत्स्य उपकरणों यथा नायलौन टुआइन, काटन टुआइन, हैम्प टुआइन तथा फ्लोटो का उपयोग गुजरात के मछुओं द्वारा किया जाता है ।

(ग) परिरक्षण कीं सुविधाएं पर्याप्त हैं तथा मछली के खाद में परिवर्तित किये जाने की कोई सूचना नहीं मिली । तो भी इस बारे में विवरण मंगवाए जा रहे है और स्थिति का परिशुद्ध विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) गुजरात में मत्स्य-क्षेत्र में कोई सहयोगी परियोजना स्थापित नहीं की गयी ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

*1151. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** . क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय बीज निगम को (1) अनियमितताएं (2) चोरी (3) माल की कमी (4) आग लगना अथवा ऐसे अन्य कारणों से कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 786/69]

उत्तर प्रदेश के अध्यापकों द्वारा भेजे गये तारों का रोका जाना

*1152. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम में, जो अंग्रेजों के शासनकाल से लागू हैं, संशोधन करने का निर्णय किया गया है ताकि उसे देश के प्रजातंत्रीय ढांचे के अनुकूल बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां। इस अधिनियम की धारा (5) में संशोधन करने का मामला विचाराधीन है।

(ख) जब सरकार इस बारे में अंतिम रूप से निर्णय ले लेगी तो विधेयक संसद् में रखा जाएगा।

Telephone Service in Delhi

*1153. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether there has been any improvement in the Telephone service in Delhi ;

(b) whether Government are considering to purchase new equipments to improve and augment telephone service in Delhi ; and

(c) if so, by what time the decision will be taken ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Efforts are being made to improve the service further.

(b) and (c). It is proposed to add 61,200 lines of exchange to the Delhi Telephone system upto 1974 for which new equipments will be purchased.

Agro-Industrial Corporations

*1154. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the targets fixed for the development and setting up of Agro-Industrial Corporations during the Fourth Plan period ; and

(b) the region-wise progress achieved by these corporations so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The scheme envisages setting up of Agro-Industries Corporations in each State. Such Corporations have already been established in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, West Bengal and U. P. The remaining

States i.e. Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat are also taking suitable action to set up similar Corporations and these are likely to be established in the near future. There is no proposal at present to establish one in Nagaland.

A statement giving the progress achieved by these Corporations is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Some of the Agro-Industries Corporations have been working for over 3 years and many for over one year. They are in various stages of development and activity. Corporations like Bihar, Andhra Pradesh, U. P. and Haryana Corporations have made substantial progress in their commercial activities. Others are in the process of establishing themselves on a sound footing. The Corporations in Kerala, West Bengal and Madhya Pradesh are still in their infancy and have yet to start their activities in right earnest. It has been suggested to the Corporations already established that they may initially concentrate on supply of tractors, power tillers, pump-sets, etc. on hire-purchase terms and also take up other activities related to the promotion of agro-industrial work. With a view to check the black marketing in tractors and also to ensure supply of imported tractors at fixed prices to farmers, Government of India have also decided that the distribution of all imported tractors would be entrusted to these Corporations, who would also make necessary arrangements for after-sale service and maintenance.

(a) **Distribution of Tractors :** During the year 1968-69, 15,000 tractors, which include Zetor-2011, DT-14B, RS-09, Russian Byelarus, Rumania Super UTOS have been allotted to the various Agro-Industries Corporations and State Governments of States without Corporation for distribution.

(b) **Hire-purchase :** Most of the Corporations have started supply of tractors, power-tillers, pump-sets, etc. on hire-purchase terms. A sizeable amount has been invested by some Corporations in this regard. Under this scheme agricultural machinery and equipment are provided to farmers at reasonable rates.

(c) **Distribution of fertilisers and pesticides :** This is another item of work, which has been taken up by some Corporations, like those of Assam, Maharashtra and Mysore.

(d) **Tractor Hiring Centre :** During the 4th Plan, it is proposed that about 30 hire centres with eight sub-centres under each would be set up in the country by the different Agro-Industries Corporations. Schemes for setting up of these hiring centres have already been received and these are under examination. Some Corporation like Andhra Pradesh and Haryana have already set up these Centres.

(e) **Fruit Processing Units :** The Assam Angro-Industries Corporation has taken over the Silchar Fruit Preservation Factory from the State Agriculture Department. The Government of U. P. have also transferred their 2 fruit processing factories at Ramgarh and Lucknow to the Corporation. The Corporation propose to expand these factories with a view to increase their production. The Andhra Pradesh Corporation has decided to take over one fruit processing factory from the State Government.

Other Activities : In addition to above, various Corporations have different schemes to promote Agro-Industries. The Maharashtra Corporation has a scheme to set up a cattle feed

compounding factory at Goragaon, a poultry feed compounding factory at Pimpri and a maize milling plant at Pimpri. This Corporation has also decided to take up the super-phosphate and N. P. K. Granular Fertiliser Manufacturing Plants at Rasayani. The Bihar Corporation have decided to set up 2 cold storage units and 2 poultry units. There is also a proposal to set up a backery unit at Patna. Haryana Corporation have also approved a scheme for setting up of a wool grading-cum-marketing centre. The Mysore and Orissa Corporations have also schemes to set up maize milling plants in their respective States.

Grant of Facilities to the workers of certain firms

*1155. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees working in Dyers Stone Lime Co. (Pvt.) Ltd., Calcutta, Lime and Refractories (Pvt.) Ltd., Bombay and Indian Distributors (Pvt.) Ltd., Katni, are not given such facilities as are recommended by the Wage Board Award; and

(b) if so, the reasons therefor and action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The recommendations of the Wage Board for Limestone and Dolomite Mining Industries have not been implemented in three Limestone Quarries under M/S. Dyer's Stone Lime Co. (P) Ltd., Katni and one Lime Stone Quarry under M/S. Dyer's Stone Lime Co. (P) Ltd., Satna.

(b) The management have pleaded financial difficulties. The recommendations of the Wage Board are not enforceable statutorily. Efforts, however, continue to be made to secure implementation of the Wage Board's recommendations through persuasion and advice.

फिल्म परिषद का गठन

*1156. **श्री अदिचन :** **श्री जुगल मंडल :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री न० कु० सांघी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छविग्रहों को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने तथा उनके प्रसार में अपना योगदान देने के लिए यदि सरकार ने हाल ही में कोई कार्यवाही की है, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों से फिल्म परिषद की स्थापना हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिषद के सदस्य कौन-कौन होंगे और इसके कृत्य क्या होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां। फिल्म उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए फिल्म परिषद स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना

का क्षेत्र और बढ़ा दिया है और कला फिल्मों के निर्माण के लिए सादी प्रिन्टों पर उत्पादन शुल्क पर नई रियायत दी है ।

(ग) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

फालतू पुर्जे न मिलने के कारण बेकार ट्रैक्टर

*1157. **डा० बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 80,000 ट्रैक्टरों में से 60,000 से अधिक ट्रैक्टर फालतू पुर्जे न मिलने तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था न होने के कारण बेकार पड़े हैं ।

कुल ट्रैक्टरों में से कितने ट्रैक्टर भारत के बने हुए हैं तथा इसके क्या कारण हैं कि कि उनके लिये फालतू पुर्जे सप्लाई नहीं किये जाते तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था नहीं है ;

(ग) आयातित ट्रैक्टरों की देशवार संख्या कितनी-कितनी है तथा उनका कुल मूल्य कितना है ;

(घ) चालू वर्ष में कितने तथा कितने मूल्य के किस-किस किस्म के ट्रैक्टर किन-किन देशों से आयात करने का विचार है ; और

(ङ) इस बात को देखते हुए कि खाद्य पदार्थों की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है तथा कुप्रभाव भी सबसे पहले उस पर पड़ता है, काले बाजार को रोकने तथा क्षेत्रीय मरम्मत सेवा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ट्रैक्टरों तथा फालतू पुर्जों की बिक्री कर सरकार द्वारा नियंत्रण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । देश में उपलब्ध ट्रैक्टरों का एक बड़ा भाग अपना जीवन गुजार चुका है क्योंकि ट्रैक्टर का सामान्य जीवन 8 से 10 वर्ष होता है । सरकार इन ट्रैक्टरों को यथासम्भव खेतों में काम करने योग्य बनाये रखने के लिये पुर्जों के आयात में उदार नीति अपना रही है ।

(ख) इस समय अनुमानतः 90,000 ट्रैक्टर है । देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन 1961 में आरम्भ हुआ है और तब से 49,524 ट्रैक्टर बन चुके हैं । शेष ट्रैक्टर पिछले दस वर्षों में आयात किये गये हैं । स्वदेशी निर्माता अपने व्यापारियों द्वारा पुर्जों की सप्लाई करते हैं ।

(ग) पिछले 10 वर्षों में 15.81 करोड़ रुपये के मूल्य के 26,578 ट्रैक्टर विभिन्न देशों से आयात किये गये थे परन्तु किस-किस देश से कौन-कौन मेक के ट्रैक्टर आयात किये गये थे, तत्सम्बंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(घ) 15,000 पहिये वाले ट्रैक्टर आयात करने का प्रस्ताव है जैसा कि नीचे बताया गया है।

ट्रैक्टर का माडल	**किस देश में बना**	**संख्या**	**मूल्य रुपये**
जैटर-2011	चेकोस्लोवाकिया	5,000	4,61,85,000 (जहाज तक निः शुल्क)
डी० टी०. 14 B	रूस	6,000	3,63,00,000 (लागत बीमा, भाड़ा)
बाइलेरस	रूस	500	63,92,500 (लागत बीमा, भाड़ा)
आर० एस० 09	जर्मन गणतंत्र गणराज्य	3,000	3,18,00,000 (लागत और भाड़ा)
अ० सुपर-उटोस	रुमानिया	500	77,50,000 (लागत और भाड़ा)
		15,000	12,84,27,500

(ङ) आयातित ट्रैक्टरों में कालाबाजार को रोकने के लिये इनको राजकीय कृषि-उद्योग निगम के द्वारा, तथा जिनमें अभी निगम स्थापित नहीं किये गये हैं, वहां राज्य सरकारों के द्वारा वितरण करने का निर्णय किया गया है। जब तक ये निगम बिक्री के बाद मरम्मत के लिये अपनी वर्क-शापें स्थापित नहीं कर लेते तब तक के लिए उन्होंने विद्यमान वर्कशापों तथा ट्रैक्टरों के आयातकों को ट्रैक्टरों की अपेक्षित सेवा के लिए नियुक्त किया है। देशमें बने कृषि के लिए वीलड ट्रैक्टरों के मूल्य में कानूनी नियंत्रण है। फालतू पुर्जों की मात्रा अधिक होती है इस लिए उनके मूल्यों पर कानूनी तौर का नियंत्रण रखना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

पटसन की खेती

*1158. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि कच्चे पटसन की सप्लाई कम है तथा इसके मूल्य अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानतः कितनी कमी है।

(ग) गत दो वर्षों में (एक) पटसन की खेती को बढ़ावा देने (दो) पटसन का आयात करने (तीन) पटसन मिलों को कच्चे पटसन के मूल्य के लिए राज सहायता देने हेतु, ताकि वे प्रतियोगी मूल्यों पर उसका निर्यात कर सकें, क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1968-69 की पटसन की फसल के क्षेत्र ओर उत्पादन के अनुमानों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः कमी की सीमा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) अनेकों कदम उठाये जाने के कारण पटसन मिलों को कच्ची पटसन के सम्भरण की स्थिति कुछ सुधर गई है ।

विवरण

पटसन उत्पादन को बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने की दृष्टि से भारत सरकार ने पटसन सम्बन्धी केन्द्रीय और प्रायोजित योजनाओं की मंजूरी दी है (1) पटसन तथा मेस्टर की फसलों पर यूरिया का छिड़काव (2) धोलिया का छिड़काव के लिये कम शक्ति वाली मशीनों का राज्यसहायता का वितरण (3) सुधरी हुई रेटिंग टैंक सुविधाओं की व्यवस्था (4) पटसन सम्बन्धी विशेष पैकेज कार्यक्रम (5) पटसन के सुधरे हुये प्रभावित बीजों की विक्री में राज्य सहायता (6) उड़ीसा के सिंचित क्षेत्रों में पटसन और मेस्टा का क्षेत्र प्रदर्शन (7) पटसन तथा मेस्टा फसलों पर विमानों द्वारा यूरिया का छिड़काव ।

1967-69 में पटसन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था और उस मौसम में इसके आयात की अनुनति नहीं दी गई थी । 1968-69 के मौसम में विश्व में फाइबर की कमी को देखते हुए पटसन तथा पटसन वस्तुओं की 'बफर स्टाक' संस्था द्वारा सारा आयात कराया गया था । पटसन आयुक्त की सिफारिश पर 21.59 करोड़ रुपये के मूल्य की पटसन/मेस्टा की 6,24,020 गांठों के आयात की अनुमति दी गई थी ।

पटसन मिलों को लम्बी पटसन पर 50 रुपये प्रतिटन और थाई मेस्टा और 13 जून, 1966 से 31 मार्च, 1967 के बीच आयात की गई पटसन की कतरन पर 250 रुपये प्रतिटन के हिसाब से राज्यसहायता दी गई । अब पटसन और मेस्टा के आयात पर राज्य सहायता नहीं दी जाती है ।

कम्पोस्ट खाद बनाने का कारखाना

*1159. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्तर्गत देश में सरकारी क्षेत्र में कम्पोस्ट खाद बनाने के कारखाने स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों की स्थापना से क्या लाभ होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चौथी योजना में 'कम्पोस्ट' कारखाने खोलने के लिये केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा परिचालित कोई योजना नहीं है। फिर भी सरकार यह सिफारिश करती रही है कि इच्छुक नगर निगम/पालिका मार्गदर्शी आधार पर कम्पोस्ट कारखाने स्थापित करें। कुछ नगर निगमों ने, जैसे दिल्ली, बम्बई, पूना, नागपुर और अहमदाबाद इस प्रकार के कारखाने स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। इन निगमों को इस कार्य के लिये वाणिज्य बैंकों से धन प्राप्त करने की सलाह दी गई है। यदि कोई वाणिज्य बैंक परियोजना के लिये धन देता है तो कृषि पुर्नवित्त निगम भी इस स्थिति में हो सकता है कि वह ऐसे बैंक को पुर्नवित्त सुविधाएं बढ़ा दे। मैसूर सरकार तथा दिल्ली प्रशासन ने भी अपनी चौथी योजना में बंगलौर तथा दिल्ली नगर निगमों को 'कम्पोस्ट' कारखाने खोलने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी है।

(ख) यान्त्रिक 'कम्पोस्ट' बनाने की प्रक्रिया से बड़े नगरों को कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह योजना ऐसे नगरों के लिये विशेषकर उपयोगी है जिनमें जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि कूड़ा करकट डालने के लिये स्थान ही नहीं रहे हैं। इसकी स्थापना मध्य भाग में तथा कम बसे क्षेत्र में हो सकती है जिससे लम्बी ढुलायी से तथा बार-बार इस काम के लिये नया स्थान ढूंढने की दिक्कत से बचा जा सके। बहुत सी गन्दे पानी की नालियों पर अधिक भार पड़ने के कारण मल आदि को बहाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। यांत्रिक कम्पोस्ट कारखाने इस समस्या को दूर करके मूल्यवान खाद का उत्पादन कर सकते हैं तथा भारी वात निपेक्षी पाचित्रों (an-aerobic digesters) तथा स्लज ड्राइंग बैडों की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार मलादि को ठिकाने लगाने पर आने वाली लागत में भी कमी आ सकती है। यदि बड़े नगरों में कम्पोस्ट बनाने की योजना को प्रोत्साहन देना है तो इसकी पुरानी विधि उपयोगी नहीं होगी। केवल यांत्रिक कम्पोस्ट ही प्रभावोत्पादक हो सकता है। इससे केवल नगर के कूड़े करकट का स्वास्थ्य के अनुकूल निबटारा ही नहीं होगा अपितु इससे देश को बढ़िया किस्म का भारी मात्रा में खाद भी प्राप्त होगा तथा इसका रासायनिक उर्वरक के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। यांत्रिक कम्पोस्ट बनाने के अन्य लाभ भी हैं जो इस प्रकार हैं :

(i) बदबूरहित सफाई नियंत्रण के उपाय।

(ii) शुष्क तथा वर्षा दोनों मौसमों में कार्य होते रहना।

(iii) बेकार वस्तुओं जैसे, धातु, शीशा और चिथड़े आदि का इकट्ठा होना।

(iv) बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छे प्रकार के कम्पोस्ट का बनना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में खाद्यान्न उगाने वाले क्षेत्र में कमी होना

*1160. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में खाद्यान्न उगाने वाले क्षेत्र में बहुत कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उगाने वाले क्षेत्र में इस प्रकार की कमी और उत्पादन में सम्भावित कमी का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में खाद्य सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). उत्पादन और क्षेत्र के बारे में पक्के अनुमान कृषि की समाप्ति के पश्चात ही उपलब्ध हो सकेंगे। यह समाप्ति किसी समय जुलाई और अगस्त, 1969 में होगी। प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, 1967-68 की तुलना में 1968-69 में राजस्थान में खाद्यान्नों के अधीन क्षेत्र कम हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की मांग और नियमित की गई मात्रा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राजस्थान सरकार ने जनवरी, 1969 में 73.9 हजार टन तथा फरवरी, 1969 में 55.0 हजार टन खाद्यान्न के दिये जाने की मांग की। मार्च, 1969 और अप्रैल, 1969 के लिये कोई मांग नहीं की गई है। जनवरी, 1969 से लेकर राजस्थान को दिए गये खाद्यान्न का ब्योरा निम्नलिखित है :

(संख्या '000' टनों में)

	गेहूं	माइलो	मक्का	जुआर	कुल जोड़
जनवरी 1969	22.2	10.0	—	10.0	42.2
फरवरी 1969	35.0	5.0	5.0	10.2	55.2
मार्च 1969	35.0	—	—	10.0	45.0
अप्रैल 1969	35.0	—	—	—	35.0

भारत में मत्स्य पालन के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

*1161. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में मत्स्य पालन और फार्म के विकास के लिये दो परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) परियोजनाओं को कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) प्रस्तावित परियोजनाओं से क्या लाभ होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् ने दक्षिण-पश्चिमी तट पर गम्भीरसागरीय मत्स्य पालन जांच पड़ताल के लिये जनवरी, 1969 में 20,18,800 डालर की राशि के नियतन की मंजूरी दी है। कार्यान्वियन की योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता के लिये कोई भी फार्म परियोजना नहीं है।

(ख) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) कार्यान्वियन की योजना को अन्तिम रूप दिये जाने और उस पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त ही परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा।

विवरण

सरकार ने यहां समुद्र में मछली के (मैकोल, सारदीव आदि) साधनों की क्षमताओं की जांच की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए फरवरी, 1968 में संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम मछली मिशन को आमंत्रित किया था। समुद्र से निकाली जाने वाली मछलियों का 30 प्रतिशत भाग इन मछलियों का होता है। मत्स्यपालन क्षेत्र कोचीन और रत्नगिरी के बीच तंग तटवर्ती क्षेत्र तक सीमित है और यहां मछलियों में तेजी से वृद्धि अथवा कमी होती रहती है। मछलियों को तट पर परम्परागत इन तरीकों से पकड़ा जाता है।

मिशन का विचार था कि इन साधनों के विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए इन साधनों सम्बन्धी विद्यमान जानकारी अपर्याप्त है और उसने सुझाव दिया था कि सर्वप्रथम सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और यदि सर्वेक्षण से यह पता लगे कि मछलियों का पर्याप्त भण्डार है तो आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन तथा उनको तैयार करने सम्बन्धी उद्योग का विकास करने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं। परियोजना पर लगभग 21.43 मिलियन रुपये व्यय होंगे। इसमें से भारत सरकार 7.92 मिलियन रुपये देगी।

सर्वेक्षण कार्य भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट तक ही सीमित होगा और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2 नौकाएं, उपकरण तथा विशेषज्ञ दिये जायेंगे जबकि भारत अन्य कर्मचारी भूमि-इमारत, चल व्यय तथा स्थानीय लागत का भार वहन करेगा। सर्वेक्षण कार्य पांच वर्ष तक होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् ने जनवरी, 1969 में अपनी बैठक में इस परियोजना के लिए 20,18,800 डालर मंजूर किये हैं।

प्रस्तावित सर्वेक्षण के फलस्वरूप गम्भीरसागरीय साधनों के उपलब्धता सीमा तथा स्थान के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध होगी। सर्वेक्षण के दौरान इन किस्मों की मछलियों को पकड़ने के लिये निकाले गये सुधरे हुए तरीकों की जानकारी मत्स्य पालन उद्योग को उपलब्ध की जायेगी। मछली पकड़ने के स्थान निर्धारित करने, सर्वेक्षण तथा मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त योजना की सफलता से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यक्रम के विस्तार और मछली साफ करने के उद्योग के विकास के लिए भी मार्ग खुलेगा।

अब जबकि शासी परिषद् ने इस परियोजना की मंजूरी दे दी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का दूसरा कदम भारत सरकार को कार्य संचालन की योजना का विस्तृत प्रारूप से भेजना होगा जिसमें परियोजना की क्रियान्वित सम्बन्धी शर्तें होंगी। कार्य संचालन योजना की भारत सरकार द्वारा जांच की जायेगी और इसकी मंजूरी की सूचना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को भेज दी जायेगी। दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित शर्तों या सहमत हो जाने के पश्चात कार्य-संचालन की अन्तिम योजना पर हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे और परियोजना का क्रियान्विति का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में बाजरे की बजाय ज्वार की सप्लाई

*1162. **डा० कर्णी सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में बाजरे के स्थान पर ज्वार सप्लाई की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि राजस्थान का मुख्य आहार बाजरा है, ज्वार नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में बाजरे का आवंटन बढ़ाने के बारे में सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). यह सच है कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग प्रायः बाजरा खाता है लेकिन वे अन्य खाद्यान्न भी खाते रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के पास बाजरे का जितना भी स्टाक उपलब्ध था, वह राजस्थान को अक्तूबर, 1968 में आवंटित कर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार बाजरा अधिप्राप्त नहीं कर रही है लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश

मध्य प्रदेश और मैसूर से राजस्थान को बाजरा भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और खुले बाजार में बाजरा उपलब्ध है। राज्य सरकार को अन्य खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्राएं आवंटित की गई हैं। सूखे और कमी के दौरान सरकार का प्रयत्न यथासम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्न सुलभ करना रहेगा और सरकार इस बात से सहमत नहीं हो सकती है कि यह सप्लाई क्षेत्र में लोगों द्वारा प्रयुक्त अनाज की सप्लाई तक सीमित होनी चाहिए।

कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का विनियोजन

*1163. **श्री क० लकप्पा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री भविष्य निधि की राशि के विनियोजन के सम्बन्ध में 2 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी मण्डल द्वारा भविष्य निधि की राशि के भविष्य में विनियोजन के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क). जी हां।

(ख) न्यासी बोर्ड चाहता था कि वर्ष 1969-70 के लिए छूट प्राप्त तथा छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों की कर्मचारी भविष्य निधि की राशि के विनियोजन में सुधार किया जाना चाहिए ताकि विनियोजन का 50 प्रतिशत अल्प-बचतों समेत केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य गारंटीकृत प्रतिभूतियों में विनियोजित हो वर्ष 1969-70 के लिये छूट प्राप्त तथा छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिये विनियोजन की निम्नलिखित पद्धति निर्धारित की गई है :

(i) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	50 प्रतिशत से कम नहीं।
(ii) बकाया राशि-राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई और जारी की गई प्रतिभूतियों, अल्प-बचतों तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत अल्प प्रतिभूतियों में।	

पश्चिम बंगाल में चने की बिक्री

*1164. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में भारतीय खाद्य निगम को पश्चिम बंगाल के बाजारों में चना, चने की दाल आदि की बिक्री से हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) इस हानि के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). निगम के सारे कारोबार के बारे में व्यापारिक परिणामों का संचलन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है न कि प्रादेशिक आधार पर, क्योंकि निगम के कार्य-चालन के तरीकों के अनुसार क्रय-विक्रय सम्बन्धी सौदे अधिकांशतः अन्तर्देशीय आधार पर होते हैं।

Wages of Beedi Workers

*1165. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a disparity in the Wages paid to the Beedi workers in the various States in the country ;

(b) if so, the minimum and maximum rates of wages fixed for the Beedi workers in various States ;

(c) whether Government are considering over any proposal for fixing uniform wages to these workers in the entire country ;

(d) if not, whether Government propose to appoint a Wage Board in this connection ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes.

(b) A statement showing the rates of minimum wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948 for rolling 1,000 bidis is placed on the Table of the Sabha. [**Placed in Library. See No. LT-787/69**]

(c) The question of disparities in the minimum rates fixed for the Bidi Industry was considered by the Government at a meeting with the State Labour Ministers held in December 1967. The meeting took the view that it may not be possible to have one uniform minimum wage in all the States concerned but that an attempt should, however, be made to reduce the existing disparities gradually, special attention being paid to border areas in the States concerned. It was also decided to set up a Standing Committee of Labour Ministers to provide policy guidance in the matter of reducing disparities in the Minimum wages and for looking into complaints, if any, of migration of the industry from one State to another arising from

such disparity. With that end in view a meeting of Southern Zonal Committee of State Labour Ministers was held in November, 1968. It is proposed to hold another meeting of the Southern Zonal Committee of State Labour Ministers was held in November, 1968. It is proposed to hold another meeting of the Southern Zonal Committee on the 3rd May, 1969. Meetings for other Zones are also proposed to be held.

(d) and (e). The Government consider that the problems relating to wages in this industry are better dealt with through the steps indicated in the answer to part (c) above rather than through the formation of a Wage Board.

भारत सेवक समाज के मामलों की जांच

*1166. **श्री मधु लिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज के मामले की जांच करने के लिये नियुक्त कपूर जांच आयोग के निर्देश-पदों में भारत सेवक समाज को राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान तथा ऋण शामिल नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा भारत सेवक समाज के बारे में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(ग) राज्यों द्वारा दी गई सहायता तथा ऋणों को निर्देश-पदों में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों द्वारा दी गई सहायता तथा ऋण भी निर्देश-पदों में शामिल करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) कपूर जांच आयोग के निर्देश-पदों में भारत सेवक समाज को राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुदान तथा ऋण शामिल नहीं हैं।

(ख) बिहार सरकार ने अभी तक केन्द्रीय सरकार का ध्यान भारत सेवक समाज के बारे में बिहार लोक लेखा समिति की किसी टिप्पणी की ओर नहीं दिलाया है।

(ग) भारत सेवक समाज को राज्य सरकारों से जो वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है उसका लेखा उसने राज्य सरकारों को देना है और केन्द्रीय सरकार को नहीं। अतः इस बात का निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों को करना है कि क्या इस प्रकार के लेखों की जांच की जानी चाहिए।

(घ) जी नहीं।

केरल में भोपला खाड़ी मछली पकड़ने का बन्दरगाह

*1167. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने भोपला खाड़ी मछली पकड़ने के बन्दरगाह पर एक घाट के निर्माण के लिये 5.95 लाख रुपये का प्राक्कलन प्रशासनिक तथा तकनीकी अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भोपला खाड़ी पर उतारने और घाट लगाने की सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये कई कार्य शुरू किये गये हैं और फरवरी-मार्च, 1968 में 18.455 लाख रुपये की राशि की मंजूरी जारी की गई थीं। केरल सरकार से भोपला खाड़ी पर घाट बनाने के लिये 5.95 लाख रुपये के अनुमान प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अग्रिम परियोजनाएं

*1168. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, जिनमें प्रतिवर्ष यही समस्या उत्पन्न हो जाती है, अग्रिम परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) ये परियोजनायें किन-किन क्षेत्रों में आरम्भ की गई है और इनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आम तौर पर अभावग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में चिर लाभ के उपयुक्त कार्यक्रमों की क्रियान्वित का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है, ताकि सूखे को रोका जा सके और इसके कुप्रभावों को कम से कम किया जा सके। इस समस्या के हल के लिये बहुमुखी उपायों की आवश्यकता है। पहला और तत्काल कार्य चिरकालिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का 'क', 'ख', और 'ग' श्रेणियों में वर्गीकरण करना था जिसका आधार यह होना था कि क्या उस क्षेत्र में तीन वर्ष, छः वर्ष अथवा दस वष में एक बार फसल नहीं हुई है। 'क' श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को इन क्षेत्रों की 'हार्ड कोर' समझा जाना है और इनमें सर्वप्रथम कार्यवाही की जानी है।

2. धनाभाव के कारण, यह निर्णय किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में चिरकालिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की 'हार्ड कोर' में ऐसे क्षेत्र में, जो एक औसत जिले से बड़ा न हो, 1968-69 में अग्रिम परियोजनाएं चालू करके शुरुआत की जाय। इस योजना के अन्तर्गत, यह प्रस्ताव किया गया था कि भूमिगत जल और खनिज संसाधनों, लघु सिंचाई योजनाओं, मिट्टी और जल संरक्षण-कार्यों, वनीकरण और चरागाहों के विकास की जांच की जाय। बताये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए और केन्द्रीय विशेषज्ञों के एक छोटे दल द्वारा आवश्यकताओं के मौके पर अनुमान के आधार पर राज्यों को ठोस योजनाएं तैयार करनी थीं।

3. 30.31 लाख रुपये की लागत वाली लघु सिंचाई और भू-संरक्षण की दो योजनायें 1968-69 में आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में 'हार्ड कोर' के क्षेत्रों के 11 तालुकों में चालू की गई हैं इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता प्रमाणीकृत तरीके के अनुसार मंजूर की गई है। इन योजनाओं का ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उपरोक्त योजनाओं की क्रियान्वित के परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष हाल में ही समाप्त हुआ है।

4. राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के निर्णय के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गई है। तथापि राज्यों को केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग विशेष समस्याओं के लिये, जैसे कि चिरकालिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों आदि, चौथी योजना की अवधि में उपलब्ध होगा।

आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में चिरकालिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये 1968-69 में मंजूर की गई योजनायें

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	1968-69 के लिये प्रस्तावित परिव्यय
1	2
(एक) **लघु सिंचाई**	
(1) **तालाबों को ठीक करना**	
1. टूटे हुए आबुलापुरम टैंक, कल्याणदुर्ग तालुक, को ठीक करना।	
2. बांका के पार, रायदुर्ग तालुक, में एक नया टैंक बनाना।	
3. डोड्डागोड्डा टैंक, रायदुर्ग तालुक को पानी पहुंचाने के लिये हागड़ी नदी से सप्लाई चैनल की खुदाई।	
4. टूटे हुए माभिल्ला चेरुबू, गूटी तालुक को ठीक करना।	
5. टाट पत्री ताल्लुक (सिंगाना-गुट्टापल्ली गांव) में एक नया टैंक बनाना।	12.21
6. रायदुर्ग ताल्लुक में वांका पर एक नया टैंक बनाना	
7. वादपत्री ताल्लुक (भचकोटा गांव) में एक नया टैंक बनाना	
8. वादपत्री ताल्लुक में बेंगानूर टैंक को पानी पहुंचाने के लिये कोंडापल्ली और वेंगानूर वांकों से सप्लाई चैनल बनाना	
(2) लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए ए० पी० सी० सी० एल० एम० बी० के सामान्य ऋणपत्रों में राज्य सरकार द्वारा विनियोजन	10.00
(दो) **भू संरक्षण**	
दो भू संरक्षण एककों की स्थापना	8.10
कुल	30.31
अथवा लगभग 30 लाख रुपया	

ट्रैक्टरों का आयात

*1169. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में किस मेक के, कितनी अश्व शक्ति के कितने कृषि ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के कृषि ट्रैक्टरों की बीमा भाड़ा सहित लागत कितनी है ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों का पहले आयात किया गया था और सरकारी केन्द्र में इनकी जांच की गई थी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर किसी एक मामले में अथवा कई मामलों में नकारात्मक हो तो इन ट्रैक्टरों की जांच तथा परीक्षण किये बिना ही इन ट्रैक्टरों को आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण थे और इनका आयात करने की किस पदाधिकारी ने सिफारिश की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

ट्रैक्टर का प्रकार	अश्व शक्ति	संख्या	प्रतिट्रैक्टर मूल्य रुपये
डी० टी०—14 बी०	14	6,000	6050 (लागत बीमा भाड़ा सहित)
वायलारस एम० टी० जैड एम० एस०	50	500	12785*(„ „)
जेटर—2011 (1000 ट्रैक्टरों की प्रथम गट्टी)	20	5000	9097 (जहाज तक निःशुल्क)
(4000 ट्रैक्टरों की दूसरी गट्टी	—	—	9272‡(„ „)
आर० एस०—09	20	3000	10600 (लागत बीमा भाड़ा सहित)
सुपर यू० टी० ओ०	50	500	15500 („ „)

(ख) और (ग). जेटर—2011 तथा आर० एस०—09 ट्रैक्टरों का बुदनी में स्थित ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र में परीक्षण कर लिया गया है तथा इसके कुछ समय पश्चात् डी० टी०—14 बी, बायलेरस एम० टी० जैड तथा सुपर यू० टी० डी ट्रैक्टरों का देश में आयात किया था और उनका कार्य सन्तोषजनक पाया गया था ।

दूर संचार के लिए सभी प्रकार के केबलों की आवश्यकता

*1170. **श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में दूर संचार के लिए सभी प्रकार के केबलों की कुल

*600 रुपये प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से विशेष छूट देकर मूल्य निर्धारित ।

‡मूल्यों में यह घट बढ़ सुएज पर अधिप्रभार तथा संभारकों द्वारा ट्रैक्टरों में कुछ और सुधार करने के कारण है ।

आवश्यकता का निर्धारण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना की अवधि के लिए विभिन्न प्रकार के दूरसंचार केबिल की आवश्यकता का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :—

(i) स्थानीय केबिल — 53,000 लाइन किलोमीटर

(ii) सहधुरीय केबिल — 7,000 किलोमीटर

Reports of Communications etc.

6625. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the names, dates of publication, languages in which the published, prices and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and subordi nate institutions and organisations during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-788/69]**

वनस्पति में रंग मिलाना

6626. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति में रंग मिलाने सम्बन्धी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार के खाद्य-वैज्ञानिकों द्वारा वनस्पति निर्माताओं के प्रभाव के कारण पर्याप्त स्थायी रंग उत्पन्न करने वाला कोई भी रसायन नहीं खोजा जा सका है; और

(ग) शीशम का तेल, जिससे वनस्पति के कुछ रंगीन हो जाने की आशा की जाती है, का प्रतिशत निर्धारित करने के लिये बोडोइन परीक्षण द्वारा वनस्पति की जांच करने के लिये सरकार द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) (1) समिति ने रतनजोत और हल्दी रंग सहित बहुत अधिक रंगों की जांच की लेकिन इस उद्देश्य के लिए उनमें से कोई भी रंग या तो उष्मा अथवा सुगमता से उपलब्ध होने वाले रसायनों (उदाहरणार्थ वाशिंग सोडा, बलीचिंग अरथ आदि) से उपचार करने पर उनकी क्षणभंगुरता या विषाक्तता या दोनों के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

(2) खाद्य पदार्थों में संयोज्य के प्रयोग के बारे में इस देश तथा विदेशों में अत्यधिक विवशतापूर्ण परिस्थितियों के अधीन ऐसा करने को छोड़कर सामान्य वैज्ञानिक राय विपरीत है। वनस्पति के बारे में मिलावट का पता लगाने के लिए तिल (शीशम) के तेल द्वारा अप्रकट रंग मिलाने का वैकल्पिक तरीका पहले ही उपलब्ध है।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) की दृष्टि में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वनस्पति में रंग मिलाना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है और घी में वनस्पति के मिलाने को रोकने या अत्यधिक कम करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने चाहिये। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गयी है।

(1) वनस्पति में तिल (शीशम) के तेल की विहित मात्रा की स्थिति का पता लगाने के लिए निर्माता तथा विपणन दोनों अवस्थाओं पर वनस्पति के निरीक्षण और जांच-पड़ताल का काम तेज कर देना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में बिकने वाले सारे वनस्पति घी बोडोइन-टैस्ट के अनुरूप हों।

(2) बाजार में बिकने वाले घी के बड़े पैमाने पर नमूने लेने और नेगेटिव बोडोइनटैस्ट द्वारा जैसा प्रतिबिम्बित हो वनस्पति में मिलावट न होने देने के लिए पग उठाने चाहिये।

(3) अपमिश्रण निवारण सम्बन्धी कानूनों को और अधिक सक्रियता से लागू किया जाना चाहिये।

(4) घी को छोटे डिब्बों में बेचने की तरजीह दी जाने चाहिये और उन पर एगमार्क सील लगी होनी चाहिये।

(ख) यह ठीक नहीं है।

(ग) सरकारी निरीक्षक समय-समय पर कारखानों का अचानक दौरा करते हैं और कारखानों के पास रखे वनस्पति के स्टाक के नमूने लेते हैं। बाद में इन नमूनों की बोडोइनटैस्ट सहित विहित गुण मानकों के प्रति अनुरूपता जानने के लिए विश्लेषण किया जाता है।

एगमार्क घी में मिलावट

6627. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एगमार्क घी में कितने प्रतिशत उपमिश्रण करने की कानूनी अनुमति है तथा उन चीजों के नाम क्या हैं जिनका उपयोग उपमिश्रण के लिये किया जाता है; और

(ख) पिछले वर्ष घी के कितने नमूनों की जांच की गई तथा कितने अभियोग चलाये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुछ नहीं।

(ख) 1968 के दौरान विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की ग्रेडिंग और क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोग शालाओं में परीक्षित घी के नमूनों की संख्या 10,059 थी, जिनमें घी के 2137

चेक नमूने थे और बाकी 7922 घी के पिछले नमूने थे। दो उपबन्धों (i) प्रीवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954, और (ii) दी एग्रीक्लचरल प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एन्ड मार्केटिंग) एक्ट, 1937 के अन्तर्गत अभियोजन शुरू किये गये हैं। प्रीवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 के अन्तर्गत शुरू किये गये अभियोजनों की संख्या के बारे में आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। एग्रीक्लचरल प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एन्ड मार्किटिंग) एक्ट, 1937 के अन्तर्गत गत वर्ष कोई अभियोजन नहीं किया गया।

कृषि उपज के लिये टेलीविजन की योजना

6628. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन पर प्रशिक्षण द्वारा कृषि उपज में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोगिक टेलीविजन परियोजना के बारे में किये गये अध्ययन का संक्षिप्त विवरण क्या है;

(ख) टेलीविजन पर प्रशिक्षण का यह प्रयोग कहां पर किया गया और इससे कितने किसानों ने लाभ उठाया तथा विनोद और मनोरंजन के अतिरिक्त उनको क्या व्यावहारिक लाभ हुआ;

(ग) ग्रामीण टेलीविजन प्रणाली द्वारा कृषि के आधुनिक तरीकों के बारे में कृषकों को प्रशिक्षण देने की क्या संभावना है तथा क्या इसका उपयोग करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक कृषि टेलीविजन कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी कृषि दर्शन कार्यक्रम के नाम से पुकारती है, 26 जनवरी, 1967 को प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया। यह प्रायोजना चार सरकारी एजेन्सियों का एक संयुक्त उद्यम है—अणु-शक्ति विभाग, जिसने टेलीविजन सेटों का प्रबन्ध किया है; आकाशवाणी जिसने कि टेलीकास्ट्स उत्पन्न किये हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि कार्यक्रम तैयार करने के लिये तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञों का प्रबन्ध करती है; और दिल्ली प्रशासन जिस पर कि टेलीक्लबों के संगठन का उत्तरदायित्व है। टेलीविजन सैट्स दिल्ली के इर्द-गिर्द दिल्ली टेलीविजन ट्रांसमीटर के 23 मील के दायरे में 80 गांवों में लगाये गये हैं। दिल्ली के पांचों विकास खण्डों में सैट्स लगाये गये हैं। इस कार्यक्रम के प्रभावी होने के बारे में 1968 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने एकविस्तृत अध्ययन किया था, उसके अध्ययन की एक संक्षिप्त रूपरेखा संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 789/69]

इस विशेष अध्ययन में सुधरी हुई प्रणालियों के अडाप्टर की आवत्ति निम्नलिखित थी।

सुधरे तरीकों के आडप्टरज की संख्या

कार्यक्रम का विषय	परीक्षण ग्रुप		नियंत्रण ग्रुप		एक्स मूल्य
	ए०	अन० ए०	ए०	अन० ए०	2
1. भाड़ों का रासायनिक नियंत्रण	42	58	11	89	24.6*
2. रासायनिक उर्वरक	99	1	92	8	3.0
3. गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में	82	18	55	45	16.9*
4. उर्वरक का कम प्रयोग	16	84	2	98	11.9*

रासायनिक उर्वरकों के कार्यक्रम के सिवाये बाकी तरीकों के लिये नियंत्रण के ग्रुप की संख्या की तुलना में परीक्षणार्थ ग्रुपों के आडाप्टरज की संख्या काफी अधिक है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विस्तार प्रभाग ने भी इसी प्रकार का एक अध्ययन किया था, जिससे भी यही विदित हुआ कि नये तकनीकों को कृषकों तक पहुंचाने के लिये और इन सन्देशों को ग्रामीण महिलाओं तक ले जाने में टेलीविजन एक अति सुदृढ़ साधन है ।

(ख) यह प्रायोजना केन्द्रीय शासित क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के लगभग कुल 300 गांवों में से जहां बिजली है, 80 गांवों में टेलीविजन सेट लगाये गये। इन प्रत्येक 80 गांवों में 'टेलीक्लबों' का संगठन किया गया जिनकी सदस्य संख्या लगभग 40 या 50 थी। इस प्रकार कुल 3200 कृषक इस दूर-दर्शन प्रसारण को सक्रिय रूप से देखते हैं और उन पर विचार-विमर्श करते हैं । ग्रामस्तर कार्यकर्त्ता जो इन क्लबों के संयोजनक हैं, वे इन चर्चाओं में भाग लेते हैं । दूरदर्शन प्रसारण प्रत्येक बुद्धवार और शुक्रवार को किये जाते हैं । इन टेलीविजन कार्यक्रमों से कृषकों को व्यवहारिक लाभ यह हुआ है कि उनके आधुनिक कृषि तकनीकी ज्ञान; सुधरे बीजों की किस्मों; उर्वरक का अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग; बहुफसलों को अपनाना और झाड़ों और कीटनाशक औषधियों के प्रयोग में वृद्धि आदि के ज्ञान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । ऊपर भाग (क) में जो संक्षिप्त परिणाम दिये गये हैं उनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि परीक्षणार्थ ग्रुप में से कृषकों की अधिक संख्या यथा इन टेलीक्लबों के कृषकों ने इन सुधरे कृषि तरीकों को अपनाया है, यदि इसकी तुलना नियंत्रण ग्रुप यथा इन टेलीक्लबों के बाहिर के कृषकों से की जाये । दोनों वर्गों में अन्तर तुलनात्मक रूप में उन क्षेत्रों में अधिक देखा गया जहां आधुनिकतम सुधरी कृषि तकनीकों को अपनाया गया, उदारणार्थ झाड़ों का रासायनिक नियंत्रण, अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्में और उर्वरकों का कम प्रयोग । दूसरी ओर उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं था जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्योंकि साधारणतया कृषक उसका पहले से ही काफी प्रयोग कर रहे हैं ।

(ग) पिछले भाग का (उत्तर प्रश्न का भाग ख) स्पष्ट प्रकट करता है कि कृषकों में आधुनिक कृषि तकनीकों के ज्ञान का प्रसार करने के लिये ग्रामीण टेलीविजन एक महत्वपूर्ण और

टिप्पण : ए० : तरीकों के अडाप्टरज; एन० ए०-तरीकों के नान-अडाप्टरज

*एक प्रतिशत स्तर पर महत्व

आकर्षक साधन है। दिल्ली के ग्रामों के लिये ग्रामीण टेलीविजन पथ प्रदर्शक प्रायोजना ने ग्रामीण विकास के लिये टेलीविजन के उपयोग के महत्व को सिद्ध किया है और उससे प्रदर्शित हुआ है देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के ग्रामीण टेलीविजन प्रायोजनाओं के सूत्रपात की जरूरत है। जैसे पहले ही भाग (ख) में कहा गया है, ग्रामीण टेलीविजन कार्यक्रम प्रत्येक बुद्धवार और शुक्रवार को प्रसारित किये जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों की एक कार्यक्रम समिति दूर-दर्शन प्रसारण कार्यक्रम को काफी समय पहले तैयार करती है।

(घ) कृषि दर्शन कार्यक्रमों का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न तकनीकों का कृषकों को प्रदर्शित करना है। कृषि उत्पादन में वृद्धि केवल ऐसी भलीभांति स्थापित और आम लोगों द्वारा अपनाये तरीकों पर ही निर्भर नहीं करती जैसे सुधरे बीजों का और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, परन्तु दूसरों तकनीकों पर भी जिनका अधिक लोगों को ज्ञान नहीं है और जो अधिक सूक्ष्म हैं जैसे सिंचाई का समय, रासायनिक झाड़ नियंत्रण और कुछ और उर्वरकों के डालने के तरीकों और समय में कुछ चतुर तबदीलियां हैं। टेलीविजन पर कृषक वास्तव में देख सकते हैं कि क्या करना है और किस प्रकार किया जाता है और परिणाम भी देख सकता है। क्योंकि कृषि दर्शन ग्रामीण टेलीविजन कार्यक्रम एक चालू रखा जाने वाला कार्यक्रम है, अतः इसके लिये निर्धारित लक्ष्य नहीं है। प्रसारण कार्यक्रम विशेषज्ञ बनाते हैं जो कि कृषि तकनीकों के क्षेत्र में हो रही उन्नति की बदलती हुई जानकारी की जरूरतों को दृष्टि में रखते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

खाद्यान्नों की चोरी

6629. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सरकारी गोदामों से कर्मचारियों द्वारा कितने और किस मूल्य के खाद्यान्न की चोरी की गई तथा उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां चोरी हुई;

(ख) उन कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा मासिक वेतन क्या हैं जो पकड़े गये थे और जिन पर अभियोग चलाया गया था तथा प्रत्येक मामले में परिणाम क्या रहा; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में श्रमिकों को बोनस का भुगतान

6630. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सूती मिलों सहित उन कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होंने श्रमिकों

तथा प्रबन्धकों के बीच हुए करार के अनुसार 1960 से बोनस का भुगतान किया है;

(ख) उन कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस करार का उल्लंघन किया है और बोनस का भुगतान नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार ने नए कारखानों के विरोध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

मध्य प्रदेश में बदली मजदूर प्रणाली

6631. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में काटन मिलों में बदली मजदूर प्रणाली कब से प्रचलित है;

(ख) क्या बदली मजदूरों को भी वही सुविधाएं मिल रही हैं जो स्थायी मजदूरों को मिलती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें स्थायी बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

मध्य प्रदेश में मजदूरों की छंटनी

6632. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के काटन मिलों में पिछले तीन वर्षों में कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) छंटनी किये गये कर्मचारियों की मिल-वार संख्या कितनी है और कौन-कौन सी फर्में इन मिलों का प्रबन्ध चला रही हैं;

(ग) इतनी भारी संख्या में छंटनी किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) छंटनी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

राजमन्ड्री (आन्ध्र प्रदेश) में भाण्डार

6633. **श्री व० व० राजू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में राजमंड्री में केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय भाण्डागार-निगम के भाण्डागारों/गोदामों पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) ये गोदाम रेलवे स्टेशन से कितनी दूर हैं;

(ग) इस समय इन गोदामों में कितना माल है; और

(घ) इन गोदामों की देख-रेख पर तथा इनके कर्मचारियों पर मासिक व्यय कितना होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम का राजामंन्ड्री में अपना कोई गोदाम नहीं है यहां केन्द्रीय भाण्डागार निगम का 20,000 मीटरी टन की क्षमता का एक भाण्डागार है । जून, 1968 तक भूमि की लागत, गोदामों और सहायक बिल्डिगों के निर्माण पर 25.93 लाख रुपये खर्च हो गए हैं । अन्तिम लागत हिसाब-किताब तैयार हो जाने के बाद मालूम होगी ।

(ख) लगभग 5-½ किलोमीटर ।

(ग) मार्च, 1969 को 13,507 मीटरी टन ।

(घ) 1968-69 के दौरान रख-रखाव और मरम्मत पर प्रति मास औसतन 1186.20 रुपये और स्थापना और आकस्मिकता पर 6355.25 रुपये खर्च हुए हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश के लिये अधिक पैदावार वाली किस्मों का कार्यक्रम

6634. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की अधिक पैदावार वाली किस्मों की खेती के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिमरूप दिए जाने के बाद ही मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती के कार्यक्रम के बारे में पता चलेगा ।

त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्वास

6635. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का सीमा पार करके त्रिपुरा में आना अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 में और वर्ष 1969 के पहले दो महीनों में उक्त राज्य में आने वाले ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है और क्या पूर्वी पाकिस्तान में अशान्ति के कारण इन महीनों में शरणार्थियों के आने में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) इस समय त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) त्रिपुरा में अब तक बसाये गये शरणार्थियों की संख्या कितनी है, और कितने शरणार्थियों को अभी बसाना शेष है; और

(ङ) इनके पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं का ब्योरा क्या है तथा वर्ष 1969-70 में कितनी राशि नियत की गयी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1968 तथा जनवरी और फरवरी, 1969 के अन्तर्गत प्रव्रजन के महीनेवार आंकड़ों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 790/69**] विवरण से यह ज्ञात होगा कि मार्च, सितम्बर तथा दिसम्बर, 1968 की तुलना में, जनवरी तथा फरवरी, 1969 के महीनों में प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) फरवरी, 1969 के अन्त तक त्रिपुरा में पंजीकृत किये गये परिवारों की संख्या लगभग 1,13,350 थी जिनमें 5,10,100 व्यक्ति थे । इनमें से नये प्रवासियों के लगभग 4375 परिवार पुनर्व्यवस्थापन के लिये त्रिपुरा से बाहर दण्डकारण्य तथा अन्य परियोजनाओं में ले जाये गये हैं । कुछ अन्य परिवार स्वेच्छा से अन्य स्थानों पर बसने के लिये त्रिपुरा छोड़कर चले गये होंगे ।

(घ) त्रिपुरा में लगभग 74,000 परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है । इस समय 120 परिवार राहत शिविरों या स्वागत केन्द्र में त्रिपुरा से बाहर अन्य स्थानों में, जहां कि उन्हें बसाया जायेगा, भेजे जाने की प्रतीक्षा में है । इसके अतिरिक्त, स्थायी दायित्व के 494 परिवार त्रिपुरा के शिविरों में हैं । त्रिपुरा में एक स्थायी दायित्य गृह स्थापित किया जा रहा है ताकि उसमें 300 परिवारों को संस्थागत देख-रेख तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सकें; शेष को अन्य स्थानों में बसाया जायेगा ।

(ङ) त्रिपुरा में और प्रवासी परिवारों का बसाने का विचार नहीं है ; वे परिवार जो

पहले ही त्रिपुरा के शिविरों में हैं, और जो नये परिवार त्रिपुरा में प्रवेश करेंगे, उन सबको या तो कृषि भूमि पर या अन्य उपयुक्त ढंग से पुनर्व्यवस्थापन के लिये अन्य राज्यों तथा परियोजनाओं, जैसे कि दण्डकारण्य, या महाराष्ट्र के चान्दा जिला में भेजा जायेगा ।

पुनर्वास के लिये राशि का बटवारा परियोजनावार किया जाता है तथा अन्य के साथ इन परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये आवश्यक व्यवस्था उनमें कर दी गई है ।

त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति कृषि उपज

6636. **श्री किरत विक्रम देव बर्मन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं के अन्त में प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन कितना था और वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक तीन वार्षिक योजनाओं में उसमें कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में अखिल भारतीय आंकड़ों के मुकाबले में ये आंकड़े कितने कम अथवा अधिक हैं ;

(ग) उपरोक्त योजनाओं की अवधि में त्रिपुरा में कृषि उपज की औसत दर क्या रही ;

(घ) चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में कृषि उपज की अनुमानित दर कितनी है और उसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ङ) चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक त्रिपुरा की इस सम्बन्ध में कहां तक अखिल भारतीय औसत स्तर तक आने की सम्भावना है और उस समय तक इस राज्य में इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता कहां तक प्राप्त करने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . त्रिपुरा और समस्त देश में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं के अन्त में और 1966-67 और 1967-68 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन चलाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 791/69] । 1968-69 के लिये इसी प्रकार का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विभिन्न योजना अवधियों में त्रिपुरा में खाद्यान्नों के उत्पादन की बढ़ोत्तरी की औसत दर को बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 791/69] ।

(घ) और (ङ). चतुर्थ पंच वर्षीय योजना तैयारी की अन्तिम अवस्था में है और आशा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की आगामी बैठक के बाद इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । कृषि बढ़ोत्तरी की परिकल्पित दर के बारे में विवरण, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही मालूम हो सकेगा ।

रेलवे डाक सेवा दिल्ली में कुलियों की भर्ती

6637. **श्री सूरज भान** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में कमला मार्केट रोजगार दफ्तर, नई दिल्ली द्वारा भेजे गये (केवल मस्टर शैल के प्रयोजनार्थ) लगभग 40 उम्मीदवारों को सीनियर सुपरिटें-डेंट, रेलवे डाक सेवा "डी" डिवीजन, दिल्ली द्वारा नियमित कुलियों के रूप में भर्ती किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभ्यावेदन दिये जाने पर पोस्ट मास्टर जनरल, पंजाब सर्कल ने सीनियर सुपरिन्टेंडेंट, रेलवे डाक सेवा, "डी" डिवीजन, दिल्ली को उपरोक्त अनियमित चयन रद्द करने का निदेश दिया था और उन्हें सेवा से हटाने की स्वीकृत सूची से उनके नाम निकालने के आदेश वास्तव में सीनियर सुपरिन्टेंडेन्ट ने अपने ज्ञापन संख्या बी० 5/रिक्रूटमेंट/क्लास IV/दिनांक 8-7-68 द्वारा जारी किये थे लेकिन उन्हें आज तक भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनियमित चयन तथा उन्हें अब तक नौकरी में रखने के लिये कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, किन्तु केवल 32 व्यक्ति भर्ती किये गये थे ।

(ख) यह निर्णय लिया गया था कि इन कर्मचारियों को उस समय तक न हटाया जाए जब तक जांच समाप्त न हो जाए ।

(ग) जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाई करने का प्रस्ताव है ।

बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक नलकूप

6638. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में कितने प्रायोगिक नलकूप खोदे गये ;

(ख) इस कार्य में कितने प्रतिशत सफलता मिली है ;

(ग) उन राज्यों में वर्ष 1969 में कितने प्रायोगिक नलकूप लगाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) समन्वेषी नलकूप संगठन, जो इस मंत्रालय के अधीनस्थ एक कार्यालय है, देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल योग्य क्षेत्रों को बतलाने के लिये 1955 से भूमिगत जल की खोज

में व्यस्त है । 1967-68 में इस संगठन ने उत्तर प्रदेश राज्य में दो बार और 1968-69 के दौरान एक बार छिद्रण किये । 1967-68 के दौरान बिहार में इस संगठन ने कोई भी समन्वेषी नलकूप छिद्रित नहीं किया । फिर भी भूमिगत जल की खोज एवं समन्वेषण के लिये बिहार के भागों में नीदरलेन्ड्स सरकार की सहायता से इस आयोजना के अन्तर्गत 1968-69 के दौरान 31 समन्वेषी बोर और 6 अवलोकन छिद्रण किये गये ।

(ख) उत्तर प्रदेश में 1967-68 के दौरान छिद्रित बोरों में 50% सफल हुये, जबकि 1968-69 में इस राज्य में शत-प्रतिशत सफलता थी । 1968-69 में बिहार में छिद्रित 31 समन्वेषी बोरों में से लगभग 29 प्रतिशत सफल सिद्ध हुए ।

(ग) 1969-70 के अस्थाई कार्यक्रम के अनुसार समन्वेषी नलकूप संगठन का उत्तर प्रदेश में 6 समन्वेषी बोर, 2 अवलोकन छेद और बिहार में 7 समन्वेषी, बोर और 2 अवलोकन छेदों को छिद्रित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त संगठन का प्रस्ताव है कि अवशिष्ट अपूर्ण कार्य जो नीदरलेन्ड्स सरकार के सहयोग से पहले ही बिहार में चालू कर दिया गया है को जारी रखते हुए 1969-70 के दौरान 26 बोरो को छिद्रित किया जाय ।

चौथी योजना के दौरान शीतागार (कोल्ड स्टोरेज)

6639. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार शीतागारों पर बहुत अधिक धनराशि व्यय करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(ग) क्या शीतागारों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी लोगों को ऋण देने की सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). (1) राज्य सरकारों ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मत्स्य शीतिकरण संयत्रों की स्थापना के लिये 105.84 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों की राज्य सरकारों के परामर्श से जांच-पड़ताल की गई थी और सामान्यतः कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिये गये थे ।

(2) डेरी संयत्रों में शीत भंडारण की व्यवस्था ऐसे संयत्रों के लिये किये गये इकमुश्त प्रावधान में कर दी गई है, क्योंकि शीतागार डेरी संयंत्र का ही अनिवार्य अंग है ।

(3) चतुर्थ योजना के संबंध में राज्यों के साथ हुये परामर्श की अवधि में विभिन्न राज्यों में 45 सहकारी शीतागारों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया, और जिसके लिये राज्य सरकारों द्वारा सहकारी क्षेत्र में राज्य योजना स्कीमों के अन्तर्गत 258.75 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है । चतुर्थ योजना (1969-70) के प्रथम वर्ष की अवधि में राज्य

सरकारों ने सहकारिता के क्षेत्र में 8 शीतागारों की स्थापना के लिये 44.50 लाख रुपये का प्रस्ताव किया है ।

(ग) गैर-सरकारी पक्षों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा बहुत-सी राज्य सरकारों द्वारा ही निश्चित की जाती हैं । चतुर्थ योजना में सहायता का क्या रूप होगा, इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कलकत्ता में अतिशक्तिशाली (सुपर पावर) ट्रांसमीटर

6640. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में लगाये जा रहे अतिशक्तिशाली ट्रांसमीटर सम्बन्धी कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) जी, नहीं । निर्धारित कार्यक्रम का काम सितम्बर-अक्टूबर, 1968 में पूरा होना था परन्तु अब इसके जुलाई, 1969 में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) उपकरणों की प्राप्ति, सिविल कार्य के निर्माण तथा बड़ी मात्रा में बिजली की उपलब्धि में देरी, ये धीमी प्रगति के कारण हैं ।

सीमा सम्बन्धी प्रचार दल का प्रतिवेदन

6641. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सम्बन्धी प्रचार दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं और प्रतिवेदन को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रिपोर्ट देने में देर नहीं हुई । सीमा सम्बन्धी प्रचार अध्ययन दल के पास अपने काम को पूरा करने के लिए अभी $6\frac{1}{2}$ महीने शेष हैं ।

Photograph Depicting Refugee Problems of Second War

6642. **Shri Om Prakash Tyagi: Shri Ram Swarup Vidyarthi: Shri Narain Swarup Sharma: Kumari Kamala Kumari:**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn towards a photograph published by the Israeli Consulate, 50 Podar Road, Bombay-26 in which the refugee problem after the Second War has been depicted and according to the photograph the number of refugees in India has been shown as eighty-five lakhs and in Pakistan one crore and sixty-five lakhs;

(b) if so, whether these figures are correct according to the information available with Government; and

(c) if not, the reaction of Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (c). It is understood that a folder was published by the Israeli Consulate, Bombay about two months back in which the number of refugees who migrated to India in 1947 following partition has been given as eighty-five lakhs and those to Pakistan has been given as sixty-five lakhs. It has been added in the said folder that the number of refugees according to the Government of Pakistan was one crore.

The number of persons who have migrated to India so far, according to the records maintained by the Department of Rehabilitation, is about ninety-eight lakhs. Government have no information regarding the number of persons who migrated to Pakistan.

Forest Wealth Survey Report of Food and Agriculture Organisation

6643. **Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri S. S. Kothari: Shri Brij Bhushan Lal: Shri Suraj Bhan: Shri Jagannath Rao Joshi:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the 'Report of Forest Wealth Survey' by the Food and Agriculture Organisation of United Nations Organisation has been received;

(b) if so, the main recommendations made therein;

(c) whether recommendation to set up a rayon manufacturing factory in Bastar (Madhya Pradesh) has been made in that report; and

(d) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No Report of "Forest Wealth Survey" has been received, as no such survey was contemplatd. However, it may be mentioned here that with the collaboration of UNDP/FAO a Project-Preinvestment Survey of Forest Resources was implemented by the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. Its final report is still awaited from the FAO.

(b) to (d). Do not arise.

Crop Production

6644. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Ram Gopal Shalwale: **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Ranjit Singh: **Shri Suraj Bhan:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the difference between the actual production and the targets of production of the last two crops;

(b) the reasons therefor; and

(c) the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The figures of targets and achievements and the differences between them in respect of the production of principal crops during 1966-67 and 1967-68 are given below.

		1966-67			1967-68		
Crop	Unit	Target	Achievement	Shortfall (col. 3 minus col. 4)	Target	Achievement	Shortfall (col. 6 minus col. 7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Foodgrains	Million tonnes	97.00	74.23	22.77	100.00	95.59	4.41
Oilseeds	—do—	9.69	6.43	3.46	9.00	8.24	0.76
Sugarcane (Gur)	—do—	12.69	9.50	3.49	12.00	9.96	2.04
Cotton	Million bales of 180 kgs.	6.30	4.97	1.33	7.00	5.56	1.44
Jute	—do—	6.92	5.36	1.56	7.50	6.37	1.13

(b) The targets indicated above were visualized for normal weather. Shortfalls in the achievement of targets during 1966-67 occurred mainly due to the widespread drought over large parts of the country. Shortfalls in 1967-68 were relatively small and were due to adverse weather conditions during October-November, 1967 in various parts of the country, such as, deficient Hathia rains in Bihar and inadequacy of rainfall in Orissa, West Bengal and Andhra Pradesh.

(c) For accelerating the pace of progress in securing incresed agricultural production, a New Strategy for Agricuitural Development is being implemented since 1966-67. Its main planks are: cultivation of high yielding varieties of seeds, multipile cropping, development of irrigation for intensive cultivation, emphasis on soil and water management, organised provision of inputs like fertilizers and pesticides and timely and liberal credit facilities. Efforts under the New Strategy are being further strengthened.

Translation of Forms and Manuals into Hindi

6645. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Kumari Kamala Kumari : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Bal Raj Madhok :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 626 on the 14th November, 1968 and state :

(a) whether the remaining forms and manuals have also been sent to the Central Hindi Directorate by now ;

(b) whether it is a fact that several years ago instructions were given to send such forms and manuals to the Central Hindi Directorate ;

(c) the reasons for not sending those to the Central Hindi Directorate ; and

(d) the present position of the forms and manuals being translated in the Central Hindi Directorate ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). Three out of the 15 forms/manuals have also been sent to the Central Hindi Directorate. The remaining 1? forms are not being sent for translation because these forms are part of the Indian Dock Labourers Regulations 1948 and will be translated and published along with the Act and Regulations. The instructions on the subject were brought to the notice of all concerned.

(d) The Central Hindi Directorate are trying to complete the work expeditiously.

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिवीजन में टेलीफोन एक्सचेंजों और टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

6646. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के अन्त तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में टेलीफोन एक्सचेंजों और टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) इस डिवीजन में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके विस्तार करने की योजनायें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में 24 टेलीफोन एक्सचेंज और 1498 चालू कनेक्शन हैं । इन एक्सचेंजों की कुल उपस्कर क्षमता 1860 लाइनों की है ।

(ख) चौथी योजना में इस डिवीजन में 10 नये एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है । नये एक्सचेंज खोलने और मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार से क्षमता में कुल लगभग 1200-1400 लाइनों की वृद्धि होगी ।

Farmers' Exchange Programme

6647. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that farmers (boys and girls) are sent to foreign countries by the Government every year under the Farmers' Exchange programme ;

(b) if so, the number of farmers (boys and girls) exchanged every year since the beginning of this programme till December, 1968 and the names of the countries with whom such an exchange was done ; and

(c) the criterion of selection, names of those young farmers (boys and girls) names of their guardians alongwith their designation and addresses ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. Young Farmers (Boys and Girls) are sent to the United States of America under the International Farm Youth Exchange Programme.

(b) 263 Young Farmers both boys and girls had been to the United States of America from the beginning (1953) to December, 68 excepting 1959, 1960 and 1963 as per statement enclosed at Annexure-I. **[Placed in Library. See No. LT-792/69]**. This exchange Programme has been taken up only with the U.S.A.

(c) The criterion for the selection of the Young Farmers (both boys and girls) under this exchange programme is enclosed at Annexure-II. **[Placed in Library. See No. LT-792/69]**

The names of the participants and their guardians alongwith the designation and addresses as reported in the application forms from the year 1964 onwards when the programme was revived, are given in the statement at Annexure-III. **[Placed in Library. See No. LT-792/69]**

The information regarding guardians and their addresses is not available in full prior to 1964. However, the list of participants sent during this period, alongwith their permanent home addresses is also enclosed at Annexure-IV. **[Placed in Library. See No. LT-792/69]**

Industrial Undertakings

6648. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the industrial undertakings working under the control of the Ministry ;

(b) the total amount spent by each of these undertakings up to March, 1968 ;

(c) the names of the industrial undertakings proposed to be set up during the Fourth Five Year Plan ;

(d) whether any industrial undertaking is proposed to be set up in U. P. with a view to bring the backward economy of that State at par with that of other States ; and

(e) if so, the details thereof ; and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a), (b), (d), and (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) The Fouth Five Year Plan is still under finalisation.

भूमि पर अनधिकृत कब्जा

6649. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि पर अवैध कब्जा करने के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से इस बीच पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अतारांकित प्रश्न संख्या 694 दिनांक 14 नवम्बर, 1968 के उत्तर के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 793/69] यह 22-8-68 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4928 के उत्तर को पूरा करता है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

मैसूर में चावल तथा ज्वार की वसूली

6650. **श्री सीताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने चालू वर्ष में मैसूर में 5000 टन चावल तथा 3000 टन रबी की ज्वार की वसूली करने का निर्णय किया है ; और

(ख) उक्त राज्य से खाद्यान्नों की वसूली करने में निगम कहां तक सफल हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने मैसूर में 5,000 मीटरी टन धान खरीदने की योजना बनायी है।

(ख) निगम ने 5-4-1969 तक 4, 274 मीटरी टन धान की अधिप्राप्ति की है ।

गुजरात में चीनी का उत्पादन

6651. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात के चीनी के प्रत्येक कारखाने में चीनी का वार्षिक उत्पादन कितना था ;

(ख) गुजरात सरकार ने केन्द्र को कितनी चीनी सप्लाई की है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में चीनी की वार्षिक खपत कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले तीन वर्षों में गुजरात के प्रत्येक चीनी कारखाने में हुआ चीनी का उत्पादन इस प्रकार है :—

(आंकड़े मीटरी टन में)

कारखाने का स्थान	**मौसम में उत्पादित चीनी (अक्तूबर से सितम्बर तक)**		
	1965-66	1966-67	1967-68
बारदोली	19,795	14,898	15,682
गन्देबी	7,977	4,370	3,160
कोडिनार	27,163	22,439	27,337
उना (1967-68 में चालू हुआ)	—	—	566

(ख) गुजरात और अन्य राज्यों के कारखानों से चीनी की निर्मुक्ति पर नियंत्रण केन्द्रीय सरकार रखती है न कि राज्य सरकारें ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में गुजरात में खपत हेतु भेजी गई चीनी की मात्रा इस प्रकार है :—

	(लाख मीटरी टन में)
1965-66	2.82
1966-67	2.51
1967-68	1.86

गुजरात में भू-संरक्षण

6652. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में गुजरात राज्य को भू-संरक्षण के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) स्टेट प्लान के अन्तर्गत भूमि संरक्षण स्कीमों के लिए 1967-68 हेतु 156.00 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त धान्तीवाड़ा नदी घाटी परियोजना तथा क्षारीय व अमलीय भूमि के सुधार की मार्गदर्शी परियोजना के जलग्रहों के सुधार सम्बन्धी भूमि संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए गुजरात के वास्ते 7.55 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया था।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट प्लान स्कीमों की क्रियान्विति पर कुल 168.58 लाख रुपये तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों पर 8.35 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

उड़ीसा के लिए चीनी का कोटा

6654. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1968 से आज तक उड़ीसा को प्रत्येक मास चीनी के कितने कोटे का नियतन किया जा रहा है; और

(ख) क्या उड़ीसा राज्य प्रत्येक मास नियत किये गये कोटे की चीनी का उपयोग कर रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अप्रैल, 1968 से प्रतिमास उड़ीसा को आवंटित की गई लेवी चीनी की मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 794/69]

(ख) जी हां। कुल मिलाकर, कोटे की चीनी ली जा रही हैं। न लिए गये कोटे को पुनः दिया गया था।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बेतार संचार केन्द्र

6655. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कुछ और बेतार संचार केन्द्र खोलने के बारे में विचार किया है;

(ख) ये केन्द्र किन स्थानों में खोले जायेंगे तथा इन पर केन्द्र-वार सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया जायेगा;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पिछड़े हुए द्वीपों को और अधिक डाक-सुविधायें भी उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कौन-सी अन्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पोर्ट ब्लेयर में एक मौजूदा बेतार केन्द्र के अतिरिक्त अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में छ: और स्थानों पर विभागीय बेतार संचार सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक योजना पर विचार करके उसकी स्वीकृति दी गई है ।

(ख) इन स्थानों के नाम और उन पर केन्द्रवार अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

	स्थान का नाम	**कुल पूंजीगत लागत** रुपया
1.	दिगलीपुर	30,930
2.	मायाबन्दर	32,040
3.	रंगात	30,930
4.	कार निकोबार	32,040
5.	नाम-कोअरी	32,040
6.	लांग द्वीप	30,930

इन स्थानों का पोर्ट ब्लेयर से सम्बन्ध स्थापित किया जाना है और इसके लिए पोर्ट ब्लेयर में 89,059 रुपये की पूंजीगत लागत से उपस्कर की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ). 1969-70 में तीन डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । तीन विभागातिरिक्त शाखा डाकघरों को बीमा और बचत बैंक का काम सौंपने का भी प्रस्ताव है और तीन स्थानों पर लेटर बक्स लगाने का प्रस्ताव है ।

श्रमिकों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण

6656. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों में रोजगार देने के लिए अदक्ष श्रमिकों को दक्ष बनाने के हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां । दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण पहिले से ही दिया जा रहा है ।

(ख) (एक) **संस्थाओं में दस्तकारों के प्रशिक्षण की योजना**

30 इंजीनियरिंग और 22 इत्तर इंजीनियरिंग व्यवसायों में पन्द्रह और पच्चीस वर्ष की आयु-वर्ग के युवक-युवतियों को प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षण निःशुल्क है और योग्य प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। प्रशिक्षण अवधि एक से दो वर्ष की है। आजकल 356 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनकी कुल क्षमता 1,46,788 प्रशिक्षण स्थानों की है।

(दो) **शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिशिक्षुओं का प्रशिक्षण**

औद्योगिक संस्थापनों में 50 निर्दिष्ट व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल, व्यवसाय अनुसार, तीन अथवा चार वर्ष का होता है। सभी शिशिक्षुओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।

संगणकों द्वारा नियंत्रित टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

6657. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संगणकों द्वारा नियंत्रित एक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) वह केन्द्र कब तक काम करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाक-तार विभाग का दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का विकास कर रहा है। इस एक्सचेंज का नियंत्रण उपस्कर केन्द्रीय प्रक्रम है जो कि इलेक्ट्रानिक संगणक के सिद्धान्त के अनुसार ही काम करता है।

(ख) क्योंकि अभी इस परियोजना को विकसित किया जा सकता है, इसलिए इस समय एक्सचेंज की लागत का कोई अनुमान बता सकना सम्भव नहीं है।

(ग) आशा है कि इस टेलीफोन एक्सचेंज के आदि रूप का क्षेत्रीय परीक्षण 1971 के शुरू में किया जायेगा।

समाचार बुलेटिनों के प्रसारण के समय में परिवर्तन

6658. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी तथा उसके विभिन्न केन्द्रों से समाचारों के प्रसारण के समय में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों से क्या लाभ हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दी के प्रातः काल के मुख्य समाचार बुलेटिन का समय प्रातः 8 बजकर 15 मिनट से बदल कर प्रातः 8 बजे और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिन का समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 8 बजकर 15 मिनट कर दिया गया है। सायंकाल के हिन्दी के मुख्य बुलेटिन का समय सायंकाल 8 बजकर 15 मिनट से बदल कर 8 बजकर 45 मिनट कर दिया गया है। सायंकाल के अंग्रेजी के मुख्य समाचार बुलेटिन का समय पहले जैसा ही है अर्थात् सायंकाल नौ बजे। ये परिवर्तन 8 दिसम्बर, 1968 से किये गये हैं।

(ग) ये परिवर्तन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों को बराबर का महत्व देने के दृष्टिकोण से किये गये हैं।

राशन की दुकानों का उचित मूल्य की दुकानों में परिवर्तन

6659. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन की दुकानों का नाम बदल कर उचित मूल्य की दुकानें कर दिया गया है; और

(ख) यह परिवर्तन करने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था के स्थान पर अनौपचारिक राशन व्यवस्था कर देने से राशन की दुकानों के लिए प्रयुक्त की जा रही कानूनी पारिभाषिक शब्दावली अधिकृत खुदरा वितरक से बदल कर उचित मूल्य की दुकान कर दी गई है।

Relief to Rajasthan Scheduled Castes/Tribes Families Affected by Famine

6660. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have drawn up any scheme to render financial assistance and other relief to those families, particularly of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who were affected by the severe famine in Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Relief is being given without any distinctions of caste and creed and members of Scheduled Castes and Scheduled

Tribes benefit from it along with the rest of the affected population. Broad details of the relief measures undertaken in Rajasthan have been indicated in the Statement laid on the Table of the Sabha on 26th February, 1969.

Direct Dialling Facility in Rajasthan

6661. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the places in Rajasthan where facility for direct dialling telephone has been provided so far ;

(b) the names of places where such facility is proposed to be extended during the current plan ;

(c) whether Kota also appears in this list ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) In Rajasthan, the capital city Jaipur has been given point to point Subscriber Trunk Dialling with Delhi.

(b) A trunk automatic exchange (TAX) has been planned at Jaipur. This TAX is likely to be ready soon after the Fourth Five Year Plan period. It is proposed to connect Jodhpur, Bikaner, Udaipur, Ajmere and Kotah to the Subscriber Dialling Network through this TAX. The facility will be extended to these stations progressively with the automatisation of the local telephone exchanges and provision of coaxial and microwave links which are subject to the availability of necessary financial resources and foreign exchange.

(c) Kotah appears in this list. Kotah has at present a manual exchange. The plans for automatising the Kotah telephone system are under progress. The new automatic exchange is likely to be commissioned by the end of the Fourth Plan. Provision of long distance circuits on a microwave link has also been planned. With these schemes it is hoped that direct trunk dialling may become available at Kotah soon after Fourth Plan period.

(d) Does not arise.

Separate Exchange for Force in Jaipur (Rajasthan)

6662. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme has been formulated for setting up a separate Telephone Exchange for the Forces in Jaipur, Rajasthan ;

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ;

(c) the expenditure likely to be incurred thereon ;

(d) whether such facility would be provided at other places also ; and

(e) if so, details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. However, a private branch exchange is being installed for them as for any other subscriber.

(b) In about a month's time.

(c) About Rs. 90,000/-.

(d) and (e). Yes, Sir. These will be provided according to their requirements.

तारातला, कलकत्ते में संगणक मशीन का लगाया जाना

6663. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जनवरी, 1969 को इंडियन आक्सीजन कम्पनी के प्रबन्धकों ने, कम्पनी के मुख्य कार्यालय तारातला (कलकत्ते) में एक संगणक मशीन लगाई है;

(ख) क्या इस बारे में कम्पनी के श्रमिकों और कर्मचारियों से सलाह नहीं ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संगणक मशीन के लगाये जाने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). श्रम और रोजगार विभाग के पास कोई सूचना नहीं है। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा गया है और सूचना प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6664. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन संस्थापनों के सम्बन्ध में जिन्हें छूट नहीं दी गई है, कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि का वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक उद्योगवार, राज्यवार तथा वर्षवार, ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का कार्य केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। भारत सरकार का इस काम से मुख्य रूप से ताल्लुक नहीं है। संगठन से प्राप्त सूचना दो संलग्न विवरणों में प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 795/69]

Arrears of Employee's Provident Fund due from Certain Collieries

6665. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge sums of Employees' Provident fund are in arrears from colliery-owners ;

(b) if so, the total arrears as on the 31st March, 1969 ;

(c) whether Government have taken any action to realise the arrears from them ; and

(d) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment, and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The administration of the provident funds of the employees in Coal Mines is the concern of the Board of Trustees set up under the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 and is not the concern of the Central Government. According to available information, the position is as under :—

(a) and (b). Information as on 31st March, 1969 is not available. The total arrears as on 31st March, 1968 were Rs. 4,42,12,046/-.

(c) and (d). Legal action in the shape of prosecution and certificate cases as provided under the Act has been instituted by the Fund against some of the defaulting employers for the recovery of arrears. The Recovery Committee of the Board of Trustees of the Fund is also examining the cases to expedite the recovery of the arrears and in some cases the owners of Collieries have been allowed to pay the arrears in instalments.

Prices of Foodgrains

6666. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prices of foodgrains in open market have decreased in several States due to good crop ;

(b) if so, the comparative figures regarding prices during the last three years (1967-1969) ;

(c) whether Government propose to bring down the prices of foodgrains sold in Government ration shops in view of the fall in the prices in open market ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) After an initial seasonal decline, the prices of Kharif grains have generally shown a rising trend recently. The prices of wheat have registered a slight fall due to arrivals of the fresh crop.

(b) A statement is attached. **[Pleced in Library. See No. LT-796/69]**

(c) and (d). The prices of foodgrains issued through Government sources are fixed on a no profit no loss basis. Government have no intention of revising prices to follow the upward or downward trend of prices in the open market.

Hindi Films Passed by Board of Film Censors

6667. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Hindi films passed by the Central Board of Film Censors since 1967 till date ;

(b) whether it is a fact that the State Government filed cases in courts against some of the films approved by the said Board ; and

(c) if so, the names of those films alongwith the names of the States which filed the cases, the names of the producers of these films and the decision given by the Courts ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 168 Hindi feature films were certified by the Central Board of Film Censors during the period 1st January 1967 to 28th February 1969.

(b) and (c). Information is being collected from State Governments and Union Territories and will be laid on the Table of the House in due course.

गोरक्षा आन्दोलन

6668. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
डा० सुशीला नायर :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वदलीय गोरक्षा समिति का विचार गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की अपनी मांग के समर्थन में शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आन्दोलन आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) समय-समय पर इस बारे में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि गोरक्षा महाअभियान समिति गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध के लिए आन्दोलन आरम्भ करेगी। फिर भी सरकार को समिति से इस बारे में सीधा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सरकार चाहती है कि गोरक्षा कमेटी में समिति के प्रतिनिधि आन्दोलन के विषय में सोचने की बजाय कमेटी को अपना सहयोग दें ताकि कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

Strike in Madras Port

6669. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that labourers of the Madras Port had gone on a strike in the beginning of March ;

(b) if so, the details of their demands ;

(c) the reaction of Government thereto :

(d) whether any agreement had been arrived at with the labourers ; and

(e) if so, the terms thereof?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) About 300 dock workers employed by the Madras Dock Labour Board went on strike from the 3rd shift of February 28, 1969. In sympathy, 800 listed workers also struck work from the 3rd shift of the same day. At the intervention of the Regional

Labour Commissioner (Central) Madras, the strike was called off with effect from the 3rd shift of March 2, 1969.

(b) The demand of the workmen related to alleged improper implementation of the decision of the Regional Labour Commissioner(Central), Madras dated November 5, 1968, with regard to the employment of casual labour by stevedores at Madras Port.

(c) and (d). As a result of the intervention of the Regional Labour Commissioner (Central) Madras who had discussions with lhe parties, the strike was called off and an agreement was signed before him on March 3, 1969.

(e) The terms of settlement are as as follows:

(1) It is agreed that the workers in the casual pool run by the Madras Stevedores Association, Madras, shall be listed under the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, as amended in 1968.

(2) For the above purpose outlined in clause (1), the Madras Stevedores and the Administrative Body of Listed Dock Workers will move the Madras Dock Labour Board to include the following categories in the said scheme by suitable amendments thereto and the Government of India in the Ministry of Labour and Employment shall be addressed accordingly.

1. Supervisors,
2. Clerks of all categories,
3. Watchmen,
4. Carpenters,
5. Women sweepers,
6. Basket mendors,
7. Mazdoors comprising of gear distribution mazdoors, stitchers and markers, as contained in the Memorandum of Settlement dated 30-7-68. The number of employees in the Memorandum will be checked and finalised by the Regional Labour Commissioner (Central), Madras.

(3) Pending amendment to the scheme for inclusion of the categories in clause (2) above, it is agreed that concerned workers shall get all the benefits admissible to the listed labour with effect from March 3, 1969.

(4) In view of the above settlement, the parties hereby agree to terminate the Memorandun of settlement dated 30-7-1968 and also to treat the decision of the Regional Labour Commissioner (Central), Madras dated 5-11-1968 as cancelled.

आयातित अनाज की किस्म

6670. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से आयात किया गया गेहूं तथा माइलो अच्छी किस्म का नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो अच्छी किस्म के अनाज का आयात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मधुबनी सब-डिवीजन में शाखा डाकघर का खोला जाना

6671. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-मार्च, 1969 के बीच बिहार राज्य के दरभंगा जिले में मधुबनी सब-डिवीजन में नये शाखा डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो मधुबनी सब-डिवीजन में नये शाखा डाकघर खोलने के कितने मामले विचाराधीन हैं और उन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दो ; दुल्हा और चिचरी-कानूनगो गांवों में।

(ग) इसके अतिरिक्त शेहपुर, कलना, सुखबाड़ी, ठेठ, देहुली, चतरा, ककना और बनीगारा में डाकघर खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। डुमरा, चम्पा और दरीना में डाकघर खोलने के प्रस्तावों की मंजूरी इनमें दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों की प्रार्थना पर दी गई है बशर्ते कि वे सम्भावित घाटे की पूर्ति के लिए तैयार हों। ये रकमें जमा कराये जाने पर उक्त डाकघर खोल दिये जायेंगे।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिये नलकूप लगाना

6672. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 फरवरी, 1968 से 21 फरवरी, 1969 तक की अवधि में सिंचाई के लिये पश्चिम बंगाल में कितने गहरे नलकूप लगाये गये ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) कुल व्यय में केन्द्रीय ऋण तथा अनुदान का अंश कितना था ;

(घ) विद्युत तथा डीजल तेल से अलग-अलग कितने नलकूप चलाये जा रहे हैं ;

(ङ) इन गहरे नलकूपों में से कितने नलकूप वहां पर उनके लिये बिजली उपलब्ध किये जाने से पहले लगाये गये थे ; और

(च) पश्चिम बंगाल में गहरे नलकूप सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचित कृषि भूमि का अनुपात क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क), (ख) और (घ) से (च). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्य सरकारों को कृषि उत्पादन, "लघु सिंचाई" आदि वृहत विकास शीर्षकों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मिलती है, न कि अलग-अलग योजनाओं के आधार पर। 1 अप्रैल, 1967 से 1968-69 के अन्त तक, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिये लघु सिंचाई हेतु प्रत्येक राज्य के कुल स्वीकृत व्यय पर, वास्तविक व्यय के अनुसार वित्तीय सहायता का स्वीकृत प्रतिमान 60% ऋण 15% अनुदान है।

रेडियो स्टेशनों का प्रयोग करने वाले मंत्रालयों के लिए प्रसारण सम्बन्धी संहिता

6673. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों की सरकारों से, जहां मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप नई सरकारें बन गई हैं, इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है कि सम्बद्ध राज्यों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा किये जाने वाले प्रसारणों के सम्बन्ध में किस प्रक्रिया का पालन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या-क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वसम्मत सूत्र तैयार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसनसोल उपमण्डल में पेय-जल की व्यवस्था

6674. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कल्याण निधि की ओर से झरिया-धनबाद जल बोर्ड के समान आसनसोल के लिये एक जल बोर्ड बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सम्बन्धित आसनसोल कोयला खान के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जी नहीं। जल बोर्ड के गठन का विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर भी आसनसोल क्षेत्र के लिये एक समैकित जल सप्लाई योजना तैयार की गई है और वह पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना का कुछ खर्च कोयला खान कल्याण निधि द्वारा वहन किया जा रहा है।

भारतीय सैनिक डाक सेवा के व्यक्तियों की सिविल पदों पर नियुक्ति

6675. **श्री मयावन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डाक विभाग में असैनिक पदों पर नियुक्त किये जाने पर भारतीय सैनिक डाक सेवा के भूतपूर्व काम्बेटेंट हवलदार क्लर्कों को वेतन निर्धारण के मामले में वे रियायतें और लाभ नहीं दिये गये हैं, जो सैनिक लेखा विभाग के भूतपूर्व अस्थायी कर्मचारियों को उनकी भारतीय डाक विभाग में असैनिक पदों पर नियुक्ति किये जाने पर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विजिन्जाम में मछली पकड़ने का बन्दरगाह

6676. **श्री प० गोपालन** :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री अनिरुद्धन :
श्री के० एस० अब्राहम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजिन्जाम में मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि के रूप में, केरल सरकार के नाम गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी राशि देय है ;

(ख) वह राशि वर्षवार न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस बारे में कोई स्मरण-पत्र भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या बकाया राशि को तुरन्त देने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) कुल योग 69,87,455 रुपये (63,28,439 रुपये अनुदान और 6,59,016 रुपये ऋण)

वर्षवार विवरण

1966-67	13,18,033 रुपये	(50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण)
1967-68	16,69,422 रुपये	(100 प्रतिशत अनुदान)
1968-69	40,00,000 रुपये	(100 प्रतिशत अनुदान)

(ख) से (ङ). कृषि योजनाओं के लिये कुल सहायता के रूप में उपलब्ध किये गये 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदानों की वित्तीय सहायता की पद्धति के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटी बन्दरगाहों पर पोतों के उतरने और घाट लगाने की सुविधाओं के उपबन्ध की योजना एक राज्य योजना थी। तदनुसार केरल सरकार की प्रशासनिक एवं तकनीकी दोनों रूप से योजना को मंजूर करने का अधिकार प्राप्त था। राज्य सरकार ने प्रायोजना को 1962 में मंजूर कर दिया और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। तृतीय योजना की अवधि के उपरान्त छोटी बन्दरगाहों पर उतरने और घाट लगाने की सुविधाओं के उपबन्ध की योजना को 1966-67 के लिये 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान की सहायता पद्धति के अन्तर्गत एक केन्द्र चालित योजना के रूप में शुरू कर दिया गया जो कि अगली दो वार्षिक योजनाओं में 100 प्रतिशत अनुदान के लिये परिशोधित की गई। केन्द्रीय और केन्द्र संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित हेतु शुरू किये हुये कार्यों का पुनर्विलोकन, संगत योजना के अन्तर्गत, मंजूरियों के अनुमोदनार्थ एवं निपटानार्थ किया जाता है। तदनुसार कार्य का पुनर्विलोकन केरल राज्य के परामर्श से किया गया और मंजूरियां जुलाई, 1968 में भेजी गईं। राज्य सरकार द्वारा व्यय की हुई धनराशि का एक विवरण नवम्बर, 1968 में प्राप्त हुआ और अनुदान के रूप में धनराशि का भुगतान मार्च, 1969 में किया गया। 1966-67 में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई 6,59,016 रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 1968-69 के दौरान संगत शीर्षक के अन्तर्गत बजट व्यवस्था नहीं थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसका भुगतान करने का प्रस्ताव है।

कोचीन पत्तन के क्षेत्र में मछली पकड़ने की सुविधा वाली बन्दरगाह

6677. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री विश्व नाथ मेनन :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने कोचीन पत्तन क्षेत्र में मछली पकड़ने की सुविधाओं

वाला बन्दरगाह स्थापित करने के सम्बन्ध में जांच कार्य करने हेतु 1 लाख 75 हजार रुपये मंजूर किये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) निर्णय करने में देरी होने के यदि कोई कारण हैं तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). केरल सरकार ने सितम्बर, 1968 में 1.75 लाख रुपये की मंजूरी के लिये प्रार्थना की थी ताकि मछली पकड़ने के पोतों के लैंडिंग व बर्थिंग की सुविधा की व्यवस्था करने के लिये योजनायें तैयार करने हेतु कोचीन बन्दरगाह के क्षेत्र में जांच सम्बन्धी कार्य किया जा सके। केरल सरकार तथा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की गई। अतः दिसम्बर, 1968 में केरल सरकार ने जांच के सम्बन्ध में विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किये थे। उन अनुमानों की जांच की गई थी और 14 मार्च, 1969 को 1.75 लाख रुपये के लिये स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया था।

Survey of Underground Water in Nadouti in Rajasthan

6678. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a survey was made to find out the level of underground water in Nadouti and Bamanvas Tehsils of District Sawai Madhopur in Rajasthan ;

(b) if so, the complete details in regard thereto.

(c) the reaction of Government in regard to tapping the underground water resources as a result of the said surveys ;

(d) whether it is also a fact that the survey has not been conducted carefully ; and

(e) whether it is proposed to conduct the survey again ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e). The required information is being collected from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the Sabha on its receipt.

पंचायती राज संस्थान सम्बंधी समिति

6679. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सहकार मंत्री श्री एस० के० डे ने अखिल भारतीय पंचायती परिषद की ओर से यह सुझाव दिया है कि पंचायती राज संस्थानों की सफलताओं और असफलताओं के

बारे में निष्पक्ष अध्ययन करने हेतु योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के तरीके पर किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल नियुक्त किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के कार्य-संचालन के बारे में सरकार के विचार क्या हैं तथा पंचायती परिषद द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) यदि हर प्रकार से देखा जाए तो देश में पंचायती राज संस्थाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद का सुझाव विचाराधीन है।

Telephone Exchange in Chandni Chowk, Delhi

6680. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether a new Telephone Exchange is being set up in Chandni Chowk area of Delhi ;

(b) whether it is also a fact that it is proposed to set up this Telephone Exchange in the area around Majestic Cinema by displacing the printing presses functioning there for the last many years ;

(c) if so, whether an alternative site was also tried therefor with a view to avoid rendering people shelter-less there and shift business establishment from there ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) to (d). Yes, Sir. It is proposed to set up a new telephone exchange in the vicinity of Chandni Chowk area of old Delhi. A plot of land near the Majestic Cinema is proposed to be acquired for this purpose. The site is at present occupied by a few families and also a few shops and printing presses.

Setting up of a new telephone exchange near Chandni Chowk to meet the growing demands of telephones in the Old Delhi area is considered essential for the long-term development of business and economic activity in this important area of Delhi. The P and T Departmnent has been on the look out for a suitable piece of land for this purpose for a very long time. However, since there are no vacant sites available in this area, the Department has not so far succeeded in its effort and as a result the telephone development in the area had been suffering. The waiting lists in this area have grown to very large proportions.

After taking into account various factors, the Delhi Administration has approved the site near the Majestic Cinema for locating the telephone exchange. Since vacant sites are not available, a certain amount of displacement and re-location of people occupying the land would be inevitable.

In view of the importance of this scheme for the proper development of Delhi it is proposed to continue to pursue the land acquisition proceedings.

नागार्जुन सागर परियोजना के लिये रूस द्वारा दिये गये खराब बुलडोजर

6681. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागार्जुन सागर परियोजना के लिये रूस द्वारा दिये गये बुलडोजर खराब थे और वे करार की शर्तों के अनुरूप नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में रूस के साथ पत्र-व्यवहार किया गया है ; और

(ग) इस पर रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). नागार्जुन सागर परियोजना के लिये रूस से आयात किये गये बुलडोजरों और ग्रेडरों में कुछ दोष और खराबियां पाई गईं, जोकि उनके प्रयोग के उपरान्त ज्ञात हुईं। रूसी यंत्रों के एजेंट ने भी यंत्रों के सम्भरण के लिये हुये समझौते की शर्तों को पूर्ण नहीं किया। यह मामला एजेंट के साथ उठाया भी गया किन्तु उसने अपने उत्तरदायित्व का पूर्णतः निर्वाह नहीं किया। सरकार ने इस मामले की छानबीन और सिफारिश देने के लिये एक समिति नियुक्त की है। जैसे ही इसकी सिफारिशें प्राप्त होंगी, आगामी उचित कार्यवाही की जायेगी।

सूखे से सदा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों की समस्या

6682. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निर्णय किया था कि सूखे से सदा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों को सम्बन्धित राज्यों की विशेष समस्या माना जाएगा तथा राज्यों को कुल केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत ऐसी विशेष समस्या के लिए रखा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का अभिप्राय यह है कि राज्यों को योजना के अन्तर्गत सहायता के अतिरिक्त सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। (जहां तक विकास प्लान योजनाओं का सम्बन्ध है)

फिर भी प्राकृतिक संकटों हेतु जिनके लिए सहायता के अलग प्रतिमान बने हुए हैं, राज्य सरकार को स्टेट प्लान सीलिंग्ज के अलावा सहायता मिल सकती है।

बनमांखे में चीनी मिल

6683. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्निया जिले में बनमांखे स्थित कोआपरेटिव शुगर मिल में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या उसे घाटे को पूरा करने के लिये औद्योगिक वित्त निगम की ओर से ऋण दिया गया है ; और

(ग) क्या कोसी क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों के लिए नई आशा प्रदान करने हेतु सहरसा जिले के भपटियालू अथवा सूपौल में (उत्तर बिहार) में विशेषकर राजपुर नहरी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल खोलने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) सहकारी चीनी कारखानों को 'ब्लाक' ऋणों का 60-65 प्रतिशत भाग उपलब्ध करने की अपनी नीति के अनुसार औद्योगिक वित्त निगम पूर्नियां कोआपरेटिव शुगर मिल को 90 लाख रुपये मंजूर कर चुका है, जिसमें से अब तक 70 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय की पूर्ति करने के लिए समिति के संसाधनों में यदि कोई कमी हो तो उसे पूरा करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम के संतोष के अनुसार राज्य सरकार को उसके द्वारा औद्योगिक वित्त निगम को दिए गए वचन के अनुसार प्रबन्ध करने होंगे।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Sugar Mills in Motipur, Chakia and Motihari in Bihar

6684. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tube-wells sunk in the cane-producing area of Motipur Sugar Mill and in Chakia and Motihari areas under the development of cane-production programme and the percentage of area irrigated therefrom ;

(b) whether it is a fact that this has helped only the Mill-owners and not the farmers ;

(c) if farmers have also been benefited therefrom, the details thereof ;

(d) whether it is also a fact that the number of tube-wells sunk in that area is inadequate ;

(e) if so, the steps taken by Government in this regard ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (f). The information has not yet been received from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as the details are available.

Sugar Mills in Motipur, Chakia and Motihari

6685. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the period for which the arrears of cess are outstanding against Motipur, Chakia and Motihari Sugar Mills ;

(b) the steps taken by Government to realise the same ;

(c) whether it is also a fact that the Motipur Sugar Mill has always neglected the demand of constructing roads for transporting sugarcane with the income from cane-cess;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) if not, the length of roads built by Sugar Mills in Motipur, Chakia and Motihari ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Arrears of cess are outstanding from the Motipur and Motihari Sugar Mills for the period upto 31-3-1968 and from all the three sugar mills for the year ending 31-3-1969.

(b) Certificate proceedings have been instituted by the Bihar Government against Motipur and Motihari Sugar Mills for recovery of arrears upto 31-3-1968 as arrears of land revenue. In the case of Motipur the proceedings are pending final orders and in the case of Motihari orders for payment of arrears in instalments have been issued and the mill is making payments.

(c) No, Sir. The proceeds of the cane cess go to the Bihar Government. The question does not arise.

(d) and (e). Do not arise.

Machines for Harvesting and Packing

6686. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to manufacture or import such labour and time-saving machines for medium and small farmers which may help them in winnowing and processing their harvests and packing foodgrains ;

(b) if so, the scheme drawn up by Government in this regard and the result thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). A large number of firms in the country are already engaged in the manufacture of machines for winnowing, cleaning, etc. and also for packing, such as bag closers and stitchers. With a view to initiating manufacturers in taking up production of new equipment such as Reaper Binders, Combine Harvesters, etc., Government is allowing them to import samples for demonstration, development and production.

Fall in Prices of Foodgrains

6687. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Kikar Singh :
Shri P. N. Solanki :
Shri D. R. Parmer :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Deven Sen :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that the prices of foodgrains are falling to such an extent that the producers are not getting even their cost of production;

(b) whether it is a fact that fall in prices of foodgrains to such an extent would adversely affect the agricultural production;

(c) whether it is also a fact that the prices of manufactured goods and agricultural implements have not been reduced in the same proportion as that of the foodgrains;

(d) if so, the steps taken by Government to meet the situation; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There had been some initial seasonal fall in the prices of kharif grains but these have recently shown an upward trend. The prices of wheat have fallen slightly on account of arrival of fresh crop in the market. Producers are, however, assured of getting remunerative procurement prices fixed by the Government.

(b) Does not arise.

(c) to (e). The selling price of the agricultural implements and machines largely depend upon the prevailing prices of steel. Implement manufacturers are assisted in meeting their requirements of scarce steel and other raw material which are in short supply through the State Governments. The price of tractors has been fixed on the basis of the recommendations of the Tariff Commission. Tractors and power tillers are exempted from import duties.

तम्बाकू का उत्पादन

6688. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में भारत में कितनी मात्रा में तम्बाकू का उत्पादन हुआ और उसकी कीमत क्या थी ;

(ख) उक्त अवधि में तम्बाकू का मुख्य उत्पादन करने वाले राज्यों ने कितनी मात्रा में तम्बाकू का उत्पादन किया ;

(ग) कुल उत्पादन में वर्जीनिया तथा अन्य प्रकार के (घटिया) तम्बाकू की मात्रा कितनी थी ; और

(घ) प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने और तम्बाकू की किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क)

वर्ष	उत्पादन (10 लाख किलो ग्रामों में) वर्जीनिया	अन्य	कुल	मूल्य (रुपयों में)
1965-66	78.2	219.5	297.7	उपलब्ध नहीं है।
1966-67	102.5	250.9	353.4	
1967-68	86.9	257.1	344.0	

(ख) सम्बन्धित जानकारी देते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 797/69]

(ग) ऊपर भाग (क) में दे दिया गया है।

(घ) तम्बाकू की प्रति एकड़ उपज और इसके गुणों के सुधार के लिये कई कदम उठाये गये हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं—(1) खेती की उन्नत विधियों को अपनाना, (2) काश्तकारों को शुद्ध बीज स्वस्थ पौध सप्लाई करना, (3) पैकेज योजनाओं के माध्यम से फार्मों के कार्यकलापों में सुधार करना, और (4) उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों आदि आदानों की उपयुक्त सप्लाई। इसके अतिरिक्त 1967-68 में शुरू की गई केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में वी० एफ० सी० तम्बाकू का उत्पादन शुरू किया गया है।

पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली में शरणार्थियों को आवंटित क्वार्टर

6689. **श्री प० मु० सईद :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों को पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली में कितने दुमंजिले क्वार्टर आवंटित किये गये थे ;

(ख) सरकार ने जिन क्वार्टरों के बिक्रीनामें दिये हैं, उनकी संख्या कितनी है और जिनके बिक्रीनामें नहीं दिये गये हैं, उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अलाटियों ने पूरा भुगतान किया है परन्तु सरकार ने बिक्रीनामें नहीं दिये हैं, ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है, क्वार्टर संख्या तथा ब्लाक संख्या क्या है तथा अलाटियों द्वारा कब भुगतान किया गया ; और

(घ) उक्त वर्ग के अलाटियों को बिक्रीनामा न दिये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 2410.

(ख) 1545 क्वार्टरों के सम्बन्ध में बिक्रीनामें जारी किये जा चुके हैं। 865 क्वार्टरों के सम्बन्ध में बिक्रीनामें जारी करने शेष हैं।

(ग) पश्चिमी पटेल नगर के 125 क्वार्टरों के अलाटियों से विभिन्न तिथियों पर भुगतान प्राप्त हो चुका है जिसका ब्योरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 798/69] इन मामलों में बिक्रीनामें अभी तक जारी नहीं किये गए हैं।

(घ) वह भूमि, जिस पर पश्चिमी पटेल नगर, को मिलाकर पटेल नगर में क्वार्टर बनाये गये हैं, पुनर्वास विभाग ने निजी मालिकों से अर्जित की थी। इस प्रकार अर्जित की गई भूमि के अर्जन मूल्य में न्यायालयों द्वारा पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है और, उसके फलस्वरूप मूल रूप में विभाग को निर्धारित किये गये मुआवजे से जिसके आधार पर इन बस्तियों के अलाटियों से वसूली की जा रही है, अत्यधिक भुगतान करना पड़ा है। पुनरीक्षित मूल्य, जो इन अलाटियों से वसूल किया जायेगा, तैयार किया जा रहा है, और अलाटियों को बिक्रीनामें तभी दिये जायेंगे जब कि उनके द्वारा क्वार्टरों का पूर्ण तथा अन्तिम भुगतान कर दिया जायेया।

राजस्थान में अकाल पीड़ित श्रमिक कैम्प में मृत्यु

6690. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के चुरू जिले में भलेरी गांव स्थित अकाल पीड़ित श्रमिक कैम्प में 20 फरवरी और 2 मार्च, 1969 के बीच गन्दे पानी और सड़े अनाज की सप्लाई के कारण 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के बारे में राजस्थान सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है ; और

(ग) अन्य अकाल कैम्पों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि चुरू जिले में स्थित भलेरी सहायता शिविरों में 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इनमें से 14 की आन्त्रशोथ की बीमारी से, एक-एक की अतिसार, ज्वर तथा प्रसव के कारण मृत्यु हुई थी। राज्य सरकार ने बताया है कि ये मौतें गंदे पानी तथा सड़े खाद्यान्न की सप्लाई से नहीं हुई थीं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है निवारक उपाय किये जा रहे थे और पीने योग्य पानी के कुओं का रोगाणुनाशन किया जा रहा था। इन शिविरों का चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग अधिकारी

तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के रेजिडेण्ट डाक्टर नियमित रूप से दौरा करते रहे थे। इन शिविरों में सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा कम्पौडरों को श्रमिकों के भारी दस्तों के साथ नियुक्त किया गया था। पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भी प्रबंध किया गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसे क्षेत्रों जहां से आन्त्रशोथ आदि के फैलने की सूचना प्राप्त हुई थी, का दौरा करने तथा उपचारी उपाय करने हेतु लोक स्वास्थ्य के मुख्य-सचिव, मुख्य इंजिनियर तथा स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान के निदेशक की एक समिति नियुक्त की है।

Lift Irrigation Schemes in Mirzapur (U. P.)

6691. **Shri Ram Swarup :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have made any demand for funds for the lift irrigation schemes proposed to be implemented by lifting the water of Sone and Ganga rivers by pumps in District Mirzapur of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the extent thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The State Government has stated that no demand has been made for any Lift Irrigation Schemes from river Sone in District Mirzapur. No separate demand has been made for Lift Irrigation Schemes from river Ganga also. Such schemes from river Ganga are being executed wherever feasible out of allocations for Lift Irrigation Schemes.

(b) and (c). Do not arise.

Animals and Birds Declared Protected

6692. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of animals and birds which have been declared protected by the Government of India ;

(b) whether it is proposed to include the animals of snowy areas also among them ; and

(c) if so, the names of those animals and the time by which the steps to declare them as protected would be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) the names of animals and birds which have been protected by the Government of India are as follows :

1. Indian Lion.
2. Cheetah.
3. Rhinoceros.
4. Kashmir stag.
5. Brow-antelered deer.
6. Pigmy hog.
7. Great Indian bustard.
8. Pink-headed duck.

9. White winged wood duck.
10. Wild baffaloe.
11. Black buck.
12. Chinkara.
13. Dugong, and Leathery turtle.
14. Eleplant.
15. Crocodile.
16. Peacock.
17. Butterflies.
18. Indian Python.
19. Clouded leopard.
20. Four-horned antelope.
21. Indian Gazelle.
22. Indian Swamp deer.
23. Musk deer.
24. Markhor.
25. Spotted Lisang.
26. Urial.
27. Lesser Panda.
28. Golden Cat.
29. Marble Cat.
30. Eastern Pangolin.
31. Golden Langur.
32. Tragopans.
33. Snow leopard.
34. White Tiger.
35. Rusty spotted cat.
36. Caracal.
37. Indian Wild Ass.
38. Takin (Mishmi Takin).
39. Tiger.

(b) and (c). The necessary information is being collected from the States and will be placed on the Table of the Sabha.

Import of Soyabean Oil

6693. **Shri Shri Gopal Saboo :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity and value of Soyabean Oil imported by Government each year during the past three years under PL. 480 or otherwise ;

(b) whether this oil was imported to check steep rise in prices of groundnut in the country ;

(c) whether downward trend in the prices of groundnut oil is manifest as a result of such imports ; and

(d) the quantity of Soyabean Oil proposed to be imported this year and how long such imports would continue ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a)

Year	Quantity (Tonnes)	Cost including only freight and Insurance (Rs./Crores)
1966	31,275	8.00
1967	87,119	17.89
1968	63,310	12.11

(b) Soyabean oil is being imported primarily for supplementing the reduced availability of indigenous edible oils.

(c) Presence of stocks of imported oil helps to lower prices of indigenous edible oils or curbs the upward trend due to the influence of other factors.

(d) About one lakh tonnes. Imports may have to continue depending upon the production of edible oils in the country.

Beedi Industry, Saugar (M. P.)

6694. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any report in regard to the Beedi Industry has been published and if not, the reasons therefor ;

(b) whether it is a fact that the profit per 1,000 beedis is shown as about 20 paise in Government and Income Tax records, whereas the actual income per 1000 beedis is between Re. 1 and 2 ; and

(c) if so, the actual profit earned by the management of Beedi industry, Saugar by selling beedis after taking into account the raw material, labour charges and other expenses ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The matter falls in the State sphere and Government have no information.

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था तथा केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड, राजस्थान

6695. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण राजस्थान की केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था तथा केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड अधिक प्रगति नहीं कर सके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्तमान संसाधनों की सहायता से जिनमें कर्मचारीगण भी शामिल हैं केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान द्वारा कार्य करने की दिशा में धन की कमी के कारण कोई रुकावट नहीं आई है। संस्थान के सन्तोषजनक कार्य करने के लिये निधियों के उपयोग पर किसी प्रकार की रुकावटें या मितव्ययिता कटौती नहीं लगाई गई थीं।

मूलरूप में बनाई गई मरुस्थल विकास योजनायें वर्तमान समुदायिक विकास प्रखण्डों तक सीमित थीं। केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया कि अपनाने योग्य योजनाओं के प्रत्येक राज्य में एक प्रखण्ड की सीमाओं तक ही परिरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तदनुसार यह निर्णय किया गया कि भूमिगत जल संसाधनों, भेड़ और ऊन विकास, पेय जल की सप्लाई, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में चारागाह और चार संसाधनों की जांच-पड़ताल के लिये योजनायें शुरू की जायें। अतः राजस्थान और गुजरात सरकारों द्वारा तैयार की गई 10 करोड़ रुपयों के व्यय की योजनाओं की मंजूरी के लिये सिफारिश की गई। फिर भी, इसी समय के बीच, राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति ने, मरुस्थल क्षेत्रों में केन्द्र चालित

योजना के स्थान पर एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्य करने का निर्णय किया। तदनुसार कार्य की विशिष्ट मदों को शुरू करने का निर्णय किया गया जो सुसंहत और सु-परिभाषित क्षेत्रों में वरित क्षेत्र की समुचितता पर निर्भर थी। इस प्रकार यह समस्या के समाधान पर इन विचार विमर्शी के कारण था कि 1968-69 के बजट में व्यस्थित निधियों का उपयोग करना सम्भव नहीं था।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के लिए 2.00 करोड़ रुपये का उपबन्ध मंजूर कर लिया गया है और 1969-70 के लिये बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान कर लिया गया है। आशा है कि ये योजनायें इस साल के दौरान गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में चालू हो जायेंगी।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

प्रत्येक राज्य में काम कर रहे पम्पिग सेटों की संख्या

6696. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 को प्रत्येक राज्य में सिंचाई के प्रयोजन के लिये कितने पम्पिग सेट काम कर रहे थे ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य-वार, कितने पम्प चालू किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यह सेट इस समय राज्यवार, कितने क्षेत्र की सिंचाई कर रहे हैं तथा चतुर्थ योजना के अन्त में कितने क्षेत्र की सिंचाई करेंगे ; और

(घ) उक्त पम्पों तथा छोटी परियोजनाओं द्वारा सिंचाई की व्यवस्था के लिये प्रति एकड़ औसत कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सिंचाई प्रयोजन के लिये 31-12-68 को प्रत्येक राज्य में चालू पम्पिग सेटों/नलकूपों की संख्या परिशिष्ट 1 में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 799/69]

(ख) राज्य सरकारों के चौथी योजना के कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी चौथी योजना की अवधि में 12.455 लाख पम्पसेटों / नलकूपों को बिजली देने का प्रस्ताव है जो धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। चौथी योजना में राज्यों के आधार पर जिन पम्प सैटों को बिजली दी जायेगी उनकी मोटे तौर पर अनुमानित संख्या परिशिष्ट II में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 799/69 चौथी योजना के लिये राज्य सरकारों की मंजूरी के पश्चात् ही अन्तिम आंकड़ों का हिसाब लगाया जायेगा।

(ग) प्रायः पम्पसेट या तो नदी नालों के किनारों पर या खुदाई के कुओं या नलकूपों पर लगाये जाते हैं। भूमि उपयोग के बारे में अन्तिम वर्ष, जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं, 1965-66 है। इन आंकड़ों के आधार पर कुओं, नलकूपों और अन्य साधनों द्वारा 1965-66 के अन्त तक ठीक सिंचित क्षेत्र परिशिष्ट III में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 799/69]

चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः योजना के अन्त तक विभिन्न लघु सिंचाई परियोजनाओं से सींचे जाने वाले क्षेत्र के बारे में अभी हिसाब लगाया जाना है।

(घ) लघु सिंचाई योजना कार्यक्रम में सतह-जल योजना, जैसे भंडारण और डाई-वर्शन स्कीम, नदी और नालों से उठाऊ सिंचाई योजना, जल वितरण, बांध बनाना, नालियां, बुन्धीस, रापाट आदि और कुओं, कुओं में बोरिंग, कुओं को गहरा करना, पम्प लगाना, निजी और सरकारी नलकूप आदि भूमिगत जल विकास योजनायें सम्मिलित हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिये प्रति एकड़ लागत पूंजी नीचे दी गई हैं :—

योजना	**प्रति एकड़ लागत (करोड़ों में)** रुपये
कुएं	1,000
कुओं का बोरिंग करना	500
कुओं को गहरा करना	800
डीजल पम्पसेट	600
विद्युत पम्पसेट	400
सरकारी नलकूप	400
निजी नलकूप	500 से 600
नदी पम्प योजनायें	400
भंडारण और डाईवर्शन योजनायें	800
जल निकास, बांध बनाना, नालियां और बुन्धीस आदि	250

रिक्शा सहकारी समितियां

6697. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रिक्शा सहकारी समितियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्यवार उनकी कुल संख्या कितनी है और उनमें कुल सदस्य कितने हैं ; और राज्यवार कितने हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उनके विकास के लिये क्या विशेष उपाय करने का विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में जून, 1967 के अन्त में रिक्शा चालकों की 184 सहकारी समितियां थीं, जिनके 8,138 सदस्य थे । राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 800/69] देश में कितनी समितियां हैं, इस बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सहकारिता राज्य विषय होने के कारण, रिक्शा-चालकों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व प्रमुखतः राज्य सरकारों का है । चौथी योजना अवधि में राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य योजना स्कीमों के लिए ब्लाक सहायता के भाग के रूप में उपलब्ध होगी ।

गेहूं की वसूली मूल्य

6698. **श्री मधु लिमये :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार गेहूं के वसूली मूल्यों में कमी, कृषकों को दुरूत्साहित करेगी तथा इसका वसूली के लक्ष्य पर कुप्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा सिफारिश किये गए मूल्यों में परिवर्तन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है । उन्होंने 3 अप्रैल, 1969 को हुए सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों द्वारा तथा इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त भत्तों पर भी ध्यान दिया है ।

(ख) सरकार ने देशी लाल गेहूं के अलावा, गेहूं की अन्य सभी किस्मों की खरीद / अधिप्राप्ति मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । सरकार इस मूल्य पर बिक्री के लिए पेश की जाने वाली उचित औसत किस्म की गेहूं की सारी मात्राएं खरीद लेगी । राज्य सरकार गत वर्ष की भांति देशी लाल किस्म के गेहूं का मूल्य भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित करेगी ।

गोदी श्रमिकों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना

6699. **डा० रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी श्रमिक सलाहकार समिति ने सुझाव दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के उपबन्ध गोदी श्रमिकों पर लागू किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). गोदी श्रमिक सलाहकार समिति ने 21 मार्च, 1969 को कोचीन में हुई बैठक में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया और यह निर्णय किया कि प्रत्येक गोदी श्रमिक बोर्ड वहां व्याप्त स्थितियों को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार करेगा। यह भी स्वीकार किया गया कि ये गोदी श्रमिक बोर्ड, जो कि अपनी चिकित्सा योजनाओं को सीधे प्रशासित करना चाहते थे, ऐसा करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

Decentralisation of Beedi Industry in Saugar

6700. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to concentration of Beedi Industry in Saugar district the plight of Beedi labourers is pitiable there ; and

(b) if so, steps Government propose to decentralise the Beedi Industry and the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The matter falls within the State sphere.

Multi-Crops Programme in State

6701. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the 'Multi-Crops Programme' is proposed to be introduced in at least two districts of each State and if so, whether it would be introduced this year or on some later date ; and

(b) the names of the districts in Madhya Pradesh which have been selected for this purpose and if no district has been selected the time by which it would be done ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Multiple Cropping Programme has already been taken up in all the States and Union Territories from the year 1967-68. There is no rigidity about the number of districts to be selected in each State for the implementation of this programme. The programme is to be implemented in all areas of the State/Union Territory having high intensity of irrigation and/or assured rainfall.

(b) The information has been called for and will be placed on the table of the Sabha as soon as the State Governments reply has been received.

साउथ इंडियन वाईकोस कम्पनी, तमिलनाडु के कर्मचारियों को बोनस

6702. **श्री नम्बियार** **श्री के० रमानी :**
श्री उमानाथ : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इंडियन वाईकोस कम्पनी, तमिलनाडु ने अपने कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों में कोई बोनस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितना बोनस दिया गया है ;

(ग) क्या बोनस का कोई विवाद अनिर्णीत पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

दिल्ली में छात्रों के लिए रेडियो स्टेशन

6703. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रवि राय :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा छात्रों के लिये दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और यह नया रेडियो स्टेशन कब तक पूरा हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग). इस उद्देश्य के लिये कोई नया रेडियो केन्द्र स्थापित नहीं किया जा रहा है । तथापि, 15 से 30 वर्ष के बीच की आयु के युवकों के लिये एक विशेष सेवा के आयोजन के लिये आकाशवाणी, दिल्ली के वर्तमान चैनलों में से एक चैनल को प्रयोग करने की योजना है । योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट

6704. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के कुछ महत्वपूर्ण स्टाफ आर्टिस्ट, जिन पर मनीपुरी में सभी प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी है, अपने रुतबे तथा वेतन-मानों के पुनरीक्षण और सहायक निर्माताओं के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अभ्यावेदन देते आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) वेतनमानों तथा रुतबों में संशोधन आदि के बारे में आकाशवाणी इम्फाल के स्टाफ आर्टिस्टों के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के कर्मचारियों की शिकायतें

6705. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके भाग (ख) में उल्लिखित मामले पर इस बीच विचार तथा निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है।

कान्होजी आंगरे नौका के लापता होने के बारे में समाचार

6706. **श्री म० ला० सोंधी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से कान्होजी आंगरे नौका के लापता होने का कथित समाचार प्रसारित किया गया था, जो सच नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो इस भ्रामक समाचार के प्रसारण के लिये कौन जिम्मेवार है और सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अंडमान पर खेना अभियान के तलाश की कहानी आकाशवाणी द्वारा 12 और 13 फरवरी, 1969 को तब ही प्रसारित की गई थी जब आयोजक क्लब के अध्यक्ष ने इसकी सूचना दे दी थी और भारतीय नौ सेना अधिकारियों ने यह पुष्टि कर दी थी कि भारतीय वायु सेना के एक वायुयान ने इसकी तलाशी की परन्तु वह किश्ती का पता नहीं लगा सका। 14 फरवरी, 1969 को क्लब के अध्यक्ष से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि एक भारतीय वायुयान ने किश्ती को देखा। यह समाचार और खेने वाली किश्ती के सम्बन्ध में बाद की प्रगति के बारे में समाचार आकाशवाणी के बुलेटिनों में प्रसारित किये गये थे।

(ख) सवाल नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में गेहूं की खरीद

6707. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरयाना सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को राज्य के बाजारों से गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). हरियाणा में गेहूं की अधिप्राप्ति का कार्य राज्य सरकार अपने एजेंसी के माध्यम से कर रही है। निगम को यह कार्य सौंपने के मामले में केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचारों पर उचित ध्यान देना ही है।

Higher Posts for Research Scholars of Indian Veterinary Institute

6708. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director of Indian Veterinary Research Institute had recommended the names of 60 Research Scholars to the Ministry in 1960 for appointment to higher posts because of the good and satisfactory work done by them ;

(b) whether it is also a fact that no action has so far been taken in this regard whereas he had given an assurance in 1967 and 1968 that the matter would be disposed of early ; and

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No case of Research Scholars is pending in this Ministry. However the case of promotion to the posts of Research Assistants (Selection Grade) is under consideration.

(b) and (c). It is not correct to say that no action has been taken so far. This case is under consideration and the delay in finalising it has been due to the D. P. C. wanting some more additional information which is being collected by the Institute.

दिल्ली दुग्ध योजना की मोटर वर्कशाप के कर्मचारियों द्वारा काम न करना

6709. **श्री सूरज भान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मार्च, 1969 को दिल्ली दुग्ध योजना की मोटर वर्कशाप में कर्मचारियों ने दो घंटे काम नहीं किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) योजना के परिवहन वर्कशाप के कुछ कर्मचारियों ने 21-2-1969 को 1 घंटा 15 मिनट के लिये कार्य स्थगित किया था ।

(ख) ये कर्मचारीगण दिल्ली दुग्ध योजना में कुछ तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित दस्तकारी परीक्षणों को स्थानान्तरित करवाना चाहते थे ।

(ग) विषय सरकार के विचाराधीन है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आकाशवाणी का 'फोरम'

6710. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आकाशवाणी का "फोरम" आरम्भ करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप छोटे पैमाने के उद्योगों को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). प्रस्तावित सेवा का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

चूहों से सुरक्षित गोदामों के लिए अमरीका से ऋण

6711. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने हाल ही में चूहों से सुरक्षित गोदाम बनाने के लिए ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) ये गोदाम कौन-कौन से स्थान पर बनाये जायेंगे ; और

(घ) क्या फैजाबाद जिले में भी एक गोदाम बनाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 2.03 करोड़ रुपये ।

(ग)

1. दिल्ली	12. रांची
2. ग्वालियर	13. रूरकेला
3. इंदौर	14. दुर्गापुर
4. कोटा	15. कैंइसिगा
5. इलाहाबाद	16. सम्बलपुर
6. तिनसुकिया	17. भद्रक
7. नार्थ लखीमपुर	18. बरहमपुर
8. अहमदाबाद	19. गंगानगर
9. राजकोट	20. हनुमानगढ़
10. मारवाड़	21. धमतरी
11. सूरत	22. दुर्ग

(घ) जी हां, लेकिन इन निधियों से नहीं ।

बहु-प्रयोजनीय सहकारी स्टोर

6712. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यावश्यक और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के लिये बहु-प्रयोजनीय सहकारी स्टोरों के खोले जाने का बड़ी संख्या में खुदरा व्यापारियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण दुकान-सहायकों (शोप एसिस्टेन्ट्स) में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रभावित व्यापारियों और बेरोजगार हुए व्यक्तियों को सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं; उपभोक्ता सहकारी भण्डार उन उपभोज्य वस्तुओं के

कुल खुदरा व्यापार में से केवल एक छोटे से भाग का व्यापार करते हैं, जिन्हें वे बेचते हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सेंट्रल जर्सी फार्म (हिमाचल प्रदेश) की इमारत

6713. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अपना सेन्ट्रल जर्सी फार्म चलाने के लिये हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में कुमाद में इमारतें ली थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे किसी स्थान पर ले जाने का है और यदि हां, तो किस राज्य में और किस स्थान में ;

(ग) क्या सरकार का विचार इमारतें हिमाचल प्रदेश प्रशासन को अपना जर्सी ब्रिडिंग फार्म चलाने के लिये देने का है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उसे कुछ सांड देने का है और प्रत्येक सांड के लिये कितना मूल्य लिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जर्सी फार्म हर्ड कुमन्दकटौला (हिमाचल प्रदेश) से केन्द्रीय जर्सी फार्म, हीसरघटा (मैसूर राज्य) में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह फार्म के भवनों, भूमि और अन्य स्थावर वस्तुओं को अपने अधिकार में ले ले जो कि 14-2-69 को खाली कर दिये गये हैं। फार्म का कार्यालय भवन फार्म के पूर्णत: बन्द कर दिये जाने के उपरान्त 31 अगस्त, 1969 को खाली किया जायेगा।

(घ) 1968-69 में जर्सी हर्ड को कटौला फार्म से हिसरघटा भेजने से पूर्व 13 हाइफरों और 9 गायों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार को 17 जर्सी फार्म प्रजनन सांड प्रदान किये गये, इन सांडों का मूल्य भारत सरकार द्वारा विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों के पशुओं के लिये निर्धारित घटी मूल्य अनुसूची के आधार पर लिया गया।

पश्चिम बंगाल में अनाज की वसूली

6714. **डा० रानेन सेन** :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचना दी है कि

वह राज्य के अन्दर अनाज की वसूली का काम भारतीय खाद्य निगम से अपने हाथ में लेना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

6715. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री न० र० देवघरे :** **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री तुलसी दास दासप्पा :** **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार, नई दिल्ली के कार्य में अनियमितताएं पाई गई हैं और इसके वर्तमान प्रबन्धकों के विरुद्ध पक्षपात और भाई भतीजावाद के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1968 के दौरान माल खरीदने के लिये 34 से अधिक व्यक्तियों को, प्रबन्धक बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन के बिना और बाजार के सीधे उत्पादकों से खरीदकर उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के बुनियादी सिद्धान्त के विरुद्ध ठेके दिये गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक कमर्शियल बैंक को ढाई वर्षों से अधिक समय से बिना किराये पर बाजार में कार्य करने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बातों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या विभिन्न अनियमितताओं का जांच के लिये सरकार का एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सुपर बाजार में कुछेक विभाग तथा सेवाएं संभरकों तथा अन्य पार्टियों, जो 25 के लगभग हैं, के साथ किए गए विशेष प्रबन्धों के अन्तर्गत एजेन्सी अथवा कमीशन के आधार पर चलाई जा रही हैं, किन्तु प्रकार, मूल्यों, विक्रय तथा सेवा प्रभार पर सुपर बाजार का नियंत्रण है। ये प्रबन्ध उन विभागों के बारे में किए गए हैं जो विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत अलाभकर पाए गए थे अथवा जिनके लिए वाणिज्यिक अनुभव तथा विशेषज्ञता चाहिए जो सुपर बाजार को उपलब्ध नहीं है अथवा जो विशेषित सेवाएं हैं। ये विभाग तथा सेवाएं सुपर बाजार के कुल व्यापार का केवल एक छोटा-सा भाग है, जिसका अधिकांश भाग सुपर बाजार स्वयं अपने आप चलाता

है तथा प्रबन्ध करता है। कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली की उप-विधियों में इस प्रकार के प्रबन्धों के लिए व्यवस्था है, जो कि प्रबन्ध समिति की जानकारी में भी होते हैं।

(ग) जी हां, बिना किराये की जगह उस समझौते का अंग है जो इस बैंक के द्वारा सुपर बाजार की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध की गई सेवाओं के बदले में इसके साथ किया गया है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों, जिनके सामने इसी प्रकार की शर्तें रखी गई थीं, ने अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध करने से इंकार कर दिया था। आपसी समझौते द्वारा अब यह निर्णय किया गया है कि बैंक पहली मार्च, 1969 से कनाट सर्कस में सुपर बाजार की जगह का प्रयोग करने के लिए 5,000 रु० का मासिक शुल्क देगा।

(घ) सुपर बाजार को एक सहकारी समिति (कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई, दिल्ली) चलाती तथा उसका प्रबन्ध करती है और सहकारी कानून में अन्य सहकारी समितियों की भांति ही इस समिति को लेखा परीक्षण तथा निरीक्षण करने की व्यवस्था है। सुपर बाजार के कार्यकरण की जांच करने के लिए संसद की एक समिति गठित करने का प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी की विज्ञापन सेवाएं

6716. **श्री तुलसी दास दासप्पा :**
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 3 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5213 और 26 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा कलकत्ता के आकाशवाणी के केन्द्रों की इन विज्ञापन सेवाओं पर केन्द्र-वार अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों पर विज्ञापन सेवा शुरू करने का कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम सरकार ने बनाया है ; और क्या किसी केन्द्र पर यह कार्यक्रम इस बीच आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) अनुमानित आवर्ति व्यय इस प्रकार है :

बम्बई केन्द्र	16,13,569/-रुपये	1-11-67 से 31-3-69 तक
केन्द्रीय बिक्री यूनिट, बम्बई	1,62,800/-रुपये	1-10-68 से 31-3-69 तक
कलकत्ता केन्द्र	5,48,621/-रुपये	1-10-68 से 31-3-69 तक

(इन आंकड़ों में पूंजीगत व्यय शामिल नहीं है)

(ख) और (ग). व्यापारिक सेवा का विस्तार 1 अप्रैल, 1969 से दिल्ली में और 13 अप्रैल, 1969 से मद्रास-तिरुची में हो चुका है। इस सेवा के और विस्तार का प्रश्न विचाराधीन है।

डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति

6718. **श्री एस० एस० सैयद** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस रजिस्ट्रार के कार्यालय में डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार का एक पद बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पद को किस प्रकार भरने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस पद के लिए भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक इस पद पर केन्द्रीय सूचना सेवा के एक अधिकारी को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।

डाक तथा तार विभाग में नैमितिक श्रमिक

6719. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग द्वारा लगभग 1500 से 1600 नैमितिक श्रमिकों को 3 रुपये प्रति दिन पर काम पर लगाया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कई 10 वर्षों से अधिक समय से दैनिक आधार पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी भी नहीं बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनकी शिकायतें दूर करने और उन्हें स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). सूचना देश में सभी यूनिटों से एकत्र की जा रही है। इसे प्राप्त करके संकलित करने के बाद यथा-शीघ्र लोक-सभा पटल पर रखा जाएगा।

Manufacture of Vanaspati Ghee

6720. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of the oils used for manufacturing Vanaspati Ghee and whether it is a

fact that there is marked difference between the taste of Vanaspati Ghee available now as compared to what it was 10 years ago ;

(b) whether it is also a fact that Vanaspati Ghee is made from linseed oil these days and fat is also mixed therein because Vanaspati Ghee gives some foul smell ; and

(c) whether Government propose to exercise some special control in regard to the purification of Vanaspati Ghee ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Only three indigenous oils viz. groundnut, cottonseed, sesame oils and two imported oils viz. soyabean and sunflower oils are ordinarily permitted to be used in the manufacture of vanaspati. Vanaspati is required by law to be pleasant to taste and smell ; there is no significant difference in this regard between product as presently manufactured, and that manufactured 10 years ago.

(c) Control over the quality of vanaspati manufactured, stocked and sold in the country is already being exercised by the Government under the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, and the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. Central Government Inspectors pay surprise visits to factories periodically for drawing samples of vanaspati from stocks held by them, which are then analysed for checking conformity with the prescribed quality standards.

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये पश्चिम बंगाल की सहायता

6721. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों से पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल से आने वाले लगभग 15,000 विस्थापितों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से धन की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये अप्रवासी शरणार्थी नहीं हैं परन्तु इनको विकट परिस्थितियों में भारतीय बस्तियों को छोड़ना पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). जो व्यक्ति अन्त: क्षेत्रों में अपने स्थानों को छोड़कर आये हैं वे विस्थापित व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, किन्तु सरकार ने निश्चय किया है कि इन्हें भी वैसी ही पुनर्वास सहायता दी जाय जैसी कि पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों को दी जा रही है। इन अन्त: क्षेत्रों से आये 766 परिवारों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गई योजना जिस पर 80.41 लाख रुपये का व्यय होगा, मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम का ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करना

6722. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने भारतीय खाद्य निगम के ठेकेदारों के माध्यम से काम कराने की प्रणाली के बारे में शिकायतें की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रणाली से बहुत-सी समस्यायें पैदा हो गई हैं और हजारों टन अनाज की चोरी की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं और वे इस प्रणाली को जारी रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ, कलकत्ता से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि पत्तन और डिपो सम्बन्धी कार्य विभाग द्वारा किया जाना चाहिये।

(ख) जी नहीं। ठेकेदारों की लापरवाही के कारण खाद्यान्नों की यदि कोई कमी होती है तो उनसे पूरी की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Strike by Delhi Cinemas

6723. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the main reasons behind the decision of the Motion Pictures Association in Delhi to observe strike in the Cinema Houses with effect from the 4th April, 1969 and its subsequent postponement as also the demands of the Association : and

(b) the details of the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The owners of cinema houses in Delhi threatened to close down all the cinema houses from April 4, 1969, consequent on the decision of Delhi Administration to increase the rates of entertainment tax on film shows from 40% to 60%. Representatives of the film industry met some high officials of Delhi Administration and represented their case against the increase in entertainment tax. They were assured that their representation will be duly considered. The threatened strike did not take place.

श्रम न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन

6724. **श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रम न्याधिकरण जिसको 1967 में बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी में हड़ताल तथा तालाबन्दी के फलस्वरूप टाइम्स आफ इण्डिया ग्रुप के प्रकाशनों के कर्मचारियों के वेतनमानों का मामला सौंपा गया था, का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो कि मार्च, 1969 में मिलना था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). निम्न दो मामले राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय-निर्णय के लिये भेजे गये :—

(i) क्या गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्ड की अंतरिम सहायता की अदायगी सम्बन्धी सिफ़ारिशें, जो कि भारत सरकार द्वारा भारतीय राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1965 (भाग 1, खण्ड 1) में अधिसूचित की गई थीं, बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि० के गैर-पत्रकार श्रमिकों पर लागू होती हैं ; यदि नहीं, तो गैर-पत्रकार श्रमिक किस सहायता के हकदार हैं ?

(ii) क्या बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि० द्वारा, 17 फरवरी, 1967 से शुरू होने वाली हड़ताल और 27 फरवरी, 1967 से 26 मार्च, 1967 तक घोषित तालाबन्दी की समयावधियों के दौरान बम्बई और दिल्ली में अपने श्रमिकों को मजूरी न देना न्यायोचित था ; यदि नहीं, तो श्रमिक किस सहायता के हकदार हैं ?

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार श्रमिकों को अन्तरिम सहायता दे दी है, परन्तु हड़ताल तथा तालाबन्दी की अवधि की मजूरी की मांग रद्द कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के मूल्यों में असमानता

6725. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नीति राज सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य क्षेत्रों के कारण देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में खाद्य क्षेत्रों के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी अन्तर है। वर्ष विशेष में किसी राज्य में अनाज विशेष की पैदावार और कुल खाद्यान्नों की पैदावार और राज्य में खपत का तरीका, अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को अनाज भेजने पर परिवहन प्रभार और अन्य प्रासंगिक खर्चे आदि जैसे कुछेक तत्वों पर निर्भर करते हुए विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ अन्तर होना साधारण बात है। संचलन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व भी विभिन्न राज्यों में मूल्यों में कुछ अन्तर था।

(ख) और (ग). प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व खाद्य क्षेत्रों के ढांचे की समीक्षा की जाती है। जहां कहां अनाज विशेष की उपलब्धि में सुधार हुआ है वहां संचलन प्रतिबन्धों में ढील दी गई है।

पंचायत सचिव

6726. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत सचिव सरकारी कर्मचारी हैं और पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन पंचायत सचिवों के वेतन—मान क्या-क्या हैं ; और

(ग) यदि सब राज्यों और सब संघ राज्य क्षेत्रों में उनके वेतन-मान समान नहीं हैं, तो उनको सौंपे गये उत्तरदायित्व और कार्य का स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सरकारी कर्मचारी बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, दादरा तथा नगर हवेली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के केन्द्र शासित क्षेत्रों में पंचायत सचिव के रूप में काम करते हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 801/69**]

सोंरों (उड़ीसा) में टेलीफोन एक्सचेंज

6727. **श्री स० कुण्डू** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा से उड़िया भाषा में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र 'समाज'

में 10 मार्च, 1969 को प्रकाशित एक समाचार की ओर ध्यान दिया है जिसमें उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले के सोरों स्थान के निवासियों को सोरों के टेलीफोन एक्सचेंज में मशीनी खराबी होने के कारण होने वाली कठिनाई का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त खराबी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस एक्सचेंज का दरजा बढ़ाकर और इसमें पचास कनेक्शन जोड़ कर इसे केन्द्रीय बैट्री प्रणाली से चलाने के बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) दैनिक 'समाज' में एक समाचार छपा है कि सोरों एक्सचेंज बार-बार खराब हो जाता है ।

(ख) जब कभी खराबियों की सूचना मिलती है और पता चलता है तो उन्हें ठीक करने के लिये उपाय किये जाते हैं ।

(ग) एक्सचेंज में विस्तार करके 1969-70 तक इसे 50 लाइनों का स्वचालित एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव है । करचल केन्द्रीय बैटरी एक्सचेंज की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) केन्द्रीय बैटरी व्यवस्था के लाभकर होने की आशा नहीं है ।

दिल्ली में दूध की सप्लाई में सुधार करने का तरीका

6728. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की आरे/वोरली दुग्धशालायें बम्बई में अतिरिक्त दूध सप्लाई करने में समर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में दूध की सप्लाई को सुधार करने के लिये दिल्ली में भी वही तरीके अपनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उन्हें कब से अपनाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । वृहद् बम्बई दुग्ध योजना की आरे और वोरली दुग्ध-शालाओं का दुग्ध का थ्रुपुट आज कल 4,25,000 लिटर है जब कि अधिष्ठापित क्षमता 6,00,000 लिटर दूध प्रतिदिन की है ।

(ख) और (ग). वृहद् बम्बई दुग्ध योजना के अन्तर्गत दुग्ध पाकेटों (क्षेत्र जहां अधिकायत में दूध उपार्जित किया जाता है) से दुग्ध प्राप्त किया जाता है । ये पाकेट बहुत-बहुत दूरी पर स्थित हैं और दूध इन दो दुग्धशालाओं में प्रोसेसिंग के लिये सड़क/रेल से ढोया जाता है । कितनी ही

सहकारी समितियां दूध सप्लाई करती हैं। दुग्धशाला भी उत्पादक के लिये परितोषद कीमत देती हैं। आरे (बम्बई) में एक पशु बस्ती भी है जहां शहरी दुधारु पशु और उनके स्वामियों को स्थानान्तरित किया जाता है और बसा दिया जाता है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपनाई हुई तकनीक कुछ हद तक उसी प्रकार की हैं। एक बहुत बड़े क्षेत्र से दूध एकत्रित किया जाता है; और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दी हुई कीमत तर्क संगत है। लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर जैसे कि रोहतक जिला, सहकारी समितियों द्वारा दूध एकत्रित करना सफल सिद्ध नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के सहयोग से सहकारी समितियों को संगठित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारी धन लागत एवं आवर्ती व्यय होने के कारण सरकार ने आरे के आधार पर एक पशु बस्ती स्थान के प्रति निर्णय किया है। जनवरी, 1969 के लिये नवीनतम तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली दुग्ध योजना का दैनिक थ्रुपुट 2,31,377 लिटर था जब कि इसकी क्षमता 2,55,000 लिटर थी जो कि क्षमता का 90.4 प्रतिशत होता है। इसके विपरीत वृहद् बम्बई दुग्ध योजना में क्षमता 69.8 प्रतिशत ही रही। दिल्ली दुग्ध योजना की क्षमता 3,00,000 लिटर प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है।

मैसर्स मदन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को ऋण

6729. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 10.7 लाख रुपये की राशि मंजूर की है जो वह मैसर्स मदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऋण के रूप में देगी ताकि उस उद्योग में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को रोजगार देने की व्यवस्था की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। उक्त ऋण 25-3-1969 को मंजूर किया गया था।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को मैसर्स मदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश) में, जो कि उस समय पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये एक नगर था, एक कताई मिल स्थापित करने की योजना में वित्त लगाने के लिये 66.67 लाख रुपये का ऋण 1963 में मंजूर किया गया था। जनवरी, 1964, में पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में नये प्रवासियों के आने के फलस्वरूप, यह निश्चय किया गया कि मिल के रोजगार संभाव्य को पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों तथा बर्मा से लौटे लोगों को रोजगार दिलाने के लिये प्रयोग किया जाय। मूल्य में वृद्धि होने के संदर्भ में, मैसर्स मदन इंडस्ट्रीज ने परियोजना की पूर्ति के लिये सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की प्रार्थना की। मैसर्स मदन इंडस्ट्रीज को और ऋण देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को 10.70 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण मंजूर कर दिया गया है। इस योजना में लगभग 550 नये प्रवासियों तथा स्वदेश लौटे लोगों के लिये प्रशिक्षण सहित रोजगार दिलाना दृष्टि में रखा गया है।

Personnel of Indian Forest Service

6730. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the nature of the scheme of PL 480 Forest Research Institutes and Forest Colleges, the names of places where the probationer personnel of the Indian Forest Service are imparted training, the number of persons who have so far been imparted training and the number of persons proposed to be trained during this year ; and

(b) the details of subjects taught in these Institutes and Colleges?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected and the same will be laid on the Table of the House.

Central Machanised Farm in Saugar (M. P.)

6731. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to start a Central Mechanised Farm in the District of Saugar, Madhya Pradesh ;

(b) whether a provision has been made in the Budget for 1969-70 for the development of this Farm ;

(c) if so, the annual expenditure proposed to be incurred on the above Farm ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

(b) and (c). Does not arise.

(d) It has been decided not to set up, for the present, any Central State Farms other than the Farms which have already been set up or are in an advance stage of planning. The reasons are the inadequacy of financial resources and difficulties of finding suitable land.

Sanctioning of Telephone Connections

6732. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while intimating sanction of a telephone connection to a person or firm an enquiry is made from the person or firm connected whether they already have any temporary telephone connection with a view to regularise telephone connection ;

(b) if so, whether the Telephone Department do not maintain any record of the temporary telephone connections installed by them ;

(c) if such a record is maintained, the reasons for making the aforesaid enquiry from the person or firm concerned ; and

(d) how many days after the receipt of the reply to the aforesaid intimation from the subscribers, the telephone connection is provided to them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) and (c). A record of temporary connections is maintained according to the telephone numbers. It is not therefore practicable to easily trace particulars of applicants whose turn for a new telephone connection has come. The enquiry from the applicants is made to convert the temporary connection already working into a permanent connection as sanctioned.

(d) No time schedule is fixed for the purpose but a demand note is issued as early as possible after receipt of the reply subject to feasibility of the connection (where temporary connection is not given) and the telephone is installed in about a week's time on an average after intimation of payment is received.

जोर बाग, नई दिल्ली में स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों के लगाने में विलम्ब

6733. **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य रूप में टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी देने वाले पत्र जोरबाग केन्द्र, नई दिल्ली से नवम्बर, 1968 में भेजे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों को इस बीच टेलीफोन दिये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में डिमांड नोट्स अब तक नहीं भेजे गये हैं; और टेलीफोन केन्द्र कर्मचारी उनसे रिश्वत मांग रहे हैं;

(घ) इस मामले में विशेष ध्यान देकर सरकार उन व्यक्तियों को जिन्हें टेलीफोन मंजूर किये गये हैं, टेलीफोन देने के लिये क्या कारगर कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) उन्हें टेलीफोन निश्चित रूप से कब तक दे दिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 930

(ग) कुछ क्षेत्रों में केबिल युग्मों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ मामलों में डिमांड नोट जारी नहीं किये जा सके । फिर भी ऐसे मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की विभाग को जानकारी नहीं है ।

(घ) तथा (ङ). जोर बाग एक्सचेंज के कार्यक्षेत्र में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में नये

टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए आवश्यक भूमिगत केबिल पहले से ही बिछाई जा रही हैं और केबिल बिछाने का काम पूरा होने पर उत्तरोत्तर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। पिछले तीन-चार महीनों के दौरान नियमित रूप से टेलीफोन लगाये जा रहे हैं तथा आगे और केबिल बिछाये जाने पर उत्तरोत्तर अन्य टेलीफोन दिये जाएंगे। ऐसे अधिकांश आवेदक जो तकनीकी दृष्टि से टेलीफोन देना संभव न होने की वजह से रह गए थे, उन्हें अगले दो-तीन महीनों के दौरान टेलीफोन दिए जाने की संभावना है।

Waiting List for Telephone Connections in Delhi

6734. **Shri Chandra Shekhar Singh:**
Shri Jageshwar Yadav:

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the number of persons in the waiting list relating to the allotment of telephones from General Pool in various Telephone Exchanges of Delhi and New Delhi and the dates since when they are on that list;

(b) the number of such persons on the waiting list of various Exchanges as have made applications in this regard for the last 10 years and 5 years respectively; and

(c) the probable dates by which these persons will be allotted telephones?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):

(a) **Non-OYT Waiting List**

Exchange	No.	Cleared up to
21	2767	March 1964
22	12732	March 1958
26	7206	Decr. 1957
27	3366	Decr. 1957
39	1045	March 1964
4	2971	Decr. 1954
56	8529	June 1959
58	3267	June 1959
62	1567	28 Aug. 1958
7	5919	7 Aug. 1958
61	1366	7 Aug. 1958
81	578	Sept. 1966
85	1102	Jan. 1965
82	192	July 1962
83	207	Decr. 1963
86	183	8 Jan. 1969
87	59	May 1968
88	114	Sept. 1966
89	108	March 1969
Badli	61	Nov. 1966
Total:	52341	

(b)

Exchange	Waiting list for 10 years and above	Waiting between 5 years and 10 years.
22	2285	5199
26	1423	3352
27	527	1358
4	1256	1222
56	—	2898
58	—	1028
7, 61, 62	653	1761
82	Nil	45

(c) Last year about 2900 phones were sanctioned under this category. Provision of additional telephone connections is dependent upon several factors e. g. availability of exchange equipments underground cables, lines stores and instruments. These items are in short supply due to short capacity in the Manufacturing plants in the country and foreign exchange difficulties.

दिन में दो बार भोजन न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या

6735. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया है, जिन्हें दिन में दो बार भोजन नहीं मिलता; और

(ख) यदि हां, तो 1967 की तुलना में 1968 में उनकी राज्य-वार संख्या कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । खपत के सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक तथा व्यापक सर्वेक्षण न किए जाने के कारण उन लोगों के बारे में जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

अमरीकी चलचित्र निर्माताओं के लिये स्वामिस्व

6736. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अपने चलचित्रों के प्रदर्शन से अमरीकी चलचित्र निर्माताओं को प्रति वर्ष कितना स्वामिस्व (या लाभ) प्राप्त होता है;

(ख) इन चलचित्र निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1967 और 1968 में उन्हें क्रमशः स्वामिस्व की कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). आवश्यक सामग्री रिजर्व बैंक आफ इंडिया, जो इस प्रकार का रिकार्ड रखता है, के परामर्श से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

समाचारों के प्रसारण में संसदीय कार्यवाही का प्रसारण

6737. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में उस रात्रि को 8.45 म० पू०, और 9.00 म० पू० के समाचार प्रसारणों में कोई प्रसारण नहीं किया गया था जब कि 3 अप्रैल, 1969 को उस वाद-विवाद का अन्तिम भाग उसी दिन 8.45 म० पू० और 9.00 म० पू० के समाचार प्रसारणों में विधिवत प्रसारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि 2 अप्रैल को उक्त मंत्रालय के सम्बन्ध में हुए वाद-विवाद का 3 अप्रैल, 1969 को केवल 8.00 म० पू० (हिन्दी में) प्रसारण किया गया तथा 8.15 म० पू० नहीं, जब कि 3 अप्रैल को हुए वाद-विवाद के अन्तिम भाग को 4 अप्रैल, 1969 को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में 8.00 म० पू० और 8.15 म० पू० प्रसारण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं था । 2 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय अनुदानों की मांगों पर बहस के सम्बन्ध में, उस दिन अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के अधिक मात्रा में आ जाने के कारण, रात्रि के 8.45 बजे के हिन्दी बुलेटिन या 9 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन में प्रसारण नहीं किया जा सका । तथापि, बहस के सम्बन्ध में संक्षिप्त रिपोर्ट 3 अप्रैल को प्रातः 8 बजे के दिल्ली बुलेटिन में प्रसारित की गई थी । यह 2 अप्रैल की शाम को "संसद् समीक्षा" और "टुडे इन पार्लियामेंट" में पर्याप्त रूप से प्रसारित की गई थी ।

(ग) जी, नहीं । 3 अप्रैल की बहस 4 अप्रैल की प्रातः 8 बजे के हिन्दी बुलेटिन या 8.15 बजे के अंग्रेजी बुलेटिन में प्रसारित नहीं की गई थी ।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठते ।

दिल्ली ज्योलोजिकल स्टडी सर्किल एण्ड दिल्ली बर्ड वाचिंग सोसाइटी

6738. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ज्योलोजिकल स्टडी सर्किल एण्ड दिल्ली बर्ड वाचिंग सोसाइटी नाम की संस्थायें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं;

(ग) क्या उनको सरकार से कोई अनुदान मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त कमीशन एजेन्ट

6739. **श्री एस० पी० राममूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंडीकेट की माल डिब्बा लादने की दर 10 पैसे है जब कि भारतीय खाद्य निगम, लुधियाना द्वारा नियुक्त कमीशन एजेन्ट द्वारा 5 पैसे लिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिंडीकेट द्वारा वसूल किये जा रहे गोदामों के किराये कमीशन एजेन्टों द्वारा वसूल किये जाने वाले किरायों की तुलना में अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम, लुधियाना द्वारा कमीशन एजेन्टों को निरुत्साहित किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार की स्वीकृति से मार्केट कमेटियां / सम्बन्धित जिला खाद्य तथा पूर्ति नियंत्रक अधिप्राप्ति कार्य के लिये वैगनों पर माल लादने सहित मजदूरों की सभी दरें निर्धारित करते हैं और ये दरें सभी कमीशन एजेन्टों को दी जाती हैं, भले ही वे व्यक्तिगत फर्में या सिंडीकेट हों। 1968-69 में लदान प्रभार 10 पैसे प्रति बोरी निर्धारित किया गया था।

(ख) गोदामों की स्थिति के अनुसार उपयुक्त दरों पर गोदाम किराये पर लिये जाते हैं लेकिन अधिकतम दर सीमा 10 रुपये प्रति 100 बोरी क्षमता की है और व्यक्तिगत कमीशन

एजेन्टों और सिंडीकेट दोनों के लिये यही मापदण्ड ठीक ही है। गत वर्ष गोदामों की अत्यधिक कमी के कारण कुछेक अपवादात्मक मामलों में अपेक्षाकृत ऊंची दरें भी दी गई थीं।

(ग) पक्षपात की शिकायतें बहुत ही कम करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति से लिये गये नीति विषयक निर्णय के अन्तर्गत व्यक्तिगत कमीशन एजेन्टों की बजाय कमीशन एजेन्टों की सिंडीकेटों को क्रय एजेन्ट नियुक्त करने में तरजीह दी जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त कमीशन एजेन्ट

6740. **श्री एस० पी० राममूर्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम, लुधियाना द्वारा नियुक्त कमीशन एजेन्ट 50 पैसे प्रति 100 रुपये के हिसाब से कमीशन लेते हैं जब कि सिंडीकेट 75 पैसे प्रति 100 रुपये के हिसाब से कमीशन ले रहा था कि जो अब घटाकर 50 पैसे कर दी गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिंडीकेट द्वारा वसूल की जाने वाली मजूरी की दर मंडी से गोदाम तक ले जाने के लिये 30 पैसे प्रति बोरी और बोरी भरने के लिये 6 पैसे हैं जबकि कमीशन एजेन्ट उसी काम के लिये क्रमशः 18 पैसे और 5 पैसे लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कमीशन एजेन्ट नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) ढुलाई और बोरों की भराई की दरें विपणन समितियां/जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर निर्धारित करते हैं और वही दरें व्यक्तिगत फर्मों अथवा कमीशन एजेन्टों के सिंडीकेट को दी जाती हैं। दूरी के अनुसार ढुलाई प्रभारों में अन्तर होता है और 1968-69 में इन प्रभारों में 25 से लेकर 50 पैसे तक प्रति बोरे में अन्तर था।

(ग) पक्षपात सम्बन्धी शिकायतें कम करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति से नीति सम्बन्धी लिए गए निर्णय के अन्तर्गत व्यक्तिगत कमीशन एजेन्टों की बजाय कमीशन एजेन्टों के सिंडीकेट, क्रय एजेन्टों के रूप में नियुक्त किये जा रहे हैं।

पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कमीशन एजेन्टों की नियुक्ति

6741. **श्री एस० पी० राममूर्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त सिंडीकेट 7 पैसे प्रति 100

रुपये की दर पर सब एजेन्ट नियुक्त करता है और क्या यह कमीशन सिंडीकेट द्वारा दिये गये काम की तुलना में अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यक्तिगत कमीशन एजेन्टों की तुलना में सिंडीकेट कोई देन-दारी और जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है; और

(ग) यदि हां, तो कमीशन एजेन्ट नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं और उन लोगों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में कमीशन एजेन्ट नियुक्त किया था और उन कमीशन एजेन्टों के नाम क्या हैं जो अब भी निगम की सूची में हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम सिंडीकेट को कमीशन देता है जो कि निगम के कमीशन एजेन्ट हैं। सिंडीकेट ने किसी विशिष्ट उप-एजेन्ट के साथ उप-एजेन्सी के बारे में कोई संक्षिप्त शर्तें तय की हैं इस बारे में निगम के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य सरकार के परामर्श से लिये गये एक नीति सम्बन्धी निर्णय के अन्तर्गत, भारतीय खाद्य निगम ने पक्षपात की शिकायतों को कम करने हेतु खाद्यान्न की अधिप्राप्ति के लिए सिंडीकेट को अपने एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

लेह में हाल ही की घटनायें

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें।

"लेह में हाल ही की घटनायें, जिनके कारण केन्द्रीय रक्षित पुलिस को वहां भेजना आवश्यक हो गया।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जम्मू तथा कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लद्दाख जिले में साबू गांव में एक भाई और बहन के बीच जायदाद का झगड़ा था। भाई बौद्ध मत का था और बहन इस्लाम धर्म की अनुयायी है। एक समाचार के अनुसार भाई ने 15-16 मार्च को एक विवादग्रस्त झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था और उस पर बौद्ध धर्म के तीन छोटे झंडे लगा दिये थे। यह कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों ने उन झंडों को उतार दिया था। इससे सम्बन्धित व्यक्तियों में झगड़ा हो गया। इस घटना के बाद लेह में 25 मार्च को हड़ताल की गई और कुछ दंगे भी हुये थे जिनमें पत्थर फेंके जाने के कारण पुलिस के कुछ सिपाही घायल हो गये थे। 3 अप्रैल को बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने लेह में जलूस निकाला

था जो शान्तिपूर्वक न होने के कारण जिला पुलिस द्वारा तितर-बितर कर दिया गया था। धारा 144 लागू कर दी गई थी और पुलिस ने कुछ मामले रजिस्टर किये थे। बचाव के तौर पर श्रीनगर से केन्द्रीय रक्षित पुलिस की एक छोटी टुकड़ी को भेजा गया था।

श्री म० ला० सोंधी : लद्दाख की वर्तमान घटना इस प्रकार की घटनाओं की एक बड़ी कड़ी में से एक है। लद्दाख की जनता यह अनुभव करती है कि वहां जीवन और स्वाधीनता को भारी खतरा है। मंत्री महोदय के अनुसार यह एक घरेलू झगड़ा था, जो बड़े झगड़े का रूप ले गया था, परन्तु उन्होंने ऐसे तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया कि कुछ आपराधिक तत्व प्रशासन में घुस आये हैं जिन्होंने उस आग को और भड़काया और तनाव की स्थिति की योजना बनाई थी, जिससे भारत के राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंची है। क्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को कोई चिन्ता है ? लद्दाख में एक ग्रुप हिंसा और साम्प्रदायिक घृणा फैला रहा है परन्तु पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस में ही कुछ ऐसे तत्व हैं, जो ऐसे लोगों को भड़काते हैं। गृह मंत्री को इस स्थिति के साथ दृढ़ता से निपटना चाहिए और राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कानून और शक्ति के मामले में टालमटोल सहन नहीं किया जा सकता, विशेष कर जब भारत की सुरक्षा को खतरा हो। क्या सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रशासनिक सहायता देगी क्योंकि यह प्रशासनिक असफलता है ? साबू गांव पाकिस्तान और चीन अधिकृत सिक्यांग की सीमा पर है और जीप आसानी से जा सकती है। लेह का वर्तमान पुलिस अधीक्षक 9 वर्षों से इस पद पर हैं। राज्य सरकार लद्दाख की जनता का दमन करने के लिये इस अधिकारी का उपयोग कर रही है। लद्दाख में तेलंगाना जैसी स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि सामान्य चुनाव के पश्चात् लद्दाख से निर्वाचित किसी सदस्य को राज्य मंत्रिमंडल में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है।

लेह स्थित पोलो ग्राऊंड में लाठी चलाई जाने के बाद स्थिति अधिक खराब हुई थी। लद्दाख बौद्ध संघ ने एक तार भेजा था परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था। अतः 3 अप्रैल को 5000 लोगों का जलूस निकाला गया था। उस जलूस पर किसी ने गोली चलाई जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया था। क्या केन्द्रीय सरकार अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए विशेष कार्यवाही करेगी ? क्या गृह मंत्री कोई नई राजनीतिक व्यवस्था करने के लिए मुख्य मंत्री के साथ बातचीत करेंगे ? क्या वह लद्दाख के मामले एक सलाहकार समिति बनाने के लिए तैयार हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य का वक्तव्य व्यंग्यों और आरोपों से भरा हुआ है। राज्य सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी है। लद्दाख की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही की गई है। गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। लद्दाख की स्थिति विशेष है और उस क्षेत्र के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : उन्होंने पूछा था कि क्या आप लद्दाख के मामले में एक सलाहकार समिति और लद्दाख के लिए अलग राजनीतिक ढांचा बनाने के लिए तैयार हैं ?

श्री म० ला० सोंधी : खिड़की से किसने गोली चलाई थी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन प्रश्नों का सम्बन्ध राज्य सरकार से है । मैं इनका उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री बलराज मधोक : आप उत्तरदायित्व से क्यों भाग रहे हैं । लद्दाख का क्षेत्र नाजुक है केन्द्रीय सरकार का अपना उत्तरदायित्व है ।

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : I may point out that Government should have enquired into this matter at primary stage so to avoid any further trouble. Ladakh is confronted with many problems. The funds allocated for Ladakh are quite inadequate. We have not achieved anything significant in the field of education or in any other field. No seat is reserved for the people of Ladakh for medical or any other training. Therefore people of Ladakh are annoyed. In view of this we had suggested that Central Government should administer this area directly. But nothing has happened. The number of such incidents would increase. Certain elements of Kashmir have encouraged, the present trouble. Section 144 should be revoked in order to normalise the situation.

I may also point out that attitude of the investigating officers deputed by State Government was partial. They had not taken the trouble to visit the injured people in the hospital. I therefore suggest that Central Government should depute a person who should conduct an impartial enquiry. The Government should find out the requirements of the people of Ladakh and a committee of Members of Parliament should be appointed for this purpose.

Shri Vidya Charan Shukla : The suggestion regarding Section 144 will be sent to the State Government. If the same can be revoked after taking into consideration the situation prevailing there, we will be happy. In case something is lacking in the information we will enquire of the State Government. In addition to the State Government we have our own sources also. We take action keeping in view information received from both the sources. I agree that we should try to find out the needs of people in Ladakh. Gajendragadkar Commission have made a comprehensive and sound recommendation in this respect. The State Government have informed that most of the reeommendations of the commission have been accepted and are being implemented. The remaining recommendations are under consideration.

अध्यक्ष महोदय : तेलंगाना में कोई शिष्टमंडल नहीं गया था परन्तु सभी दलों के नेता वहां पर गये थे । परन्तु लद्दाख में कोई भी सदस्य नहीं गया । अत: मेरे विचार में श्री कुशोक बाकुला के सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए । यह सुझाव बिल्कुल उचित प्रतीत होता है ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The fact is that Kashmiri Muslims are serving there. They marry the girls of Buddhists forcibly and this is the cause of trouble.

Second thing is that Ladakh has been a neglected area. May I know the recommendations of Gajendragadkar Commission which have been accepted and the others which have not been accepted ?

Shri Vidya Charan Shukla : One of the recommendations of Gajendragadkar Commission is that the cost of ration issued in Ladakh should be the same which is prevailing in Kashmir Valley. The State Government have accepted it.

The second recommendation was that there should be no discrimination between local people and outsiders. This has also been accepted.

The State Government have also accepted the recommendation regarding increase in the transport facilities. They have also accepted to increase the facilities of electricity in Ladakh. They have also agreed to amalgamate the post of Development Commissioner with Deputy Commissioner as suggested.

The State Government have accepted recommendation regarding development of Leh town. It has also been agreed to establish a degree college there.

The rest of the recommendations are still under consideration of the State Government.

It would be wrong to say that the cause of disturbances was Hindu-Muslim feelings. The things should not be generalised like this.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : क्या आप मंत्री महोदय से कहेंगे कि वह एक-दो दिन में आपको बतायें कि वे अन्य सिफारिशों के बारे में क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक शिष्टमंडल का सुझाव दिया था । वे लोग वहां की समस्याओं को समझने के लिए ही तो वहां पर जायेंगे । इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (बिक्रीकर) अधिनियम तथा दिल्ली विक्रय कर (आठवां संशोधन) नियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ० 4 (125)/68—फिन० (जी) जो दिनांक 7 नवम्बर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 27 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (125)/68–फिन० (जनरल) का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(2) दिल्ली विक्रय कर (आठवां संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (120)/68—फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

(पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2287/68)

उपज उपकर अधिनियम के अधीन अधिसूचना में प्रकाशित उपज उपकर नियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 22 के अधीन उपज उपकर नियम, 1969 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 28 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 888 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2588/68]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

69 वां प्रतिवेदन

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : मैं विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें), 1966-67 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), 1968 के बारे में लोक लेखा समिति का 69 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं ।

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें (जारी)

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें तो शेष मांगों के समय में कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी । मा० मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : यह संतोष की बात है कि माननीय सदस्यों ने गत वर्ष में इस मंत्रालय के कार्य पर आम तौर पर संतोष व्यक्त किया है और इस कार्य में आगे सुधार करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिये हैं । गत वर्ष निर्यात में काफी वृद्धि हुई है । फरवरी 1969 के अन्त तक 1236.7 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया जा चुका था । गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के निर्यात में 12.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इसके साथ साथ आयात में भी कमी हुई है । अप्रैल-फरवरी 1967-68 में आयात 1761.5 करोड़ रुपये से घट कर अप्रैल-फरवरी 1968-69 में 1651.9 करोड़ रुपए रह गया है अर्थात आयात में 110 करोड़ रुपये की कमी हुई है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

हालांकि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मार्ग दीर्घ एवं कठोर है परन्तु निश्चय ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और आगामी वर्षों में भी हम इस दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे ।

सभा में व्यक्त किये गये इस विचार से मैं सहमत हूं कि हमें निर्यात की प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमने जो कार्य किया है वह आरम्भ मात्र है। अभी काफी परिश्रम करने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में जोरदार मुकाबला होगा। जब तक समुद्रपार के खरीदारों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो जाती और हमारे बाजार के तकनीकों का विकास नहीं हो जाता तब तक हम इस निर्यात सम्बन्धी प्रयास को बनाये रखने में सफल नहीं हो सकते।

गत दो वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में आई मन्दी ने हमारी अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया था। हम इस मन्दी की स्थिति से छुटकारा पाने के लिये प्रयत्नशील हैं परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में काफी समस्याएं हमारे सामने हैं।

हमें आशा है कि देश की मांग में कमी के कारण निर्यात के लिये काफी फालतू माल जमा हो गया था वह विदेशों में व्यापार की अच्छी स्थिति होने के कारण और हमारी उपयुक्त नीति के कारण निर्यात योग्य फालतू माल में कमी हो जायेगी, चालू वर्ष में देश की बढ़ती हुई मांग और गत वर्ष में प्राप्त हुई सफलता को बनाये रखने के लिये दावों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होगी। देश की मांग बढ़ रही मांग की समस्या को महसूस किया जा रहा है। अतः हमें इस समस्या का और निर्यात को बनाये रखने की समस्या का समाधान करना होगा। चालू वर्ष में भी हम उसी नीति का अनुसरण करेंगे जिसका हमने गत वर्ष में अनुसरण किया था क्योंकि हमें इससे काफी सफलता मिली है। फिर भी हम अपनी नीति ऐसी बनायेंगे जिसमें बाजार क्षमता पर अधिक जोर दिया जाये।

गतवर्ष के निर्यात सम्बन्धी अनुभव से हमें पता चलता है कि हमें विदेशी मांग की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन का ढांचा बनाएं। यह बात हमारे औद्योगिक उद्यमकर्ताओं के मन में है। यदि हम विदेशों की आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पादन में विवधता लाये तो गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में सफलता न मिलने का कोई कारण नहीं है।

हमारे उद्योगपतियों को विश्वास हो गया है कि वे निर्यात कर सकते हैं और हमें इस विश्वास को बनाये रखना है तथा उसका पूरा लाभ उठाना है।

श्री रंगा : हमें परम्परागत निर्यात पर सामान्य रूप से ध्यान देते रहना चाहिए और उसके साथ-साथ नई वस्तुओं के निर्यात बढ़ाना चाहिए। परन्तु वास्तव में स्थिति इससे भिन्न है। तम्बाकू के व्यापार के सम्बन्ध में व्यापारियों में विश्वास कम हो रहा है। मंत्री महोदय आश्वासन दें कि राज्य व्यापार निगम रचनात्मक कार्य करेगा और वह ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे केवल कुछ लोगों को ही लाभ हो।

श्री ब० रा० भगत : परम्परागत वस्तुओं के निर्यात क्षेत्र में मांग और पूर्ति की अनेक समस्याएं हैं। जैसे गत वर्ष के निर्यात से पटसन का निर्यात इस वर्ष कम हुआ है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस स्थिति में सुधार करने के लिये कई उपायों का सुझाव दिया है। जहां तक वित्तीय

उपायों का सम्बन्ध है, निर्यात शुल्क में पहले ही राहत दी जा चुकी है। वर्ष 1968 में मुख्य समस्या यह थी कि कच्चे पटसन का फसल कम पैदा हुआ था। उद्योग और श्रमिकों के सहयोग से सरकार ने देशों की मिलों को समान रूप से वितरण किया था और कच्चे माल की उपलब्धता के लिये उत्पादन का समायोजन किया था। ऐसी स्थिति में देश की भीतरी खपत पर कुछ नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता है। इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने और उसमें विविधता लाने के लिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये। अच्छी फसल की सम्भावना, निर्यात शुल्क में कमी, औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से अधिक ऋण देने की व्यवस्था और इस उद्योग को प्राथमिक उद्योगों की सूची में सम्मिलित करने से इसके निर्यात में अनुकूल प्रतिक्रिया होगी।

इस बात की शिकायत की गई है कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने इस बात पर बल दिया है कि किसानों को समर्थन मूल्य ही नहीं अपितु उससे अधिक मूल्य मिले। राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन का काफी भण्डार जमा किया जायेगा जिससे मूल्य न गिरने पायें और मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई होती रहे। हमें आशा है कि इन उपायों से इस स्थिति में सुधार होगा।

गत वर्ष में सूती कपड़े के निर्यात की स्थिति अच्छी रही है। यह प्रसन्नता की बात है कि पश्चिम योरुप में भी हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है। सूती कपड़ा उद्योग में अब सुधार हो रहा है। चालू वर्ष में उत्पादन बढ़ा है और भण्डार की स्थिति संतोषजनक है। उत्पादन शुल्क की रियायत की घोषणा के कारण कपड़े की मांग बढ़ेगी। राष्ट्रीय कपड़ा निगम उन्हीं मिलों को अपने अधिकार में लेगा जिन्हें पुनः चालू किया जा सकता है। आशा है कि इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता की व्यवस्था किये जाने के कारण इस महत्वपूर्ण उद्योग को राहत मिलेगी।

मनुभाई शाह समिति की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, जिनका सम्बन्ध मिलों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाने, आधुनिकीकरण आयुक्त कार्यालय स्थापित करने और इस उद्योग को प्राथमिकता देने से है।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मैं आय-कर के लिये प्राथमिकता भत्ते के विषय में जानना चाहता हूं।

श्री ब० रा० भगत : उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकास छूट के लिये इसकी व्यवस्था की गई है। जहां तक आधुनिकीकरण आयुक्त की बात है, कपड़ा निगम में एक उच्च तकनीकी अधिकारी है। उपर्युक्त प्रतिवेदन के भाग-2 में उल्लिखित उस सिफारिश पर अभी विचार किया जा रहा है जिसमें कमजोर मिलों को मजबूत मिलों द्वारा अपने हाथ में लेने के लिये कहा गया है।

दूसरी समिति कोगेकर समिति थी जिसने हाल ही में प्रतिवेदन की एक प्रति भेजी है। हमें पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर निर्णय कर लिये हैं।

के० के० शाह समिति में कपड़ा आयुक्त के कार्यालय का उल्लेख था। इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर विचार किया जायेगा। के० के० शाह समिति के प्रतिवेदन के भाग 1 में उल्लिखित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उसके दूसरे भाग पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक रुई के मूल्यों का सम्बन्ध है, हमें रुई उत्पादकों के हितों को भी ध्यान में रखना है। उन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिये। हमें रुई का उत्पादन बढ़ाना है। कृषि मंत्रालय का एक विशेष व्यक्ति इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है। वर्ष 1967-68 में रुई के विनियंत्रण के बाद कपास समर्थन मूल्य निश्चित किया गया था जो न्यूनतम मूल्य से 5-10 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1968-69 में समर्थन मूल्य में 2-5 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। वैसे इन वर्षों में समर्थन मूल्य की अपेक्षा बाजार मूल्य अधिक रहा है।

कपास के मूल्य में वृद्धि युक्तिसंगत नहीं है। देश में उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कपास का पर्याप्त भण्डार है। विनियंत्रण के समय व्यापारियों ने आश्वासन दिया था कि वे मूल्य नहीं बढ़ाएंगे। इस स्थिति से उनमें मेरा विश्वास कम हो गया है। यदि उन्होंने मूल्यों में कमी नहीं की तो सरकार कठोर कार्यवाही करने के लिये विवश हो जायेगी।

हम अमरीका से पी० एल 480 के अन्तर्गत शीघ्र रुई का आयात कर रहे हैं। मैंने इस स्थिति में सुधार करने के उपायों पर विचार करने के लिये रुई सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाने के लिये कपड़ा आयुक्त को कहा है। हम चाहते हैं कि जनता को तथा विदेशों में उचित मूल्यों पर कपड़ा उपलब्ध हो।

सूती धागे की समस्याओं पर मैं अवश्य विचार करूंगा और वास्तव में हमारा मंत्रालय उनमें से कुछ समस्याओं पर विचार कर भी रहा है।

चालू वर्ष में चाय के निर्यात की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चाय का निर्यात कुछ कम रहा है। परंतु लंदन में भण्डार अधिक जमा होने के कारण चाय का मूल्य बहुत कम प्राप्त हुआ है।

चाय से आय घटने की समस्या केवल भारत के साथ ही नहीं है। इसलिये चाय का उत्पादन करने वाले देशों के साथ समझौता करने के प्रयत्न किये गये हैं। क्रय विक्रय के लिये द्विपक्षीय व्यवस्था के अतिरिक्त, जो हम श्रीलंका के साथ करने वाले हैं, खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में कम्पाला में उत्पादन करने वाले तथा उपयोग वाले, दोनों देशों की बैठक हुई थी। आगामी वर्षों में इन सबके अच्छे परिणाम होंगे।

हथकरघा क्षेत्र में सुधार किया जाना है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे मजबूत करना हमारी नीति है।

अब गैर-परम्परागत वस्तुओं के, जिनका महत्व बढ़ता जा रहा है, निर्यात के बारे में कुछ कहूंगा।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मंत्री महोदय ने तम्बाकू के निर्यात के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री ब० रा० भगत : हम इसे गैर-परम्परागत वस्तु मानते हैं। इस मामले पर राज्य व्यापार निगम ने विचार किया था।

श्री रंगा : राज्य व्यापार निगम कुछ नहीं कर रहा है।

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में अनेक संसद् सदस्यों, उत्पादकों के प्रतिनिधियों, मेरे सहयोगी श्री रघुरामैया तथा विपक्षो दलों के नेता ने मुझसे बात की थी। इस पर सामान्य चर्चा के बाद यह स्वीकार किया गया था कि इस मामले पर राज्य व्यापार निगम विचार करेगा। मैंने राज्य व्यापार निगम से कहा था कि वह इस व्यापार का विकास करे। मैंने इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निदेश दिया है और निगम उसके अनुसार कार्य कर रहा है और वह तम्बाकू के निर्यात के लिये कोई योजना बनायेगा।

वर्ष 1968-69 में हमने इंजीनियरी सामान, लोहा और इस्पात, रासायनों, सहायक उत्पादों, तैयार चमड़े तथा चमड़े के सामान आदि गैर-पारम्परिक वस्तुओं का लगभग 205 करोड़ रुपये का निर्यात किया। इंजीनियरी सामान का निर्यात वर्ष 1965-66 में 29 करोड़ रुपये का था जो बढ़कर वर्ष 1968-69 में 85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। निर्यात में यह वृद्धि अनेक कारणों से हुई, यथा विदेशों में मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाया गया, उत्पादन क्षमता का विकास किया, निर्यात के लिये पर्याप्त ऋण दिये गये, विदेशों में मांग बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये गये तथा देश में मंदी आ जाने से विदेशों को अधिक निर्यात किया गया। चूंकि अब देश में मांग बढ़ रही है अतः जब तक निर्यात बढ़ाने के हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिये तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाये, हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं होगी।

चमड़े के माल के निर्यात में वृद्धि हो रही है। नई आयात नीति सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से बनाई गई है। विदेशों से आयात में कमी हुई है। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औद्योगिक कच्चे माल का आयात करने की हमारी नीति के बारे में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। हमने मध्य मार्ग अपनाया। राज्य व्यापार निगम उस कच्चे माल का आयात करता है जिसमें वह अधिक लाभ कमा सकता है। अखबारी कागज, रेशम के धागे, कच्ची ऊन, सोडियम नाइट्रेट, कोपरा, सोयाबीन का तेल, खजूर का तेल, नायलोन के धागे आदि वस्तुओं का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। ऐसा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि एकमुश्त बड़ी मात्रा में सामान बेचकर पर्याप्त लाभ कमाया जाये, राज्य व्यापार निगम विदेशों में लाभप्रद सौदे तय कर सके, देश के अन्दर दुर्लभ वस्तुओं की बिक्री से सरकारी कोष को अधिक धन मिले तथा कच्चे माल का उचित क्षेत्र से वितरण हो सके।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु निगम के अनुभव से लाभ उठाकर छोटे बड़े सभी निर्यातक अपना सामान निर्यात कर सकते हैं। निर्यात तथा आयात व्यापार का

नेतृत्व सरकारी क्षेत्र में रहना अत्यन्त आवश्यक है। यह लघु उद्योगों के हित में भी है। राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा क्रमशः 115.8 करोड़ रुपये और 28.8 करोड़ रुपये का आयात किया जाता है तथा इन निगमों द्वारा क्रमशः 23.6 करोड़ रुपये तथा 70.7 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया जाता है। यद्यपि यह प्रतिशतता बहुत कम है, तथापि यह प्रतिशतता उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

लघु उद्योगों के बारे में कहा गया है कि उन्हें अपने सामान का निर्यात करना चाहिए। लघु उद्योग अपने सामान का निर्यात राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही अच्छी तरह कर सकते हैं। ये निगम न केवल बड़े तथा सुसंगठित निर्यातकों का अपितु लघु उद्योगों का माल भी निर्यात करते हैं। मुझे आशा है, ये निगम आशानुकूल संतोषजनक ढंग से कार्य करेंगे।

वाणिज्यिक प्रचार के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। एक्सपो 70 के सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब होने के बारे में शिकायत की गई है। यह ठीक है कि इसमें कुछ विलम्ब हुआ था। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि स्थल का तथा वहां प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं का चयन कर लिया गया है और हमें पूरी आशा है कि हम इस अवसर का पूरी तरह लाभ उठायेंगे। हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि वाणिज्यिक प्रचार आवश्यक हैं और हम इसमें सुधार करेंगे। राज्य व्यापार निगम तथा अन्य अनेक विकास संवर्द्धन परिषदें विवरणिकाओं के माध्यम से तथा सम्पर्क स्थापित करके यह कार्य कर रही हैं। मंत्रालय भी प्रत्यक्ष रूप से यह कार्य कर रहा है। अधिक धन की व्यवस्था होने पर निस्संदेह यह कार्य अधिक अच्छे ढंग से किया जायेगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जहां तक विदेशी व्यापार सम्बन्धी सहयोग का सम्बन्ध है, जो तकनीकी जानकारी तथा 'टर्न की' परियोजनाओं का निर्यात करते हैं, उन्हें 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक धन विदेश भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे विदेशी मुद्रा कमाते हैं।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का सम्बन्ध है, जहां तक हमारे प्रयत्नों का सम्बन्ध है, हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम क्या प्रयत्न करने जा रहे हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि हमें विदेशों की मांग के अनुसार उत्पादन करना चाहिए। उत्पादन के आधुनिक तरीके अपनाये जाने चाहिए और विपणन व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। हम बिक्री व्यवस्था को संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि गैर-परम्परागत वस्तुओं की बिक्री के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश पाना कठिन है। हम इस विषय का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। लाभप्रद होने पर ही ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी, क्योंकि नई वस्तुओं के निर्यात के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। जहां पर हमें कठिनाई आयेगी वहां पर हम निर्यात के लिये सहयोग करेंगे।

हमें श्रमिकों में यह विश्वास पैदा करना होगा कि वे उत्पादन के उत्तम तरीकों की दक्षता प्राप्त करने तथा लागत को घटाने के मामले में हमारे साझेदार हैं। श्रमिकों के सहयोग के बिना

यह कार्य नहीं किया जा सकता । एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें श्रमिक वर्ग पर भी निर्यात का उत्तरदायित्व हो । इस कार्य में राज्य सरकारों का सहयोग भी अनिवार्य है । कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये राजी नहीं हुई कि केरल सरकार नारियल जटा के निर्यात के लिये निर्यात कार्यालय स्थापित करे । किन्तु उनकी यह बात गलत है । हम राज्य सरकार को इस मामले में सहायता देने के लिए भी तैयार हैं । निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है । राज्य सरकारों को इस कार्य में सक्रिय सहयोग देना चाहिए । इससे ऐसा वातावरण पैदा हो जायेगा कि समाज का प्रत्पेक वर्ग इस कार्य के लिये अपने आपको उतरदायी समझेगा । हम इस सम्बन्ध में पूर्ण प्रयास करेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों को प्रयत्न करने पड़ते हैं । कभी-कभी ऐसा होता है कि विकासशील देशों द्वारा निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न उन्नतशील देशों की व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति के कारण सफल नहीं हो पाते हैं । सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन और कुछ दूरदर्शी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप स्थिति बदल गई है । विकासशील देशों के साथ विशेष बर्ताव करने का सिद्धान्त सिद्धान्त-रूप में मान लिया गया है ।

समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार के बारे में यह आलोचना की गई है कि इन देशों के साथ हमारा व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और उनसे हमें अधिक मूल्य नहीं मिलते हैं और उनका माल हमें अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है । मैंने इस मामले की जांच की है और मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि इन देशों के साथ होने वाला व्यापार हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में हमारे पक्ष में है । दूसरी आलोचना यह की गई है कि हमारे देश से उन देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है । यह सच है, कुछ मामलों का पता हमें लगा है और हमने सम्बन्धित देशों की सरकारों से बातचीत भी की है । किन्तु ऐसी बात बहुत ही कम होती है । समाजवादी देशों ने निर्यात बढ़ाने तथा विकास-शील देशों की निर्यात की स्थिति सुदृढ़ करने के लिये हमारे साथ सहयोग किया है । हम इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील हैं और हमें आशा है कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में हमने जिन सिद्धान्तों को स्वीकार किया है उन्हें शीघ्र ही कार्यरूप दिया जायेगा । पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विकासशील देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में पहले कदम के रूप में हमने संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के साथ एक त्रिपक्षीय व्यापार व्यवस्था की है । इस योजना के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये हम तथा अन्य इच्छुक विकासशील देश इस दिशा में जेनेवा में और प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रधान मंत्री ने लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा की है । हमने प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख व्यक्तियों को ही भेजा है । मैं चाहता हूं कि कुछ युवक भी इस प्रतिनिधिमण्डल में भेजे जाते । हम इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । एशियाई देशों के साथ

आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये गत वर्ष बैंकाक में मंत्री स्तर पर एशियाई देशों का एक सम्मेलन हुआ था। इन प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जायेगा और जिस गति से हम इस दिशा में इस समय कार्य कर रहे हैं वही गति बनायी रखी जायेगी और वह दिन दूर नहीं जब हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of the Ministry of Foreign Trade and Supply for the year 1969-70 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
34	वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय	1,16,63,000
35	पूर्ति और निपटान	3,55,41,000
36	विदेश व्यापार	77,38,82,000
37	वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,24,01,000
115	वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय	1,73,85,000

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 के लिये निम्नलिखित अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
6	शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य	1,03,67,000
7	शिक्षा	50,21,94,000
8	पुरातत्व	1,34,65,000
9	भारतीय सर्वेक्षण	4,76,24,000
10	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को अनुदान	16,23,77,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
11	शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य का अन्य राजस्व व्यय	3,35,82,000
104	शिक्षा और युवक सेवा कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,05,46,000

उपाध्यक्ष महोदय : ये मांगें सभा के सामने हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen minutes past Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर अठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Eighteen Minutes Past Fourteen of the Clock.

[**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं**
Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : The time may be extended at least by three hours.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : I fully support this demand.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं क्योंकि शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिये महत्वपूर्ण है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज साढ़े चार बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है। यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो वे अध्यक्ष महोदय से मिलकर इस सम्बन्ध में बात कर सकते हैं।

Mr. Chairman : This morning the Hon. Speaker, had told us to allot only that much time. Therefore I cannot say anything at this moment. This matter may be considered in the Business Advisory Committee's meeting at 4.30 P M. and a decision can be taken there in this regard.

श्री रा० की० अमीन (ढंढुका) : मंत्रालय के नये नाम का तथा उसके प्रभारी नये मंत्री महोदय का मैं स्वागत करता हूं। देश में चारों ओर जबकि जन आचरण गिरता जा रहा है, हमारे शैक्षिक जीवन में नवयुवकों के चरित्र निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। आज जब कि सभी शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता की एक लहर-सी चल रही है, युवक सेवा के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए और इस संदर्भ में मंत्रालय का नया नाम शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय रखना उचित ही है।

हमने गत दो वर्षों में देखा है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री का कार्य बहुत अधिक गतिशील

नहीं रहा। अतः इस मंत्रालय के मंत्री को बदलना भी समयानुकूल ही रहा है। आशा है डा० राव अपने अनुभव और योग्यता से इस मंत्रालय में सराहनीय कार्य करेंगे। इसके साथ-साथ मैं नये मंत्री महोदय को इस बात के लिये सचेत कर देना चाहता हूं कि उनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आयेंगी अतः उन्हें सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदानों की राशि के व्यय पर निगरानी रखनी होगी। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के परिणामों के लिये भी मंत्री महोदय ही उत्तरदायी रहेंगे। विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता तथा अराजकता का सामना भी मंत्री महोदय को ही करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि एक अर्थशास्त्री तथा शिक्षा-शास्त्री होने के कारण डा० राव अपने उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभा सकेंगे।

आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों की समिति ने एक प्रतिवेदन तैयार किया था और जिसके आधार पर अगस्त, 1967 में संसद् ने एक संकल्प पारित किया था। किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया है। इस समिति की अनेक सिफारिशें सर्वसम्मति से की गई थीं। मंत्रालय की सुविधा के लिए तुरन्त कार्य-वाही के हेतु इस समिति ने एक सोलह सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव भी दिया था। इनमें से कई सुझावों को कार्यरूप देने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु गत दो वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है।

केरल सरकार ने मार्च, 1969 में केरल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया। इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को हानि पहुंची है और विश्वविद्यालय में सरकार का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। संसद् सदस्यों की शिक्षा सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में पृष्ठ 18 पर कंडिका 71 में कहा है कि राज्य सरकारें शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से अपने राज्यों के विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन कर सकती हैं। क्या केरल सर-कार ने केरल विश्वविद्यालय में संशोधन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनु-दान आयोग से सलाह ली थी। क्या सरकार विश्वविद्यालय की सिंडीकेट आदि निकायों में मंत्री की उपस्थिति के लिए सहमत थी? क्या सरकार इस बात के लिए सहमत थी कि उपकुलपति की नियुक्ति के लिए समिति में सरकार का नाम निर्दिष्ट सदस्य हो? क्या केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है? क्या यह विश्वविद्यालय स्वायत्तता के सिद्धान्तों का पालन करता है? मैं समझता हूं कि इनमें से किसी भी बात का पालन नहीं किया गया है और सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।

शिक्षा को राजनीतिक प्रचार का, विशेषतः सत्तारूढ़ दल का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में आरम्भ से ही विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और समानता की भावना का उदय होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक स्तर पर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। किन्तु सरकार इस सम्बन्ध में असफल रही है।

कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षा परिषद् नहीं हैं। कुछ विश्वविद्यालय अपने सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देते। इन कालेजों के अध्यापकों को कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता किन्तु उपकुलपति उन्हें वेतन दिलाने के बारे में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। अध्यापकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं गुजरात के राज्यपाल और कुलपति को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिए राज्य सरकार को एक शिक्षा आयोग नियुक्त करने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले 10-11 वर्षों में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के संविधानों को संतोषजनक बनाने तथा उपकुलपतियों के चयन के ढंग को संतोषजनक बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संसद् सदस्यों की समिति ने पाठ्य-पुस्तकों के बारे में सिफारिश की थी कि योग्य तथा मेधावी अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों को अच्छा पारिश्रमिक देकर उच्च स्तर की पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराई जानी चाहिए। इस कार्य के लिए निगम स्थापित किये जाने चाहिए जो लेखकों को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर अच्छी पाठ्य-पुस्तकें तैयार करायें। क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराने का कार्य तेजी से किया जाये। पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं को पाठ्य-पुस्तकों के चयन के मामले में स्वतंत्रता रहनी चाहिए। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में आश्वासन देना चाहिए।

कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर संसद् सदस्यों की समिति ने सिफारिश की थी कि अध्यापकों को अपनी कृतियां प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। अध्यापकों को सभी नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार रहना चाहिए और इस कार्य के लिए उन्हें अपने वर्तमान पदों पर से अवकाश मिलना चाहिए। यह एक ऐसी सिफारिश है जिसकी क्रियान्विति पर न तो कोई व्यय होता है और न ही विश्वविद्यालयों को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो सकती है। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। यदि यह सिफारिश क्रियान्वित नहीं की गई तो इससे विषमता पैदा हो जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देने के लिए कुछ संस्थाओं को विश्वविद्यालय मानता है। गुजरात विद्यापीठ उनमें से एक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संस्था को अनुदान देता है। इस संस्था के उपकुलपति पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हैं तथा मंत्री भी हैं। उनका सारा समय राजनीतिक कार्यों में लगता है किन्तु उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धन मिलता है। इस प्रकार एक ओर तो राजनीतिज्ञ लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के धन का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर अध्यापकों को राजनीति में भाग लेने से वंचित रखा जाता है। मेरे मामले में ऐसा किया गया था। मुझे गुजरात विश्वविद्यालय के सिंडीकेट ने चुनाव लड़ने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोई निश्चित नियम बनाये जो सब पर समान रूप से लागू हों ताकि किसी के साथ किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजायश न रहे।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	6	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	युवकों के चरित्र निर्माण पर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता।	100 रुपये
3	6	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	एन० सी० सी० ट्रेनिंग की विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए अनिवार्य करने में असफलता।	100 रुपये
7	7	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	शिक्षा पद्धति को धर्म के मूलभूत तत्वों पर आधारित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
8	7	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है।	100 रुपये
10	8	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर नगर के गूजरी महल के पुरातत्वीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय की रक्षा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
11	8	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों में पुरातत्वीय महत्व की सम्पत्ति के उचित रख-रखाव पर ध्यान देने में असफलता।	100 रुपये
12	9	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	भारतीय सर्वेक्षण का असंतोषजनक कार्य।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
13	9	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	भारतीय सर्वेक्षण में प्रादेशिक भेदभाव।	100 रुपये
14	10	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	भारतीय प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को अन्य देशों में जाने से रोकने में असफलता।	100 रुपये
15	11	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	नयी पीढ़ी और छात्रों में अनुशासन बनाये रखने में असफलता।	100 रुपये
16	6	श्री बलराज मधोक	प्रकाशनों में हिन्दी को यदि बेतहर नहीं तो समान दर्जा देने में भी सरकार की असफलता।	100 रुपये
17	6	श्री बलराज मधोक	स्वाधीनता आन्दोलन में क्रांतिकारियों, आजाद हिंद फौज तथा अन्य बलों द्वारा लिये गये भाग को उचित स्थान देते हुए स्वतंत्रता आन्दोलन का सच्चा इतिहास लिखने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
18	6	श्री बलराज मधोक	स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिये देशभक्त तथा सक्षम इतिहासकारों की सेवायें प्राप्त करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
26	7	श्री बलराज मधोक	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को अब तक भी आरम्भ करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
27	7	श्री बलराज मधोक	जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र के लिए पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
18	7	श्री बलराज मधोक	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अहिन्दी भाषी राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सुझाव के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
29	7	श्री बलराज मधोक	जामिया मिलिया के संविधान को बदलने में सरकार की असफलता जिससे कि वह अपना साम्प्रदायिक स्वरूप समाप्त कर सके ।	100 रुपये
30	7	श्री बलराज मधोक	गैर-सरकारी आर्ट्स कालेजों को दिये जाने वाले अनुदानों पर उचित नियंत्रण करने तथा उनके कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
31	7	श्री बलराज मधोक	तकनीकी तथा इन्जीनियरी कालेजों में दिये जाने वाले तकनीकी प्रशिक्षण को व्यवहार्थ बनाने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
32	7	श्री बलराज मधोक	इन्जीनियरी कालेजों से निकलने वाले प्रशिक्षित इन्जीनियरों के लिये रोजगार के पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
33	7	श्री बलराज मधोक	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कर्मचारियों की न्यायपूर्ण तथा उचित व्यवहार की वास्तविक मांगों को पूरा करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
34	7	श्री बलराज मधोक	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कार्य-संचालन को लोकतंत्री बनाने और इसके भारी ऊपरी खर्च को कम करने में असफलता।	100 रुपये
35	7	श्री बलराज मधोक	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए एक जैसे रनिंग ग्रेट की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
36	7	श्री बलराज मधोक	महिलाओं के लिये शिक्षा के पाठ्यक्रमों में उनकी आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के अनुसार परिवर्तन करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
37	7	श्री बलराज मधोक	विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को नैतिक तथा राष्ट्रीय मोड़ देने में असफलता।	100 रुपये
38	7	श्री बलराज मधोक	दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के हिन्दू तथा बौद्ध देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास करने की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता।	100 रुपये
39	7	श्री बलराज मधोक	मारीशश जैसे देशों के साथ जिनमें भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं घनिष्ठतर सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
40	7	श्री बलराज मधोक	हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का विकास करने हेतु पर्याप्त कार्यवाही करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
41	7	श्री बलराज मधोक	सभी भाषाओं के लिये वैकल्पिक एक ही लिपि के रूप में देवनागरी को लोकप्रिय बनाने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
42	8	श्री बलराज मधोक	अजन्ता, एलोरा, खजुराहो तथा अन्य पुरातत्वीय महत्व के स्थानों से कलानिधियों की चोरी न रोक पाना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
43	8	श्री बलराज मधोक	अजन्ता और एलोरा गुफाओं के ठीक रख-रखाव में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
44	8	श्री बलराज मधोक	एलोरा और अजन्ता में उचित प्रशिक्षण-प्राप्त गाइडों की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
45	9	श्री बलराज मधोक	सामरिक महत्व के सर्वेक्षण मानचित्रों की चोरी रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
46	9	श्री बलराज मधोक	भारत की सीमाओं के उचित अंकन के लिए भारतीय सर्वेक्षण तथा विदेश मंत्रालय के बीच उचित सम्पर्क बनाए रखने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
47	9	श्री बलराज मधोक	भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में तिब्बत का नाम स्पष्ट-रूप में लिखने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
48	10	श्री बलराज मधोक	राष्ट्रीय अनुसंधानशालाओं में व्यवहारिक अनुसंधान पर उचित बल देने में सरकार की असफलता	100 रुपये
49	10	श्री बलराज मधोक	राष्ट्रीय अनुसंधानशालाओं और विभिन्नविश्वविद्यालयों में हो रहे अनुसंधान में उचित ताल-मेल पैदा करने में सरकार की असफलता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
50	11	श्री बलराज मधोक	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के प्रशासन में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार रोकने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
52	6	श्री पी० विश्वम्भरन	केरल में राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता	100 रुपये
53	6	श्री पी० विश्वम्भरन	केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसा एक संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
54	6	श्री पी० विश्वम्भरन	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की सेवा में स्थायी रूप से लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
55	6	श्री पी० विश्वम्भरन	भारत का अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय का, एक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में विकास करने और वहां के कर्मचारियों की संख्या में कमी न होने देने की आवश्यकता।	100 रुपये
56	6	श्री पी० विश्वम्भरन	स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन मान बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	6	श्री शिंकरे	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी संघों की स्थापना के लिये कानून बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
58	6	श्री शिंकरे	विश्वविद्यालयों में छात्रों में असंतोष के बारे में अध्ययन करने और उसे शान्त करने के मार्गोपाय सुझाने के लिये संसद् सदस्यों में से शिक्षाविदों की एक समिति बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	6	श्री शिंकरे	दक्षिण अमरीकी देशों, विशेषकर ब्राजील में, जहां विद्यार्थियों में असंतोष के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, विद्यार्थी प्रति निधि मंडल भेजने की आवश्यकता।	100 रुपये
60	6	श्री शिंकरे	तामिलनाडु सरकार को यह बताने की आवश्यकता कि राष्ट्रीय छात्रसेना दल के गठन के बारे में उसके द्वारा वहां की गई कार्यवाही देश की एकता के लिए हानिकारक है और ऐसी कार्यवाही तुरन्त बन्द कर देनी चाहिये।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
61	6	श्री शिंकरे	शिक्षा संस्थाओं में यह सुनिश्चित करने के लिये उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र-गान का असम्मान न हो।	100 रुपये
62	7	श्री शिंकरे	संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 15 भाषाओं में शिक्षा देने के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत के सभी नगरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा हाई स्कूलों सहित स्कूल प्रारम्भ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
63	7	श्री शिंकरे	संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 15 भाषाओं की चुनी हुई पुस्तकों को सस्ते मूल्य पर प्रकाशित करने के लिये एक योजना तैयार करने तथा उसको अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय में एक कक्ष खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	7	श्री शिंकरे	लोक गीतों तथा लोक कथाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा उन ग्रंथों को सस्ते दामों में प्रकाशित करने के लिए राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त धन देने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
65	7	श्री शिंकरे	पुर्तगाली तथा स्पेनिश साहित्य को भारतीय भाषाओं में अनुदित करने के कार्य के लिए राज सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
66	7	श्री शिंकरे	भारत के सभी राज्यों के लिये पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करने तथा उन पुस्तकों को सस्ते दामों में प्रकाशित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
67	7	श्री शिंकरे	सभी राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों में हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
68	8	श्री शिंकरे	गोआ को पुराने गोआ में पुरातत्व संग्रहालय का विस्तार करने के लिये पर्याप्त धन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	8	श्री शिंकरे	पुराने गोआ में किये जा रहे खुदाई कार्य में तेजी लाने तथा गोआ में गोआ वेल्हा, न्वेरा, मान्दुर, चन्दुर तथा वेर्ना में चल रहे खुदाई कार्य को एक विशेषज्ञ दल को सौंपने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	9	श्री शिकरे	पुर्तगाली शासकों द्वारा रखे गये शहरों, गांवों, नदियों और पर्वतों के नामों के स्थान पर उनके मूल नाम रखकर गोआ का एक व्यापक नक्शा प्रकाशित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
71	9	श्री शिंकरे	हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में लिखे गये स्टेशनों के नामों का उच्चारण भी वही हो, यह सुनिश्चित करने के लिये रेलवे मंत्रालय पर जोर डालने की आवश्यकता।	100 रुपये
72	9	श्री शिंकरे	गोआ के वर्तमान राष्ट्रीय स्मारकों को बनाये रखने के लिये वहां की सरकार के लिये पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
73	9	श्री शिंकरे	गोआ का पुरातत्वीय तथा भौगोलिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	9	श्री शिंकरे	सर्वेक्षकों को आधुनिक उपकरण देने की आवश्यकता ताकि हमारे सर्वेक्षण भी विकसित देशों के सर्वेक्षणों के समान समझे जायें।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
75	9	श्री शिंकरे	राज्य की सीमाओं में हाल ही में हुये परिवर्तनों तथा भारत में प्रचलित सभी लिपियों में लिखे गये शिला लेखों को ध्यान में रखते हुए भारत के नये नक्शे तैयार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
76	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	प्रकाशनों में मैथिली को समुचित स्थान देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
77	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	पाठ्क्रमों में प्राचीन इतिहास एवं राष्ट्रीय वीर पुरुषों को साम्प्रदायिक एवं मजहबी रूप में रहने देना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
78	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	प्रकाशनों में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को समुचित स्थान देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
79	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	प्राचीन भारत के इतिहास को तथ्य एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर लिखवाने का प्रयास नहीं करना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
80	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
81	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	स्त्री-शिक्षा को सभी स्तरों पर निःशुल्क करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
82	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के नाम से "हिन्दू" तथा "मुस्लिम" शब्द हटा लेने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उप समिति की सिफारिश के आधार पर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करने में असफलता।	100 रुपये
84	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	पुनर्गठित दरभंगा (मिथिला) विश्वविद्यालय के लिए दरभंगा का पुस्तकालय एवं मुख्यालय अपने नियंत्रणाधीन लेने में असफलता।	100 रुपये
85	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तान्तरण कर इसका पुनर्गठन करने में असफलता।	100 रुपये
86	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	शिक्षकों के बारे में कोठारी आयोग के सुझावों को सारे देश में पूरी तरह लागू करने में असफलता।	100 रुपये
87	6	श्री कमला मिश्र मधुकर	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का केन्द्र हटाने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
99	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	ब्रिटिश लोगों द्वारा चलायी गई नौकरी के उद्देश्यों वाली शिक्षा प्रणाली न बदलना ।	100 रुपये
100	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	बच्चों को शिक्षा द्वारा आत्म-निर्भर न बनाना ।	100 रुपये
101	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली समाप्त न करना ।	100 रुपये
102	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	छात्रों के नैतिक उत्थान की नितान्त उपेक्षा	100 रुपये
103	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	निःशुल्क शिक्षा देने में असफलता ।	100 रुपये
104	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	धार्मिक और नैतिक उपदेशों को शिक्षा का आवश्यक अंग न बनाना ।	100 रुपये
105	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	देश के गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास को शिक्षा में सम्मिलित करने में अरुचि ।	100 रुपये
106	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारत के इतिहास में सुधार करने में असफलता, जिसे अंग्रेजों ने मनमाने ढंग से लिखा और जिसका अपमान किया ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
107	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	संस्कृत भाषा तथा साहित्य की जो कि भारतीय संस्कृति के आधार हैं, उपेक्षा ।	100 रुपये
108	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं का खराब भरण-पोषण ।	100 रुपये
109	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में और अधिक चिड़ियाघर खोलने की आवश्यकता ।	100 रुरये
115	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	संस्कृत विद्यालयों को उचित अनुदान न देना ।	100 रुपये
116	6	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अध्यापकों को उचित वेतन तथा आदर देने में असफलता ।	100 रुपये
117	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को सरकारी खजाने से उनके वेतन का भुगतान करने में असफता ।	100 रुपये
118	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या में कालेज खोलने में असफलता ।	1(
119	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	शिक्षा के क्षेत्र में समान स्तर लाने में असफलता ।	100 रुपये
120	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
121	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	नगरीय वातावरण से दूर गुरुकुल के प्रतिरूप के अनुसार स्कूल चलाने में असफलता।	100 रुपये
122	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	बच्चों पर विषयों का अनावश्यक बोझा।	100 रुपये
123	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों को चिकित्सा तथा इंजीनियरी कालेजों में उपयुक्त संख्या में स्थान देने में असफलता।	100 रुपये
124	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अनुसंधान पर अधिक बल देने में असफलता।	100 रुपये
125	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम और सृजनात्मक कार्यों में भाग लेने के प्रति रुचि उत्पन्न करने में असफलता।	100 रुपये
126	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	स्कूलों और कालेजों में सैनिकों प्रशिक्षण को अनिवार्य करने में असफलता।	100 रुपये
127	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक उत्पादन पर समान रूप से बल देने में असफलता।	100 रुपये
128	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	केवल नृत्य तथा गायन को ही संस्कृति की शिक्षा समझने सम्बन्धी भूल का सुधार करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
129	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारतीय दर्शन और संस्कृति के विद्वानों को सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डलों में सम्मिलित करने में दिखाई गई पूर्ण उपेक्षा ।	100 रुपये
130	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को निर्धारित अनुपात में विदेशों में अध्ययन के लिये भेजने में असफलता ।	100 रुपये
131	7	श्री ओम प्रकाश त्यागी	अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा के पढ़ाने के सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
132	8	श्री ओम प्रकाश त्यागी	प्राचीन पाण्डुलिपियों को एकत्रित करने के प्रति दिखाई गई उपेक्षा ।	100 रुपये
133	8	श्री ओम प्रकाश त्यागी	संग्रहालयों में रखी अमूल्य पाण्डुलिपियों की रक्षा के लिए आधुनिक उपायों को अपनाने में असफलता ।	100 रुपये
134	8	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारत की प्राचीन कला और स्थापत्य की रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
135	8	श्री ओम प्रकाश त्यागी	कलात्मक अमूल्य प्राचीन मूर्तियों को विदेशों को ले जाने से रोकने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती का राशि
1	2	3	4	5
136	7	श्री स० मो० बनर्जी	अध्यापकों की कार्य की दशा तथा सेवा की शर्तें अच्छी बनाने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
137	7	श्री स० मो० बनर्जी	कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
138	7	श्री स० मो० बनर्जी	"नेशनल फिटनेस कोर" का विकेन्द्रीकरण करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
139	7	श्री स० मो० बनर्जी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता का दिया जाना।	100 रुपये
140	7	श्री स० मो० बनर्जी	देश में उर्दू भाषा का विकास।	100 रुपये
141	6	श्री रा० की० अमीन	विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशों के अनुसार उच्च शिक्षा देने वाले अध्यापकों की सेवानिवृत्ति-आयु बढ़ाकर 60 वर्ष न करना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
142	6	श्री रा० की० अमीन	अध्यापकों और कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों के प्रबन्धकों के बीच विवादों को न्यायालयों में न जाकर पंच निर्णय द्वारा निपटाने के लिये कुशल तंत्र (मशीनरी) की स्थापना न करना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
143	6	श्री रा० की० अमीन	कृषि, रसायन, प्रौद्योगिकी आदि में शिक्षा तथा अनुसंधान का संगठन एक ही स्थान पर समन्वित करने के लिये तंत्र बनाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
144	6	श्री रा० की० अमीन	तकनीकी पाठ्यक्रमों को बखेरने में असफलता ताकि इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी की कुछेक शाखाओं में आंवछनीय भीड़भाड़ न होने पाये।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
145	6	श्री रा० की० अमीन	शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उच्चतम प्रतिभा आकर्षित न कर पाना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
146	6	श्री रा० की० अमीन	चौदह वर्ष की आयु तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
147	6	श्री रा० की० अमीन	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता समाप्त करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
148	6	श्री रा० की० अमीन	सारे देश में जिला-आधार पर अजायबघर खोलने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
149	6	श्री रा० की० अमीन	अजायबघरों में सभी कर्मचारियों को समान वेतन सुनिश्चित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
150	6	श्री रा० की० अमीन	ऊंची शिक्षा के अध्यापकों को पर्याप्त वेतनमान देने में असफलता।	राशि घटकर 1 रु० कर दी जाये।
151	6	श्री रा० की० अमीन	कालेजों में अध्यापकों को सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफला।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
152	6	श्री रा० की० अमीन	अध्यापकों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
153	6	श्री रा० की० अमीन	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
154	6	श्री रा० की० अमीन	पत्राचार पाठ्यक्रम, कालेज आदि में दाखिल हुये बिना उपाधियों तथा पोलीटैक्निक संस्थानों में शिक्षा के सम्बन्ध में युवकों को पर्याप्त सुविधायें देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
155	6	श्री रा० की० अमीन	साहित्यिक प्रयोजनों तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये सूचना-स्रोत के रूप में अंग्रेजी का विकास करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
156	6	श्री रा० की० अमीन	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में चरित्र निर्माण के महत्व पर बल देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
157	6	श्री रा० की० अमीन	भारत के सभी विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों के संविधान "माडल एक्ट" के आधार पर लागू करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
158	6	श्री रा० की० अमीन	देश में सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षण-कार्य को विश्वविद्यालय स्वायत्तता प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
159	6	श्री रा० की० अमीन	देश के अनुसंधान संस्थानों में व्यावहारिक अनुसंधान पर बल देने की अवश्यकता ।	100 रुपये
160	6	श्री रा० की० अमीन	छात्रों में अशान्ति के प्रश्न का शिक्षा में रुचि रखने वाले संसद् सदस्यों के एक समिति द्वारा अध्ययन करने की आवश्यकता ताकि हमारे विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा शिक्षण के स्वस्थ विकास के लिये स्थिति उत्पन्न की जा सके ।	100 रुपये
161	6	श्री रा० की० अमीन	लोक गीतों तथा लोक साहित्य में अनुसंधान करने के लिये विशेष कदम उठाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
162	6	श्री रा० की० अमीन	मोहनजोदड़ों सभ्यता के पुरातत्वीय अध्ययन के लिये अहमदाबाद जिले में लोथल का एक केन्द्र के रूप में विकास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
163	6	श्री रा० की० अमीन	विभिन्न अनुसंधानशालाओं के कार्य संचालन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता ताकि उनमें लगाये जाने वाले साधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके।	100 रुपये
164	6	श्री रा० की० अमीन	उन सबके लिये राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल के प्रशिक्षण को अनिवार्य करने की आवश्यकता जो शारीरिक दृष्टि से इस प्रकार के प्रशिक्षण के योग्य हैं।	100 रुपये
165	6	श्री रा० की० अमीन	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वालों के लिये राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल के प्रशिक्षण की तरह के अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
166	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	सभी राज्यों में कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने में असफलता।	100 रुपये
167	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	बिहार के पांच विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कालेजों तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के शिक्षकों की दस-सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
168	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	बिहार के कालेज शिक्षकों की 8 अप्रैल, 1969 से आरम्भ हड़ताल के कारण सम्पूर्ण शैक्षणिक कार्य ठप्प ।	100 रुपये
169	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए शिक्षकों के महंगाई भत्ते की अदायगी के लिये राज्य सरकार को दिये जाने वाले 40 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
170	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	प्रवेशिका (मैट्रिक) कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
171	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	कालेजों में फीस कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
172	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ के कार्यों में शिक्षा मंत्रालय का अनावश्यक हस्तक्षेप ।	100 रुपये
173	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ के अध्यापकों के अन्य पदों की तरह बाकी एक पद की भी शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
174	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बावजूद काशी विद्यापीठ के एक पद की स्वीकृति नहीं देने सम्बन्धी हठवादिता की नीति त्यागने में असफलता।	100 रुपये
175	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ की परम्पराओं एवम् उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुए उसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप देने की आवश्यकता।	100 रुपये
176	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	अप्रैल सन् 1969 तक काशी विद्यापीठ के पिछले बजट को पूर्णतया स्वीकार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
177		श्री कमला मिश्र मधुकर	12 लाख रुपये के ऋण से मुक्ति के लिए काशी विद्यापीठ को 12 लाख रुपये का डेफिसिट ग्रांट देने की आवश्यकता।	100 रुपये
178	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	श्रीकाशी विद्यापीठ के अध्यापकों द्वारा लगातार तीन महीने तक वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल करने के लिए विवश होना।	100 रुपये
179	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	श्रीकाशी विद्यापीठ का बजट अविलम्ब स्वीकार करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती का राशि
1	2	3	4	5
180	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी विद्यापीठ के साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया जाना।	100 रुपये
181	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ, अध्यापक परिषद् द्वारा प्रेषित स्मृति-पत्र की क्रियान्विति में असफलता।	100 रुपये
182	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ की गरिमा की रक्षा करने में असफलता।	100 रुपये
183	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ में जिन विषयों में एम० ए० की पढ़ाई की सुविधा नहीं दी गयी, उसे प्रदान करने की आवश्यकता।	100 रुपये
184	7	श्री कमला मिश्र मधकर	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, की धारा 3 के अधीन जुलाई, 1963 से काशी विद्यापीठ, वाराणसी को विश्वविद्यालय घोषित करने की जिम्मेदारी निभाने में असफलता।	100 रुपये
185	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ के अध्यापकों को केन्द्रीय सरकार के अधीन के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को मिलने वाले वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा दूसरी सुविधाओं के बराबर की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
186	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ के प्रति सरकार की भेद-भाव पूर्ण नीति।	100 रुपये
187	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	बनारस, अलीगढ़ तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों की भांति काशी विद्यापीठ को भी पूर्णरूपेण विश्वविद्यालय का दर्जा देने में असफलता।	100 रुपये
188	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	पिछले पांच वर्षों से काशी विद्यापीठ का बजट स्वीकार करने में असफलता।	100 रुपये
189	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	काशी विद्यापीठ के अध्यापकों को उक्त विद्यापीठ का बजट स्वीकार न होने के कारण, वेतन देने में असफलता।	100 रुपये
193	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	शिक्षा जगत् में अमरीकियों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ को रोकने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
194	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	शिक्षा नीति को रोजगार-प्रधान बनाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
195	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के समान विकास पर जोर देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
196	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	उर्दू भाषा के विकास के लिये सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
197	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	सभी राज्यों में मिडिल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
198	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड की तरह सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
215	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य न बनाना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
216	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में समान शिक्षा पद्धति लागू करने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
217	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश की शिक्षा संस्थाओं में समान योग्यताओं के लिये समान वेतन देने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
218	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में सभी शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं के नामों में से मुस्लिम नाम हटाने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।
219	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में सभी शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं के नामों में से ब्रिटिश नाम हटाने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
220	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देने और विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
221	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम में से 'मुस्लिम' शब्द निकाल देने में सरकार की असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
222	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में छात्र-अशान्ति के कारणों की जांच करने तथा उसे समाप्त करने के तरीकों का सुझाव देने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
223	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान न हो, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
224	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सभी कर्मचारियों को स्थायी रूप से सरकारी सेवा में लेने तथा उनके लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
225	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शिक्षकों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
226	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	भारतीय इतिहास को दुबारा लिखवाने के काम को पूरा करने में सरकार की असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
210	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू न करना।	राशि घटकर 1 रु० कर दी जाये।
211	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने सम्बन्धी सिफारिश लागू करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
212	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	शिक्षा पाठ्यक्रम में गौरवपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को शामिल करने में अरुचि।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
213	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	ब्रिटिशवासियों द्वारा रचित भारत के इतिहास में सुधार न लाना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
214	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	ब्रिटिशवासियों द्वारा देश में क्लर्क बनाने वाली शिक्षा पद्धति में परिवर्तन न लाना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
227	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राष्ट्रीय जीव-विज्ञान-प्रयोग-शाला स्थापित करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
228	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	स्वतन्त्रता-संग्राम का ऐसा सच्चा इतिहास, जिसमें आजाद हिन्द फौज की भूमिका को तथा भगत सिंह और चन्द्र शेखर आजाद जैसे अन्य शूरवीरों को पूरा-पूरा महत्व दिया गया हो, लिखवाने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
229	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	स्वतन्त्रता संग्राम का सच्चा इतिहास लिखने के लिये योग्य विद्वानों तथा देशभक्तों की सहायता प्राप्त करने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
230	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में शिक्षा के स्तर में आने वाली गिरावट को रोकने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
231	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में हिन्दू धर्म के मौलिक सिद्धान्तों को शिक्षा-प्रणाली का आधार बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
232	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में नवयुवकों और नवयुवतियों की समस्याओं को सुलझाने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
233	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	आज के नवयुवकों और नवयुवतियों के चरित्र-निर्माण की ओर ध्यान देने में सरकार की असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
234	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	एक सशक्त राष्ट्रीय सेना का निर्माण करने के लिये देश के सभी विद्यालयों विशेषकर प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने में सरकार की असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
235	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	लड़कियों को राष्ट्रीय छात्र सेना दल में शामिल करके लोक-धन का अपव्यय करना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
236	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश के तकनीकी संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में फोर्ड निधि जैसे विदेशी पूंजीवादी संगठनों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
237	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में गरीब छात्रों द्वारा तकनीकी या यांत्रिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अपर्याप्त सुविधाएं।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
238	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	दिल्ली के विद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को संशोधित वेतन-मान देने में सरकार की असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
239	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार देश के अहिन्दी भाषी राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
240	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	तीसरी श्रेणी को समाप्त करने तथा उत्तीर्ण छात्रों के लिए केवल प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी रखने में सरकार की असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
241	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में संस्कृत को उचित संरक्षण देने में सरकार की असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
242	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	जामिया मिलिया इस्लामिया के संविधान को, इस उद्देश्य से कि उसका साम्प्रदायिक स्वरूप समाप्त हो जाये, बदलने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
243	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	हिन्दू मूल वाली अधिक जनसंख्या वाले मौरिशस जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने पर उचित ध्यान देने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
244	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अध्ययन के लिए संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
245	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशों में हिन्दी का प्रसार करने में असफलता।	100 रुपये
246	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में खेल-कूदों में पक्षपात ।	100 रुपये
247	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	गोरखपुर विश्वविद्यालय को पर्याप्त अनुदान देने में असफलता ।	100 रुपये
248	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में मुसलमानों के आक्रमण आरम्भ होने से पहले देश की संस्कृति पर इतिहास के अध्ययन में जोर न दिया जाना ।]	100 रुपये
249	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा होने से रोकने की दृष्टि से हिन्दी के संवर्द्धन के लिए कम धनराशि की व्यवस्था करना ।	100 रुपये
250	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अहिन्दी भाषी राज्यों के लोगों को हिन्दी सीखने के लिए कोई प्रोत्साहन न देना ।	100 रुपये
251	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	भारतीय लोगों के दिमागों पर विदेशियों के भारी प्रभाव को बनाये रखने के लिए विशेषज्ञों के नाम पर विदेशियों को बुलाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
252	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	भारतीय पीढ़ियों में पश्चिमी दृष्टिकोण को बनाये रखने के लिये भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशियों को प्रवेश की अनुमति देना।	100 रुपये
253	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अंजुमन तरक्की उर्दू, अलीगढ़ की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां।	100 रुपये
254	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	बच्चों पर से बहुत से विषयों के अनावश्यक बोझ को हटाने की आवश्यकता।	100 रुपये
255	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश की सभी शिक्षा संस्थाओं में बच्चों और विद्यार्थियों को खाने की चीजें देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
256	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशी ईसाई मिशनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये आर्थिक सहायता का दिया जाना परन्तु उसका हिन्दुओं को ईसाई बनाकर उनको राष्ट्र विमुख करने पर व्यय किया जाना।	100 रुपये
257	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	भारत में पब्लिक स्कूलों का जारी रहना, और उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र धनवान में और निर्धनों के बीच भेदभाव बना रहने देना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
258	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	संस्कृत के विकास के लिये बहुत ही कम राशि का उपबन्ध करना हालांकि यह विश्व की सभी भाषाओं की जननी है।	100 रुपये
259	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हुए शिक्षा तथा ज्ञान की उपेक्षा करना तथा गाने और नाच को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दर्जा देना।	100 रुपये
260	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	गान्धी आदर्श की शिक्षा पर अपव्यय।	100 रुपये
261	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अजन्ता तथा एलोरा की गुफाओं की ठीक देखरेख करने की आवश्यकता।	100 रुपये
262	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	विदेशियों द्वारा भारतीय संस्कृति की कीमती तथा पुरातन मूर्तियां अपने साथ ले जाने को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
263	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	देश में हिन्दुओं के पुराने मन्दिरों की उचित देखरेख की आवश्यकता।	100 रुपये
264	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	मध्य एशिया में स्थित हिन्दू संस्कृति के मन्दिरों की उचित देखरेख के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
265	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	पूर्व एशिया में विशेषकर इण्डोनेशिया, मलयेशिया, जावा, चम्पा, आदि में हिन्दुओं के मन्दिरों की देख रेख के लिये सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
266	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	काबुल में शिव मन्दिर की उचित देखरेख करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
267	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	लैटिन अमरीकी देशों में हिन्दू संस्कृति के मन्दिरों की हिफाजत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
268	6	श्री रा० की० अमीन	देश की विभिन्न संस्थाओं में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का समन्वय करने की आवश्यकता, विशेषकर विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच ।	100 रुपये
269	6	श्री रा० की० अमीन	विश्वविद्यालयों संस्थाओं के प्रशासन और नियंत्रण में अधिक विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
270	6	श्री रा० की० अमीन	अखिल भारतीय आधार पर उच्चतर शिक्षा की भी संस्थाओं के सभी अध्यापकों के लिये भविष्य निधि, ग्रेच्युटी फंड और बीमा की योजना चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
271	6	श्री रा० की० अमीन	अनुसन्धान कार्य करने वाले अध्यापकों के 60 या 65 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्ति हो जाने पर भी उनकी सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
272	6	श्री रा० की० अमीन	अध्यापकों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति देने की आवश्यकता, जैसा कि को कोठारी आयोग तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति ने सिफारिश की है ।	100 रुपये
273	6	श्री रा० की० अमीन	विश्वविद्यालयों के शासी तथा शिक्षण निकायों में राज्य तथा केन्द्र के मन्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया जा सके, इसके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
274	7	श्री रा० की० अमीन	अध्यापक राजनीति में भाग ले सकें, इस सम्बन्ध में कोठारी आयोग की तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति की भी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
275	9	श्री दिनकर देसाई	विभाग का अकुशल रूप से कार्य करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
276	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की नियुक्तियों में पक्षपात ।	100 रुपये
277	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय को हटाने में असफलता ।	100 रुपये
278	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति को हटाने में असफलता ।	100 रुपये
279	7	श्री कमला मिश्र मधुकर	विश्वविद्यालय विधियों को संशोधित करके लोकतन्त्रात्मक बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
280	7	श्री दिनकर देसाई	राष्ट्रीय शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद् के अदक्ष कार्यचालन को सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपये
281	8	श्री दिनकर देसाई	विभाग में कुप्रशासन, अनियमिततायें और भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

Shri Valmiki Choudhary (Hajipur) : First of all I would like to place on the Table of the House a copy of the complaint which I have received in regard to Central School (Patna) so that the Hon. Minister may take necessary action on that.

About 28 years back Mahatma Gandhi had said in Varanasi University that the medium of education in our country should be in the mother tongue. The people will take less time to understand a thing in their own mother-tongue. Your commission has also said that the medium

of education should be in the mother tongue. The object of education is that people may get good employment after receiving education but we find that in our country people have to wander about after completing education. Therefore my submission is that the Ministry of Education should chalk out a plan to provide employment to the students immediately after they complete their studies.

The Ministry should also chalk out a plan to provide some part-time job to those students who want to receive higher education.

I have another suggestion to make. The important speeches of learned persons should be recorded and then broadcast in the classes for the benefit of the students.

Our education has become very expensive. Therefore the system of our education should be changed. But nothing has been done so far in this direction. Immediate steps should be taken in this regard.

Looking at the historical buildings we find that they were based on more scientific lines than the ones we are constructing today. Therefore some research should be made from that point of view also.

The English medium of education has enhanced disparity in our country. Though the skilled labourers have to work much more than the engineers yet they are paid very low wages whereas the engineers get handsome pay. The only way to remove disparity between officers and officials is to adopt mother-tongue as the media of instruction.

The present Minister of Education must have had his own experiences of education while he was a teacher. I now hope that when he has become a Minister he will try to implement those experiences into practice.

Shri Narain Swarup Sharma (Domariaganj): There is nothing new to be said on education which the Government does not know. The fault lies in the Government's failure to implement those ideas. Though several years have passed since we attained freedom yet mentally we are not free and independent even by now. The basic failure of our education policy is that we have been uprooted from our foundations. In the name of modernisation we have laid a wrong foundation of education. The main objective of education should be to build up national consciousness. But the tragedy is that our system of education has failed to inculcate national consciousness among the student community. This is why we see growing dissatisfaction and indiscipline among students everywhere in our country.

Sanskrit can play a great role in forging unity and bring about national consciousness among the people. But it is a pity that adequate attention has not been paid to the teaching of Sanskrit running traditional Sanskrit **pathshalas** are gradually closing down. Sanskrit has been completely relegated into the background in the new curricular and it does not find any place in the three-language formula. Pandit Jawaharlal Nehru in his "**Discovery of India**" refers to Sanskrit as the greatest treasure possessed by India. So far as the thinking of Jana Sangh is concerned, it advocates that the medium of instruction should be the students' monther-tongue and that the teaching of Hindi and Sanskrit should be made compulsory. Students whose mother-tongue is Hindi can take up any other modern Indian language. English or any other foreign language should be optional. So long as teaching of Sanskrit is not made compulsory, there can be no national integration. From this point of view adequate grants should be given for publication of Sanskrit books. Today the position is that the students do not get even a good dictionary of Sanskrit. Several years ago, a Hindi translation of S. S. Apte's Sanskrit-

English dictionary was published with the help of grants from the Union Ministry of Education. But now it has gone out of print and is not available because the Ministry have stopped giving grants for the publication thereof. Government should see that such useful books are made available to the students at reasonable prices. All the grants at present are confined to the Oriental Institute of Baroda and institutions like the Lal Bahadur Shastri Sanskrit Maha-Vidyalaya. Other institutions which are publishing useful Sanskrit books should also be given grants so that they may bring out books at moderate prices.

In the report it has been stated on page 90, para 2 that two rare books "Katha Sarit Sagar" and "Tark Sangrah" were got published by private publishers. But 'Tark Sangrah' is not a rare book and anybody who has something to do with Sanskrit literature knows it. It is an ordinary book available everywhere in India. To give grants for such things and to make a mention of them in the report shows that the Ministry is not paying adequate attention to Sanskrit.

It is regrettable that Kashi Vidyapeeth, which had the blessings of Mahatma Gandhi with it, is not being given fair treatment by the centre. Although it has been given the status of a University, the question of giving regular grants is still under consideration. The ad-hoc grants that are being given are not sufficient and the result is that the teachers sometimes do not get pay for months. I hope that the hon. Minister will pay special attention to this matter.

The Shrimali Committee constituted about 13 years before, had recommended the setting up of rural institutes. About 14 rural institutes were opened throughout the country on the basis of the recommendations of the above Committee. But it is most surprising that the post-graduate diploma awarded by these institutes is not recognised even by these very institutes. Other Universities do not recognise the diplomas awarded by these rural institutes. Either these institutes should be affiliated to the nearly university or these institutes should be closed as there is no use in maintaining these institutions when their diplomas are not recognised.

The report mentions that for the publication of foreign books, assistance will be given by the respective countries. But at the same time the report also says that on account of competition from the foreign books, it is feared that the publication of good English books may come to a halt and that to avoid such a situation Government are going to publish English books on their own. See the mockery of it. First the Government will allow publication of foreign books with foreign grants and then to avoid lowering of standards of books as a result thereof, they will get cheap books published and that also of English !

Only a very few Gurukul Type Universities have survived the onslaught of times. There is no harm if these Universities are helped to maintain themselves.

A movement is going on to muster support for continuing English and for slandering Hindi. I want to give one instance. There was a news item in the "Nav Bharat Times" of 10th June 1968 in which the Vice-Chancellor of the Meerut University has been quoted as saying that English is dam easy and his 9 years old daughter looks very lovely when speaking in English but on the contrary she feels difficulty in speaking Hindi and feels pain in her throat because Hindi is more difficult to speak than English. Such charges should not be hurled upon Hindi in the garb of pleading for the continuance of English.

Grants should also be given for the publication of general books at cheap rates for the boys in the age group 10 to 16.

A commission should be set up to go into the question of text books for primary, middle and university level. Unless this is done it is useless to talk of national integration and heritage. No improvement in primary education is possible unless pay scales of primary teachers are not increased. With the meagre salary they get, the primary teachers are not expected to do justice to the boys entrusted to their care.

डा० अ० ग० सोनार (रामटेक) : देश में प्राथमिक शिक्षा की दशा बड़ी सोचनीय है। भारत में साक्षरता प्रतिशतता 24% है, कक्षा 1 से 5 के बाद पढ़ने वालों की संख्या एक दम कम हो जाती है। इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया है और नहीं इसके कारणों का पता लगाया गया है। लड़कियों की शिक्षा को ले लीजिये। इस बारे में हालत्त और अधिक चिन्ताजनक है। 1957 में उनकी प्रतिशतता लगभग 59, थी और माध्यमिक स्तर पर यह 20 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में आंकड़े क्रमश: 9.3 प्रतिशत और 3 प्रतिशत हैं। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि लगभग 90,000 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति की दर कभी नहीं बढ़ाई जाती है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह स्थिति है।

कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। कल श्री एम० एस० जोशी ने बताया कि कलकत्ता जैसे शहरों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य नहीं है। हालांकि निदेशक सिद्धांतों में प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारें संविधान के इस उपबन्ध का पालन कर रही हैं? क्या उनसे कोई प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाता है? केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यों को इस उपबन्ध का पालन करने के लिये बाध्य करें।

अब विश्वविद्यालय शिक्षा को ही ले लीजिये। हमारे देश में 74 विश्वविद्यालय तथा 10 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। कालेजों की कुल संख्या 2899 है जिनमें 19,18,972 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 1,02,454 है। इनमें आज अंकों के आधार पर दाखिला मिलता है। परन्तु गांवों के छात्र, पिछड़े तथा आदिम जातीय छात्र उन छात्रों के साथ कैसे प्रतियोगिता कर सकते हैं जिन्हें प्रत्येक सुविधा प्राप्त हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

गत वर्ष इंजीनियरों की बेरोजगारी के बारे में शोर-शराबा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप इन्जीयनिरिंग तथा तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों की संख्या कम कर दी गई। परन्तु मैं कहता हुं कि इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं। सचिवालय में किन लोगों का बोल-बाला है? उन लोगों का जिन्होंने पब्लिक स्कूलों मैं शिक्षा ग्रहण की है ग्रामीण लोग कहीं भी देखने में नहीं आते। संक्षेप में मेरा कहना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एकाधिकार का ही बोल-बाला है।

अमरीका में एक सौ के पीछे 40-45 लोग कालेजों से शिक्षा प्राप्त किये होते हैं और

रूस में 25-30 लोग कालेजों से शिक्षित होते हैं जब कि भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या केवल 2 या 3 है। क्या शिक्षा मन्त्री इस स्थिति से संतुष्ट हैं ?

आजादी मिलने के 21 वर्ष बाद भी हम सभी स्तरों पर एक शिक्षा पद्धति लाने में समर्थ नहीं हुये हैं। आजादी के बाद एक के बाद एक तीन शिक्षा आयोग नियुक्त किये गये। कुछ राज्य पहले दो आयोगों की शिफारिशों को ईमानदारी से क्रियान्वित कर रहे थे परन्तु फिर तीसरा आयोग नियुक्त कर दिया गया। 12 वर्षों के अन्दर तीन आयोग नियुक्त किये गये। इनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ? इतने सारे आयोगों की शिफारिशों की कार्यान्विति किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है ?

कोठारी आयोग ने द्विभाषा फार्मूले का सुझाव दिया था परन्तु सरकार ने अन्ततः त्रिभाषा फार्मूला अपनाया है। परन्तु अब केन्द्र इसे सब राज्यों में लागू कराने में कठिनाई महसूस कर रहा है। केन्द्र का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इन सब बातों का पालन करायें।

आम स्कूलों की इतनी अधिक चर्चा की जाती है परन्तु वास्तविकता क्या है ? अधिकांश संसद्-सदस्य तथा मंत्रीगण अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों वा कोंवेंट स्कूलों में भेजते हैं। जनता की दृष्टि अपने नेताओं पर है और वे उन्हीं का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में बसती है। उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

Shri Latafat Ali Khan (Muzaffarnagar): India is a secular country. If we are really anxious to maintain its secular character, it is necessary that more attention should be paid to education, because it is education which plays an important role in promoting the spirit of secularism and which builds the character of the youth. It is education that one gets in schools and colleges which develops our mentality. A number of riots have taken place during the last 22 years in different parts of our country. They are merely an outcome of the mentality that is being reared in our teaching institutions. We should take steps to check the growth of this type of mentality. Otherwise, these riots will know no end.

The Britishers had introduced a particular system of education in our country and prescribed such books which created hatred among the two major sections of our society because it helped them to prolong their rule in this country. It was therefore necessary to effect suitable changes in our educational system and text-books after independence. But it is a matter of great regret that no such efforts have been made. Even today wrong and false stories about Muslim rulers and Muslims can be seen in text books being taught in schools and colleges in our country. Therein Muslims have been described as very much communal-minded. In an approved text-book being taught in educational institutions in Delhi the custom of 'Sattee' started at the time of muslim rulers. They were responsible for it. It is apparent that such books spread hatred and ill-will. Government should have introduced such history books in schools and colleges which would have been instrumental in removing hatred and ill-will against the Muslims from our minds. Books based on the fictitious story of Hakikat Rai can be seen in the libraries of schools and colleges. Action should have been

taken to erase such wrong feelings from the minds of our student population. Dr. Arnold in his book "Preaching of Islam" writes that there is no mention of forceful conversions in the annals relating to the reign of King Aurangzeb. But we have not incorporated such things in our text books to present the correct picture to the masses.

Shri Jadunath Sarkar has mentioned in his book that Aurangzeb bestowed **jagirs** (estates) on temples but this does not find any place in our history books. Such facts should have been incorporated in our history books in order to remove doubts from the minds of the student community. How we can expect a student to be free from these communal feelings after completing his education when all through his life he has been imparted this type of education ?

In addition to this, communal parties are also trying to increase their influence in schools and colleges. In most of our schools and colleges R. S. S. camps are being organised where hatred for Muslims is preached. Such things should be checked.

In 1954, the National Discipline Scheme was introduced to inculcate a sense of discipline and patriotism in the students. About Rs. 15 crores have been spent on the scheme. Our leaders have commended the good work done by it and its importance has considerably increased after the Chinese aggression. But it has recently been decided to transfer this scheme to the State Governments. As a result thereof 7000 people are faced with unemployment. It is presumed that the State Governments are not ready to take over this scheme. In that case they will be thrown out of employment. The hon. Minister should sympathetically consider their case and do something. These people have been serving for the last 15 years and are not in a position to get employment any where else.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The way foreign assistance is being sought for our educational institutions there cannot but be infiltration of foreign elements in our educational system. The C. I. A. agents are infiltrating into our educational institutions. They have also infiltrated into the Planning Commission and have started controlling our policies there. It is against our national interest and steps should be taken to check any such infiltration into our educational institutions.

पूर्वी पाकिस्तान में तूफान से हुये विनाश के बारे में
RE : TORNADO HAVOC IN EAST PAKISTAN

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं आप की अनुमति से सभा का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में तूफान से हुये विनाश की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों के मरने तथा लाखों व्यक्तियों के बेघर हो जाने की आशंका है । पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है । मुझे आशा है कि सरकार ने सहानुभूति संदेश भेज दिया है । मुझे आशा है कि यह सभा पूर्वी पाकिस्तान के पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने में मुझसे सहमत होगी ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : राजनीतिक संकट के तुरन्त बाद वहां पर इस तूफान से भारी विनाश हुआ है। हमारी इस संकट में उनके प्रति पूरी हमदर्दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य इस दैवी विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla): It is matter of great regret that same old system of education which we inherited from the Britishers is still continuing with minor adjustments here and there. We got independence, democratic Governments came into being, socialism was proclaimed and socio-economic programmes were drawn up, but we do not see any reflection of all these things either in the students, or in the teachers and the guardians. The reason is that the right type of atmosphere has not been created. The student of today does not know anything about the Gandhian era or the national leaders. Who is responsible for all this? I put this blame squarely on the shoulders of the Government and its policies. I am not against public schools. They have healthy atmosphere and a high standard of education. But what we do not like about these institutes is the inequality they create in the society. When we show concern over the concentration of wealth and monopolies in the country we should also think about the monopoly which the people educated in public schools enjoy in the all-India services. We are not prepared to tolerate this kind of disparity for long.

After independence several committees and commissions were set up at Central and State levels. I had the honour of being a member of some of them. The recommendations of the Mudaliar and Radhakrishnan Commissions were implemented to a great extent. The Kothari Commission had in its report covered the entire field from the primary stage to the university level. But it is a matter of great regret that the Government have done nothing on this report excepting issuing a statement of policy. I am a great admirer of the present Education Minister. I hope he will be bold enough to implement whatever national policies we have adopted on the educational front. I consider every primary school a neighbourhood school. Will he make endeavours to bring them to the level of public schools?

The three-language formula is a part of our national policy. I have just now read in a newspaper the views of the Chief Minister of Uttar Pradesh on this subject. He is our leader. He says that besides Hindi and English we will have to read Urdu or the language of any other province. Urdu is a language of Uttar Pradesh spoken by about 27 per cent of the population there. Unless the people of Uttar Pradesh or rather North India decide to learn any of the South Indian languages, the three-language formula will never succeed, nor it will be possible to implement the 3 language formula.

At present we have different scales of pay of Teachers in different States. This disparity has given rise to agitations in some States in the country. Some States have adopted the pay-scales recommended by the Kothari Commission while some other States have not done so. If the teachers are not paid enough to meet their daily requirements of life, they are not expected to do justice to our boys. I hope that the Hon. Minister will see through the implementation of this recommendation during his tenure of office.

Education is the biggest enterprise of our country but the amount allocated for education in the Fourth Plan is only 5.6 per cent of the total outlay of the Plan. It is less than the amount

allocated under the previous plans. The allocation for education should be increased if we expect the States to implement the national policies so far as education is concerned.

It is useless to talk of free education in the changed context. There is no denying the fact that the economic position of the people has improved as compared to the past. When we can spend on housing, clothing and on food, we can also spend on education of our children. Tax should be levied on education. Every educational institution should be vocation-biased, so that students alongwith acquiring knowledge can also supplement their means.

In pursuance of the recommendations of the Radhakrishnan Commission, University Grants Commission was set up with high hopes. The University Grants Commission is fortunate enough to have an educationist of the standing of Dr. Kothari as its Chairman. The U. G. C. should not be merely a grant-giving body. It should be given more freedom and powers in the discharge of its functions. It should be consulted before making appointments of Vice-Chancellors. More money should be placed at its disposal. Its first and foremost duty is to run the universities properly and appoint suitable persons as their Vice-Chancellors. Universities should not be created on regional considerations. The U. G. C. also grants scholarships to students for undertaking research work. But we find that in most of the cases, the research scholars are not able to complete their research work. They have also not been able to get appointment through competitive examinations. It should be ascertained as to who is responsible for this and steps should be taken to see that such things do not occur in future.

So far as women's education is concerned, very little has been done. I know Dr. Rao is a great champion of women's cause. At the Hindu Convention held recently in Patna, it was observed that it was sheer foolishness to talk of equality for women. But nobody paid attention to that observation whereas the observation regarding Harijans invited everybody's indignation. No doubt, the enrolment of women in schools has gone up from 33 lakhs to 243 lakhs. But the picture is very dismal in the villages. We should not judge the progress from the schools and universities in big cities. Literacy among women is still far below the mark. Therefore my submission is that a separate allocation of funds should be made for the sole purpose of education of women so that they can serve men in a better way.

A youth wing is going to be created under his Ministry. Its outlines should be made clear to the House. How the sentiments and enthusiasm of the youth in our country can be channalised in the right direction and how we can make use of their services for the good of the country and provide them employments are some of the subjects that should be given serious thought before embarking on such a scheme. We shall have to place before them a programme for safeguarding the security and integrity of the country.

There is dearth of original books on science and technology in our country. Therefore my submission is that we should make efforts to publish such books here by securing their copyrights under the international exchange of copyrights so that students can get these books at cheap prices. We should also take the help of our own scientists and experts in writing such books. With these suggestions I support this grant.

श्री बैरो (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : शिक्षा आयोजना सम्बन्धी समूचा दृष्टिकोण, जैसाकि मंत्रालय के प्रतिवेदन में दिया हुआ है, एक तदर्थ दृष्टिकोण है। इस तदर्थ दृष्टिकोण पर

जो पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा है और जो असफल रहा है, फिर से विचार किया जाना चाहिये ।

युवक सेवा नाम से एक नया विंग इनके मंत्रालय में खोला जा रहा है। परन्तु डा० राव ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके लिये कोई धन नियत नहीं किया गया है। हमारे विश्व-विद्यालयों में लगभग 15 लाख छात्र पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष 40,000 छात्रों को लिया जाये और एक छात्र पर 1,000 रुपये खर्च किये जायें तो एक वर्ष के लिये 40 करोड़ रुपये चाहिये। इसका अर्थ हुआ पांच वर्षों के लिये 200 करोड़ रुपये। परन्तु शिक्षा के लिये चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 259 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि युवक सेवाओं के लिये पैसा कहां से आएगा ? यदि इसके लिये धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो फिर युवक सेवा शब्द ही हटा दिये जाने चाहिये ।

हमारा शिक्षा कार्यक्रम अधिक आशावादी तथा अव्यवहार्य है। हमारा दृष्टिकोण क्या है ? प्रतिवेदन में कहा गया है कि 6 से 11 वर्ष के आयु के (पहली से पांचवीं कक्षा तक) के 682·7 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लाभान्वित किया जायेगा। आगे दिया हुआ है कि 11 से 14 वर्ष की आयु के 184·5 लाख बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित किया जायेगा। इसका अर्थ हुआ कि चौथी योजना के अन्त तक 498 लाख बच्चे 11 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शिक्षा से वंचित हो जायेंगे। यह एक बड़ी गम्भीर बात है। पिछले 20 वर्ष से हमने आयु के आधार पर शिक्षा का विस्तार करने की जो नीति अपनाई है वह गलत है। हम जानबूझ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे हमारा बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर बन जायेगा क्योंकि हम उन्हें 11 वर्ष की आयु तक ही शिक्षा दे पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सारे मामले पर फिर से विचार किया जाये और एक नया दृष्टिकोण अपनाया जाये।

मेरा प्रस्ताव है कि आयु की बजाय हमें क्षेत्र के आधार पर शिक्षा का विस्तार करना चाहिये। कोठारी आयोग ने भी इस तरह की सिफारिश की है। हमें उन क्षेत्रों को लेना चाहिये जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और वहां पर प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अमली जामा पहनाएं। केन्द्र का यही उद्देश्य होना चाहिये।

इसके कई लाभ होंगे। इससे केन्द्र और राज्यों के बीच झगड़ा होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि केन्द्र केवल पिछड़े क्षेत्रों तक ही अपने को सीमित रखेगा। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में बड़े नगरों के गन्दे क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाना चाहिये। दूसरा लाभ यह होगा कि राजनीतिज्ञ अपने निर्वाचन क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं को इसमें शामिल करने के लिए आवाज नहीं उठा सकेंगे।

मुझे दो बातों का खेद है। एक तो यह है कि योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिये केवल 259 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। मुझे मालूम नहीं है कि जब राष्ट्रीय विकास

परिषद की बैठक होगी, डा० राव परिषद् को अधिक धन नियत करने के लिए राजी कर लेंगे। दूसरी बात जिसका मुझे खेद है वह यह है कि भारतीय शिक्षा सेवा का विचार त्याग दिया जा रहा है। मैं जिस तरह की शिक्षा सेवा का समर्थक हूं वह कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई शिक्षा सेवा से बिल्कुल भिन्न है। कोठारी आयोग की इस सिफारिश का राज्य सरकारों ने विरोध किया था। मैं तो प्रशिक्षित अनुभवी अध्यापकों की एक शिक्षा सेवा बनाए जाने का समर्थक हूं जिन्हें शिक्षा सम्बन्धी आयोजन का अनुभव हो—जिनको संख्या बहुत ही कम होगी और जो केवल परामर्शदाता के रूप में कार्य करेंगे और जिनकी सेवाएं केवल शिक्षा के स्वीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उपलब्ध की जा सकेंगी। एक बार यह सेवा चालू हो जाये, तो इसकी उपयोगिता का पता लग जायेगा। यदि ऐसी सेवा में शिक्षा निदेशकों से लेकर स्कूलों के प्रधानाचार्यों तक को शामिल किया जायेगा तो सम्भवतः सभी इसे नापसन्द करेंगे और इस तरह के प्रयास का विरोध करेंगे।

काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां अधिक पैसा खर्च किये बिना योजनाबद्ध कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों पर अमल कराया जा सकता है। मंत्रालय तथा शिक्षाविज्ञों को इस बारे में विचार करना चाहिये। मानसिक तथा मानव प्रयत्न से ऐसा किया जा सकता है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के पृष्ट 8 पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन दिये हुए हैं। मैं इस परिषद् की पुनर्विलोकन समिति का सदस्य था जिसके सभापति डा० नागचौधरी थे। हमने बड़ी लगन से काम किया और 5 मास के अन्दर अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया। हमारा विचार था कि इस समिति की कुछ सिफारिशों को नए वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित किया जा सकेगा। परन्तु वे अभी भी विचाराधीन हैं। प्रतिवेदन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है और इतनी बड़ी धनराशि ली जा रही है। 1969-70 के लिये आयोजना बजट प्राक्कलन 183·78 लाख रुपये है। मुझे नहीं मालूम कि ये बजट प्राक्कलन पुराने कार्यक्रम पर आधारित है या पुनर्विलोकन समिति द्वारा सुझाये गये कार्यक्रम पर आधारित हैं।

अखिल भारतीय खेल परिषद् एक वित्तीय संस्था है और इसे देश में खिलाड़ी संघों तथा संस्थाओं को अपना निर्णय काफी पहले बता देना चाहिये ताकि बाद में कोई मन-मुटाव पैदा न हो और देरी भी न हो सके। आस्ट्रेलिया के मामले में स्वीकृति काफी पहले दी जा सकती थी। हम उन्हें बता सकते थे कि पांच की बजाय केवल तीन टैस्टों के लिये स्वीकृति मिल सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि बोलने के लिये इच्छुक वक्ता सदस्यों की सूची बहुत लम्बी है और समय सीमित है अतः सदस्यों को 10 मिनट में ही अपना-अपना वक्तव्य समाप्त कर देना चाहिए।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : Mr. Deputy Speaker, I support the demands of the Ministry of Education. The education is a subject which has been neglected by the Central Government. This subject which has been included in the State List. Government paid

no proper attention to the education. With the result that there has been no change in the policy or pattern of education in our country. Even after independence we have been following blindly the pattern of education which was introduced by Macaule for catering British interests in India. We did not know the aim of our education. If after the appointment of Kothari commission the aim of our education was defined as an instrument to prepare people to fit in changed social circumstances. The existing pattern of education does not at all fit in with the present Indian social structure. These days all educated people, whether they are engineers, agriculture graduates of ordinary graduates, are in search of jobs. That is why every one, who comes out of educational institution getting degree is faced unemployment. Such a state of affairs lead to agitations, strikes and demonstrations.

There has been mushroom growth of colleges, educational institutions and Universities. But they are not equipped with the essential equipments. The standard of education is deteriorating in these institutions due to lack of good teaching staff and necessary equipments. The number of students and colleges is increasing and the quality is decreasing. A lot of money is being spent on magnificent buildings of colleges while laboratories are not equipped with required instruments. In my opinion there should be good laboratories in every college.

The condition of teachers in our country is very deplorable. Though we consider it a respectable job yet we see that they are starving because they are not well paid. These days teachers are low paid employees. That is why highly qualified and competent people do not enter into this job. The Central Government holds State Governments responsible for it and State Governments cannot give good salary to teachers due to lack of funds. I therefore request that they should be given good salaries and other facilities. The allocation made in the fourth Five Year Plan is not sufficient. Planning Commission should accept a demand of 1300 crore of rupees for education. I would request Shri V. K. R. V. Rao to give proper attention to education and to make it job-oriented, so that the educated people after coming out of the educational institutions may not remain employed and they may start their own jobs. There hould be drastic change in the education pattern existing in our country at present.

I congratulate the Central Government that they have introduced a programme for the welfare of youths and to solve their problems. They have created a separate cell for it and have put it under the Ministry of Education. But separate Ministry will not serve the purpose. The problem of youths should be considered seriously. Such a programme should be started as will be able to inculcate a feeling of national consciousness and patriotism in them. So that they may correctly lead their country in the right direction. With these words I again support the demands of Ministry of Education.

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) : Mr. Deputy Speaker, we discuss such demands and other things every year and take some specific decisions thereon. But the question is : how many of them are implemented ? Decisions are taken after discussing the relevant points but the matter remains standing where it was. Now I come to the point of education. The Britishers introduced this system of education for their own benefit i. e. to get people loyal to British Rule and who could help them in running administration. Our present Government are blindly following the same system which is of no use to present-day India. It is due to this system of education that our unity, national feeling and patriotism is at stake. National

interests are being superseded by individual or personal interests every where. The whole system of education is vitiated by casteism, communalism and fissiparous tendencies. As regards the policy, quality and standard of education where did our Government lead us during last 22 years after independence ? Government have proceeded on wrong path and they will reach the wrong destination. Why is there no unity, why is there discontment and resentment in our country ? Why the whole nation is suffering. The reason of all this is nothing except the system of education, which is not suitable for our country. On the contrary this system of education should have been changed basically, and it should have been able to inculcate the feeling of national-consciousness, responsibility and of placing national interests over their selfish interests.

When Dr. Trigun Sen was appointed the Vice Chancellor of the Banaras Hindu University, he made efforts to improve the condition of University. He was getting success in his efforts but he was called back from there to join the Central Council of Ministers. A man should be allowed to stay at one place for a considerable period so that he can understand the flaws and short comings of the institution, he is serving and can bring about improvements in respect thereof. If you want to improve the standard of education or the existing system of education, you should be serious about it. Otherwise the educated class will never forgive you. Favouritism, nepotism and corruption is rampant in the field of education. This should be put to an end. In matter of promotions there is great irregularity. Similar is the case in giving good marks to students in examination papers. A student obtaining the highest marks is placed at the second place while the one who obtained second position is declared as first position holder after increasing and decreasing their marks arbitrarily. In the end I request these things should be looked into and the flaws in education pattern should be removed.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Sir, I want to draw the attention of the Minister of Education to the strike of two thousand professors in Bihar. Out of them about 150 professors were arrested and put behind the bars. Moreover they were given criminal class. In Bihar all examinations have been postponed. I request Shri V. K. R. V. Rao to intervene in this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है इससे शिक्षा मंत्री किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ?

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Being professors they should be given 'A' class.

उपाध्यक्ष महोदय : उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है । वह इस सम्बन्ध में जो भी कर सकते हैं, करेंगे । अपना उत्तर देते समय भी वह इस बात पर ध्यान रखेंगे ।

Shri Mahant Digvijainath (Gorakhpur) : May I know the decision in respect of the request made to extend the time for it ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति में प्रश्न उठायें । मैं केवल आधा घंटा समय बढ़ा सकता हूं ।

श्री पी० एंथनी रेड्डी (अनन्तपुर) : मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मुझे यह देखकर आस्चर्य हुआ कि प्रधान मंत्री ने शिक्षा मंत्री को बदल दिया है । कदाचित्

उन्होंने यह सोचा होगा कि शिक्षा शास्त्री के स्थान पर एक तकनीकी विशेषज्ञ शिक्षा मंत्री का दायित्व इस संदर्भ में ठीक से निभायेगा कि 80,000 इंजिनियर अब बेरोजगार हैं। मैं विशेष-रूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अभी तक शिक्षा पर शहरों को ध्यान में रखकर ध्यान दिया जाता रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना की जाती रही है। जबकि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में ही रहती है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता का करण यही है।

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संरक्षण प्राप्त है। माध्यमिक स्तर पर कुछ हद तक केन्द्रीय सरकार ने ध्यान दिया है। परन्तु प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इसका कारण यह बताया जाता है कि यह राज्यों का विषय है। यहां संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख करना वांछनीय होगा वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अन्दर 6 वर्ष से 14 वर्ष के समूह के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यरूप से दी जानी चाहिए। निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करने का दायित्व न केवल राज्य सरकारों का, बल्कि केन्द्रीय सरकार का भी है। जब तक प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित निदेशक तत्व को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। प्राथमिक स्कूलों में केवल नाम दर्ज किये जाने मात्र से सफलता न मिलेगी। क्योंकि 5वीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते छात्रों की संख्या 66-67 प्रतिशत कम हो जाती है। शेष जो पांचवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें भी साक्षर नहीं माना जा सकता, क्योंकि पांचवीं कक्षा पास करने के पश्चात् उनका शिक्षा से सम्पर्क बिल्कुल टूट जाता है और वे पुनः निरक्षर हो जाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित जो योजनाएं तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने प्रारम्भ की है उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि वे उपयुक्त पाई जायें तो उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। वहां पर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए चन्दा एकत्र करके प्राथमिक स्कूलों के भवन आदि बनवाकर प्राथमिक स्कूलों को चलाने में सहायता करती हैं। महाराष्ट्र में तो साक्षरता बनाये रखने के लिये ये संगठन गांव, ब्लाक जिला और राज्य स्तर पर संगठित किये गये हैं। वे व्यस्क साक्षरों तथा पांचवी कक्षा पास लोगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिनसे वे लगातार पढ़ते और लिखते रहें और वे साक्षरता के स्तर को बनाये रखें।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। केवल कुछ नगरों में बाल भवन खोले गये हैं। परन्तु इस दृष्टि से तीन लाख गांवों की क्या दशा है। 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा पर तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है परन्तु 11-14 वर्ष की आयु समूह पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। प्राथमिक शिक्षा की दशा तब तक शोचनीय रहेगी जब तक निरीक्षण पद्धति में सुधार नहीं किया जाता। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक निरीक्षक को प्रत्येक दो या तीन साल के पश्चात् स्कूलों में वापस

भेजा जाना चाहिए ताकि वह प्राथमिक स्कूलों के सम्पर्क में आता रहे और शिक्षकों का ठीक ढंग से मार्ग-दर्शन करे।

शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् के बारे में पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन में यह लिखा है कि उपरोक्त परिषद् के वर्कशाप ठीक से नहीं चलाये जा रहे हैं और उनमें उत्तम नेतृत्व का अभाव है इन राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं में नियुक्तियां स्थायी रूप से नहीं की जानी चाहिए और देश के सभी भागों से प्रखर बुद्धि के लोगों को उसमें अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वहां नये-नये तरीकों का अनुसंधान किया जा सके। उपरोक्त परिषद् का एक प्रतिवेदन मेरे पास है जिसमें प्रत्येक दूसरी पंक्ति में गलती है। उन्हें ठीक भी नहीं किया गया है। यह स्तर हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें वास्तव में वन्दनीय हैं और यदि उन्हें ठीक से क्रियान्वित किया गया तो शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् के अनेक दोषों का निवारण हो जायेगा और वह उपयोगी सिद्ध होगी।

अन्त में शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालय के जाल से बाहर निकलें और गांव की निरक्षरता दूर करने पर ध्यान दें। जब तक संविधान के शिक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्वों को पूर्णतः लागू नहीं किया जाता तब तक हमारी योजनाएं सफल नहीं होंगी। मुझे पूर्ण आशा है कि वह मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय एक विचित्र मंत्रालय है। इस मंत्रालय का नाम तो शिक्षा मंत्रालय है किन्तु मंत्रालय के कुल 99 करोड़ रुपये के बजट में से शिक्षा पर केवल 26 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के लिये प्रायः कोई राशि बजट में से व्यय नहीं की जाती। माध्यमिक शिक्षा के लिए 71 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये 25 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा की बुनियाद नहीं कही जा सकती है। 25 करोड़ रुपये की इस राशि में से भी अधिकांश राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर, जो उत्तर भारत में स्थित हैं, व्यय की जाती है। दक्षिण भारत में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। प्रस्तावित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा, उत्तर भारत में ही खोला जा रहा है। पहले बंगलौर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव था किन्तु अब इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि बंगलौर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए।

3200 करोड़ रुपये के कुल बजट में से केवल 26 करोड़ रुपये, अर्थात प्रतिशत से भी कम, शिक्षा पर व्यय किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 75 करोड़ रुपये संग्रहालय, पुरातत्व मानचित्र तैयार करने, गोष्ठियों तथा अन्य विविध प्रयोजनों पर किये जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इस समय स्कूल जाने वाली आयु के 13 करोड़ बच्चों में से 5 करोड़ बच्चों के लिये शिक्षा का कोई भी प्रबन्ध नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्ष बाद भी इस प्रकार की स्थिति लज्जा की बात है। निरक्षर लोगों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो हमारे देश में शिक्षा की समस्या हल नहीं हो सकती है।

मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक शिक्षा का 50 प्रतिशत व्यय, माध्यमिक शिक्षा का 33 प्रतिशत व्यय और विश्वविद्यालय शिक्षा का 20 से 25 प्रतिशत व्यय वहन करना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता है तब तक देश की शिक्षा की समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि यह समस्या धन की व्यवस्था किये बिना हल नहीं हो सकती। एक अर्थशास्त्री और शिक्षा शास्त्री होने के नाते डा० राव इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

पुरातत्व विभाग में लाखों रुपये का गोलमाल हुआ था। यह मामला विशेष पुलिस संस्थान को सौंपा गया था। विशेष पुलिस संस्थान ने पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को इस गोलमाल के लिये दोषी ठहराया और तदनुसार उनकी पेंशन और उपदान रोक दिया गया था किन्तु बाद में शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दोषमुक्त किया गया है और उन्हें उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला में फिर से नियुक्त किया गया है। प्रशासन के भूतपूर्व उपनिदेशक पर भी इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि सच्चाई का पता लगाने के लिये वे सम्पूर्ण मामले की जांच करें।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। इसका कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। गत वर्ष भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डा० सेन ने इस विभाग के कार्यकरण में सुधार करने के लिये अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। दस अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे जिनकी मंत्री महोदय ने सराहना की थी। किन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कुछ नहीं किया गया है। सुझाव देने वाले पांच अधिकारियों को तंग किया गया है और उन्हें स्थानान्तरित किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का बहुत महत्व है। जब तक मानचित्र सही ढंग से तैयार नहीं किये जायेंगे तब तक सीमाओं पर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। अतः मंत्री महोदय को इस विभाग की ओर ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में वातावरण ठीक नहीं है। इस परिषद द्वारा पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जाती है जो कि प्रायः रूसी अथवा अमरीकी पुस्तकों का अनुवाद-मात्र होता है। इससे ऐसा लगता है कि देश में प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं ही नहीं जो कि मूल रूप में पाठ्य-पुस्तकें तैयार कर सकें। इसका प्रभाव प्रतिकूल होता है। इस सम्बन्ध में डा० नाग चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। किन्तु इस समिति के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यद्यपि यह प्रतिवेदन गत वर्ष प्रस्तुत किया गया था, इसे प्रकाशित तक नहीं किया गया है। अब शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार नये मंत्री महोदय ने संभाला है। आशा है कि वह इस मंत्रालय में आशाजनक कार्य करेंगे।

प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर इस सभा में चर्चा होती है, सदस्य सैकड़ों कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और अनेक समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं किन्तु ठोस परिणाम कुछ भी नहीं निकलते ।

यदि सरकार राज्य सरकारों को शिक्षा पर होने वाले व्यय का एक बड़ा भाग दे तो जनता शेष भाग वहन करने के लिये तैयार है । यदि शिक्षा उपकर लगाया जाय तो कोई आपत्ति की बात नहीं है । जनता प्रसन्नतापूर्वक यह उपकर देगी । सरकार को प्राथमिक शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करनी चाहिए । मुझे आशा है कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : वर्तमान शिक्षा मंत्री एक योग्य तथा कर्मठ शिक्षा शास्त्री हैं और हम उनसे महान कार्य की आशा करते हैं । मैं यह जानता हूं कि बिना धन कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है । शिक्षा के सम्बन्ध में कठिनाई की बात यह है कि यह राज्य का विषय है और समवर्ती विषय है ।

शिक्षा के सम्बन्ध में सबसे मुख्य बात यह है कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति बेकार न रहे । बेकार न रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह नौकरी के पीछे भागे । इस समय दी जाने वाली शिक्षा से देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है । लोगों को औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे देश के औद्योगिक विकास में अहायता कर सकें । झारखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने वाला है किन्तु उस क्षेत्र के लोगों को वहां पर काम ही नहीं मिल पाता है । उस क्षेत्र से बाहर के लोगों को काम पर रखा जाता है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों के पास तकनीकी शिक्षा नहीं होती है ।

अब मैं भारतीय खेल-कूद परिषद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं इसकी स्थापना के समय से कई वर्ष तक इसका सदस्य रहा हूं । हाल ही में इसका पुनर्गठन किया गया है, जिसके कारण इसका कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है पहले यह विचार था कि इसमें सब संघों के प्रतिनिधि लिये जायेंगे किन्तु महाराजा पटियाला ने इस पर आपत्ति की थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के समान कोई दूसरी संस्था स्थापित की जाये । आज स्थिति यह है कि इस परिषद् को बहुत कम धन मिलता है और उसका भी उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया जाता है । मैं इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं । जब हमारी टीम जकार्ता गई थी तो मद्रास से जाते समय उनके पास धन नहीं था । यदि वे मलयेशिया में नुमाइशी मैच नहीं खेलते तो उनका खर्चा ही नहीं चल सकता था । इसी प्रकार का एक उदाहरण और है । कलकत्ता में पोलो शताब्दी मनाते समय वित्त मंत्री महोदय ने आस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों के खिलाड़ियों को आमंत्रित करने की अनुमति नहीं दी

थी, अनुमति लेने के लिये मुझे तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के पास जाना पड़ा था और उनसे तब कहीं अनुमति मिली ।

इस प्रकार के आयोजनों के लिये समय से पूर्व ही अनेक प्रबन्ध करने पड़ते हैं अतः इनके लिये अनुमति काफी समय पहले दी जानी चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अनुमति समय पर नहीं दी जाती है जिससे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

डा० श्रीमाली के मंत्री काल में मेरी अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई थी और प्रोफेसर जी० डी० सोंधी तथा जनरल थिमैया उसके सदस्य थे । डा० श्रीमाली से जब उस समिति की प्रगति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उस समिति ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है जबकि समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था । मंत्री महोदय ने तथ्य इसलिये छिपाया था कि मैंने मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय की आलोचना की थी । यदि उस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाये तो माननीय सदस्यों को पता लग जाये कि मंत्रालय किस प्रकार कार्य कर रहा है ।

यदि देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करनी है तो शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए । हमें देश में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए कार्य करना चाहिए, चाहे इस पर कितना ही धन व्यय क्यों न हो ।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : कन्नड़ में बोले ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि यदि वह चाहते हैं कि हम उनके भाषण को समझें तो वह अंग्रेजी अथवा हिन्दी में बोलें । वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह अधिकार है कि आप जिस भाषा में बोलना चाहें बोल सकते हैं । किन्तु इसके साथ-साथ आपको माननीय सदस्यों की प्रार्थना पर भी ध्यान देना चाहिए । आपकी बात अन्य सदस्य समझ लें तो अच्छा है । यह अच्छा होता यदि आप हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोलें ।

श्री जे० एच० पटेल : * उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कन्नड़ में बोल रहा हूं क्योंकि यह मेरे दल के सिद्धान्त की बात है ।

इस बजट में मंत्रालय के लिये 135 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है । यह राशि स्वीकृत किये जाने से पहले मैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले बीस वर्षों में किये कार्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । शिक्षा के माध्यम के लिये भाषा महत्वपूर्ण है । इस सभा में विज्ञान की शिक्षा, कृषि की शिक्षा आदि के बारे में चर्चा होती रही है किन्तु इस बात पर कभी

* मूल कन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।

चर्चा नहीं हुई है कि किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। गत बीस वर्षों में करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं। छात्र विदेशी भाषा के शिकार हो गये हैं और उन्होंने विषयों का अध्ययन करने के स्थान पर अपना जीवन भाषा के विवाद पर नष्ट किया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मातृ-भाषा को अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में कितना समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही दी जाये चाहे वह कोई भाषा हो। यदि हिन्दी को समूचे भारत की प्रशासन की भाषा बनाना है तो मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं सभा का ध्यान शिक्षा आयोग 1964-65 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 5 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है जो राष्ट्रीय विकास के लिये हानिकारक है। यथा शिक्षा व्यवस्था में कृषि को सर्वाधिक महत्व नहीं दिया गया। कृषि की सभी स्तरों पर उपेक्षा की गई है। कृषि में देश के मेधावी व्यक्ति रुचि नहीं लेते हैं; विश्वविद्यालयों के कृषि संकायों में बहुत कम छात्र शिक्षा पाते हैं। कृषि कालेज अन्य कालेजों की तुलना में कमजोर और अल्प-विकसित हैं; "राष्ट्र के समक्ष मुख्य कार्य है तेजी से आर्थिक विकास करना, यदि इसे सफलतापूर्वक पूरा करना है, तो शिक्षा को उत्पादिता से सम्बद्ध किया जाये।"

बुनियादी तौर पर शिक्षा का सम्बन्ध जीवन से होना चाहिए। विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद जैसी अनुसन्धान संस्थाओं पर किये जाने वाले व्यय से पूरे लाभ होने चाहिए।

आज हमें इस बात पर विचार करना है कि देश की 52 करोड़ जनता की स्थिति कैसी है। हो सकता है कि मैं चीन और रूस में विद्यमान राजनैतिक व्यवस्था से सहमत न होऊं किन्तु उन देशों में एक बात अच्छी अवश्य है कि वहां पर सबको एक समान प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा दी जाती है चाहे शिक्षा पाने वाला व्यक्ति समाज के किसी वर्ग का हो। हमारे देश में सबको एक समान शिक्षा नहीं दी जाती है। कृषि विज्ञान के मामले में हम जापान आदि एशियाई देशों की उपयोगी बातों का अनुसरण न करके अमरीका का अनुसरण करते हैं। शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में हम ब्रिटेन का अनुसरण करते हैं।

आज देश में छात्रों में असंतोष है। हम उनके असंतोष के बारे में लोक मंच पर, लोक सभा तथा अन्य स्थानों पर चर्चा करते हैं। इस असंतोष का मुख्य कारण यह है कि छात्रों का मार्गदर्शन अच्छी तरह नहीं किया जाता है और उन्हें उचित शिक्षा नहीं दी जाती है। बिना इस बात का पता लगाये कि देश में कितने डाक्टरों अथवा इंजीनियरों की आवश्यकता है, शिक्षा संस्थाओं से आवश्यकता से कहीं अधिक डाक्टर तथा इंजीनियर शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। छात्र असंतोष का मुख्य कारण शिक्षा पद्धति है।

शिक्षा देते समय हम प्राथमिकता निर्धारित नहीं करते। हममें यह निर्णय करने के विवेक की कमी होती है कि पहले क्या शिक्षा दी जाये और बाद में क्या दी जाये। शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए यह महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा के कारण शिक्षा का अपव्यय हो रहा है। शिक्षा के सम्बन्ध में प्राथमिकता निर्धारित किये जाने का एक उदाहरण मैं सभा के सामने रखता हूं। मैसूर राज्य में हासपेट में एक बांध बनाया गया है। यह ठीक है बांध बनाया गया है किन्तु सरकार ने बांध के निर्माण के लिए इस बात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि इस बांध से कितने लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी, इसके जल से कितनी भूमि में सिंचाई होगी और इससे कितने लोगों को लाभ होगा। इन महत्वपूर्ण बातों के अभाव में पानी का समान वितरण नहीं हो पाया। जिन लोगों को खेती के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा। यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी है। कुछ लोगों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है और कुछ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है उन्हें उच्च पदों पर नौकरी भी मिल जाती है। शिक्षा में असमानता के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है जो देश की उन्नति के लिये उचित नहीं है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि सही दिशा में सही शिक्षा दी जाये और यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण भारत में स्थापित किया जाना चाहिए। यह उत्तर और दक्षिण का प्रश्न नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी भागों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए।

अब मैं पुरातत्व विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैसूर राज्य में पुरातत्व विभाग के दो उप-सर्किल हैं जिनमें एक मद्रास सर्किल के प्रशासनाधीन है और दूसरा औरंगाबाद सर्किल के अधीन है। ये विभाग भिन्न-भिन्न स्थानों में होने के कारण प्राचीन स्मारकों की देखभाल नहीं हो पाती है और कुछ स्मारक तो नितान्त जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं।

सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को और जमायत-उल-मिलिया को अनुदान देने के मामले में भेदभाव बरत रही है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कम अनुदान मिलता है जब कि दोनों में समान शिक्षा पद्धति है। यह भेदभाव क्यों किया जाता है?

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में समानता नितान्त आवश्यक है। छात्रों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिये। सैनिक प्रशिक्षण के मामले में धनी और निर्धन छात्रों का प्रश्न बीच में नहीं आना चाहिए। छात्रों में अनुशासन पैदा किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कि सभी छात्रों को सही ढंग से सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये। शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा अर्थात् प्रत्येक राज्य की अपनी प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Deputy Speaker, though I have not a thorough knowledge of Kannada, I have been able to follow fifty percent of the speech of the hon. Member, I therefore, request the hon. Minister to see that there should be one common script for all the Indian languages so that these languages may come nearer to each other.

Shri G. C. Dixit (Khandva) : Education is essential for the development a democratic country because the aim of democracy is the development of individuals and the development of individuals without exchange of ideas by educated persons is not possible. It is unfortunate that even after 22 years of independence we could not bring any good change in our educational system. It is true that the number of students in Universities is increasing day by day. Several Committees and Commissions were appointed after the independence but they have not brought any good result. We are still having the old educational system in our country. Although we have attained freedom, yet mentally we are still slave. Today we cannot that students after completing their university education may be able to bring harmony among the society. Without moral education we cannot lead our country towards development. Political science, economics etc. are taught in the educational institutions but there is no arrangement for the teaching of moral education as a result of which there is indiscipline among students.

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

Our primary education is very defective. There are no arrangements in our educational system to develop our mental out look. Today our education is producing advocates and journalists but not the free thinkers. We had a very glorious educational system in ancient days. Takshshila and Nalanda are the monuments of that glory. But unfortunately the politics has penetrated in our education. Vice-Chancellors are selected on the basis of politics. Today the books of history, which are taught to students, contain incorrect facts and incorrect dates. I would like to request the Government that the political science should be made a compulsory subject inorder to create social feelings among the students so that they may become good citizens.

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : डा० कोठारी ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश का भाग्य स्कूल में हमारे बच्चों की शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करता है। संविधान में यह उपबन्ध है कि सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। परन्तु प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। राज्य सरकारें इसके लिए केन्द्र को जिम्मेदार ठहराती हैं और केन्द्र राज्य सरकारों को। श्री दिनकर देसाई ने ठीक ही कहा है कि आज करोड़ों बच्चे बिना उपयुक्त शिक्षा के गलियों में आवारागर्दी कर रहे हैं।

हमारी शिक्षा नीति ठोस होनी चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे विज्ञान तथा टेक्नोलोजी का विकास हो और जिससे इस विभिन्नता-प्रधान देश में सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये, जिससे युवकों में अनुशासन की भावना जागृत हो और उनके चरित्र का निर्माण हो। यह भी जरूरी है कि वह सभी को मान्य होनी चाहिये।

मैं यह मानता हूं कि 1947 के बाद विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है परन्तु पढ़ाई के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वह तो कुछ न कुछ गिरा ही है। कोठारी आयोग ने कहा है कि हमारी वर्तमान शिक्षा संस्थाएं संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा के तेजी से विस्तार से शिक्षा का स्तर गिर गया है और अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को मनोबल कम हो गया है। हमारे अध्यापक छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने की बजाय अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं जैसाकि बराबर चल आ रही पूर्ण हड़ताल से स्पष्ट हो जाता है। पहले ऐसी बात नहीं थी। अध्यापकों को अपने शिष्यों की भलाई की चिन्ता रहती थी और वे इसे अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब अध्यापकों ने समाज तथा राष्ट्र-विरोधी तरीका अपना लिया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय आयोग ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश की है। अध्यापकों की कमी दूर करने हेतु तथा सभी विश्वविद्यालयों के लिए योग्य अध्यापक उपलब्ध करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था। परन्तु इस सिफारिश को हाल ही में ताक पर रख दिया गया है। दक्षिण में कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। बंगलौर विश्वविद्यालय पांच वर्ष पहले स्थापित किया गया था और उसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री चागला ने कहा था कि यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के योग्य है। माननीय शिक्षा मंत्री को सारी स्थिति का पता है। उन्हें गुण-दोष के आधार पर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। बंगलौर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कई लाभ होंगे। सारे देश से छात्र वहां पढ़ने जायेंगे और इससे देश की भावनात्मक एकता सुदृढ़ होगी।

मैसूर में एक और तरह के कालेज भी हैं जो विशेष कर मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेज हैं। ये उस समय चालू किये गये थे जब ऐसी संस्थाओं की बहुत कमी थी। मैं यह मानता हूं कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। परन्तु वहां पर प्रवेश योग्यता के आधार पर नहीं अपितु पैसे के आधार पर मिलता है। वहां पर छात्रों से बहुत अधिक फीस वसूल की जाती है जो 6,000 से 20,000 रुपये तक होती है। इनमें से कुछ कालेज चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में ले ले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसे कालेजों के बारे में नीति सम्बन्धी कोई निर्णय अवश्य ही लेना चाहिये।

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजनगर): हम दस वर्ष में देश में से निरक्षरता समाप्त करना चाहते थे परन्तु इस योजना को कार्यरूप देने के लिये धन ही नहीं है। केन्द्र तथा राज्यों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है परन्तु इसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की कोशिश की थी और एक समिति नियुक्त की थी जिसने कुछ बातों की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। परन्तु उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका।

यह सिफारिश की गई थी कि शिक्षा के मामले में समानता लाई जानी चाहिये, अर्थात् एक प्रकार के स्कूल होने चाहिये और पब्लिक स्कूल समाप्त कर दिये जाने चाहिये या वर्तमान स्कूलों का स्तर पब्लिक स्कूलों के स्तर के बराबर लाया जाना चाहिये । हमने सोचा था कि इस प्रकार शिक्षा के लिये राष्ट्रीय व्यवस्था की जा सकेगी । क्या इस दिशा में कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ? शिक्षा में समानता लाने की बजाय पब्लिक स्कूलों को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है । हम चाहते थे कि एक त्रिभाषा फार्मूला होना चाहिये और किसी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिये । एक भाषा पहले पांच वर्षों में लागू की जानी चाहिये, दूसरी पांचवीं कक्षा से और तीसरी आठवीं कक्षा से लागू की जानी चाहिये । यह सर्वसम्मत सिफारिश थी । परन्तु अब अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है और प्रादेशिक भाषा और हिन्दी अनिवार्य हैं । त्रिभाषा फार्मूला यह नहीं था । यह मंत्रालय द्वारा थोपा गया है । मैं इस प्रणाली का कड़ा विरोध करता हूं । यदि इस सभा की राय ली जाये तो 90 प्रतिशत सदस्य अंग्रेजी को समाप्त करने के पक्ष में राय देंगे । परन्तु अंग्रेजी को समाप्त करने की बजाय उसे अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है । संस्कृत के बारे में यह निर्णय किया गया था कि जहां भी संभव होगा संस्कृत प्रादेशिक भाषा का एक अंग होगी । परन्तु अब हमें मालूम हो गया है कि संस्कृत की घोर उपेक्षा की गई है ।

शिक्षा तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज की शिक्षा । संविधान बनाने वालों ने यह आशा की थी कि दस वर्ष के अन्दर देश से निरक्षरता समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु 10 वर्ष की बजाय 20 वर्ष बीत गये हैं फिर भी हम यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि देश से निरक्षरता कब दूर की जा सकेगी । पहला कारण यह है कि हमारे पास धन नहीं है और दूसरा यह कि हम अपनी शिक्षा को आधुनिक बनाने की स्थिति में नहीं हैं । निःसन्देह कुछ सुधार हुआ है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये वजीफों की संख्या शतप्रतिशत बढ़ गई है । कम से कम आगामी दस वर्षों में देश से निरक्षरता दूर करने के लिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये । कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो सबको उपलब्ध की जानी चाहिये ।

प्राथमिक अध्यापकों को कुलियों से कम वेतन मिलता है । ऐसी स्थिति में उनसे क्या आशा की जा सकती है । यही कारण है कि वे प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । अब माध्यमिक शिक्षा को लीजिये । शिक्षा आयोग ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश की है और शिक्षा मंत्रालय का भी यही उद्देश्य था । परन्तु अभी तक कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है । जिन्होंने इसे लागू किया था वे भी अब पुरानी प्रणाली अपनाने जा रहे हैं । यह सब क्या है ? शिक्षा मंत्रालय को इस बारे में एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये । कुछ राज्यों में हाई स्कूल हैं और कुछ राज्यों में हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं । कुछ विश्वविद्यालयों प्रि-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम है । इन सब के कारण तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वालों को बड़ी असुविधा होती है । प्रि-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वालों को तकनीकी स्कूलों

में दाखिला नहीं मिलता है, क्योंकि परीक्षा-परिणाम समय पर प्रकाशित नहीं हो पाते हैं । इसलिये इन्हें एकरूप बनाना बहुत जरूरी है ।

जहां तक कालेज की शिक्षा का सम्बन्ध है हम अभी तक अंग्रेजों का अनुकरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के नाम में हमारे यहां अभी भी यूनानियों का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता है। अर्थ व्यवस्था, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र आदि पर भारतीय पुस्तकों की बजाय विदेशी पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत पढ़ाई जाती है। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास पढ़ाया जाता है। उन्होंने जिसे काला युग कहा है वह हमारे लिये स्वर्ण युग था। ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी से गुप्त काल तक का युग हमारे इतिहास का स्वर्ण युग था। यदि उस काल का इतिहास प्रकाशित किया जाये तो हमें बहुत से तथ्यों का पता लग सकेगा। इस स्वर्ण युग का इतिहास प्रकाशित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

संस्कृत के बारे में एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसके सभापति थे डा० सुनीति कुमार चटर्जी। उनकी रिपोर्ट आये 13 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उस आयोग के प्रतिवेदन पर यहां चर्चा होनी चाहिये ताकि उनकी सिफारिशों पर उचित कार्यवाही की जा सके। संस्कृत की बहुत उपेक्षा की जा रही है। संस्कृत शिक्षा का स्तर प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। सारे देश में संस्कृत का एक स्तर होना चाहिये। इस बारे में केन्द्र ने कार्यवाही भी की है परन्तु वह अभी फलीभूत नहीं हुई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्कृत के बारे में विचार नहीं कर रहा है क्योंकि विश्व-विद्यालय योजना में संस्कृत को सम्मिलित नहीं किया गया है। परन्तु सौभाग्य से कुछ विश्वविद्यालयों ने संस्कृत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। कुछ संस्कृत कालेज उनसे सम्बद्ध हैं। परन्तु जितना ध्यान अन्य कालेजों की ओर दिया जाता है उतना संस्कृत के कालेजों की ओर नहीं दिया जाता हालांकि ये कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं परन्तु संस्कृत का कोई आदर्श विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। कुरुक्षेत्र तथा तिरुपती विश्वविद्यालय मूलतः संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं हैं।

संस्कृत विद्यालयों को अधिक अनुदान देने चाहिये और समय पर दिये जाने चाहिये क्योंकि इस समय जो अनुदान दिये जा रहे हैं वे कम हैं और समय पर भी नहीं दिये जाते हैं।

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : The Education Ministry attaches due importance to the teaching of Sanskrit and has been taking steps in that direction. No doubt, it has not been given any place in the three-language formula because as hon. Members know that inspite of our best efforts, the great leaders of our country decided to include only the modern Indian languages as a third language. Therefore we are trying to promote it despite its exclusion from the three-

language formula. For the promotion of Sanskrit about Rs. 35 lakhs have been spent during 1968-69 and for 1969-70 a provision of about Rs. 40 lakhs has been made.

The Education Ministry had given grants for the publication of Apte's Dictionary. I shall enquire about it. If this dictionary is really not available, steps will be taken to make it available.

Gurukul system is being encouraged. In the beginning only 11 institutions were given the status of gurukuls but now their number has gone up to 22 and during the last financial year grants amounting to Rs. 5,41,240 were given to these institutions.

The report of the Sanskrit Commission was discussed here and as a private Member I had also taken part in that. The cabinet has also considered that report. Whatever we can do within the limits, we shall do. All other suggestions offered by the Hon. Members will be given due consideration.

So far as sports are concerned, the House is well aware of our difficulties ; We cannot take any decision unless the Finance Ministry co-operates with us. Inspite of this we have been trying to give all encouragement to games and sports.

Hon. Member, Sarva Shri Jaipal Singh and Barrow have referred to the Australian Team's projected visit to India. The difficulty in this regard is that our federations sometimes conclude negotiations with foreign sports federations without consulting us and they inform us later on. This is not proper. We have requested them to first consult us and then carry on negotiations with foreign federations.

The probe committee referred to by Shri Jaipal Singh was appointed after our failure in the Rome Olympics. Another committee under the chairmanship of Shri Sarin is probing into our sorry performance at the Mexico Olympics. I request the Hon. Member to send his suggestions to this committee or to me. Whatever is practicable, we shall certainly try to do.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The All-India Council of Sports have decided to curtail the tests at Kanpur and Delhi between the Australian and the Indian teams on account of the difficulty of foreign exchange. We can get enough gate money at Kanpur and Delhi. I want that the muster should answer why Kanpur and Delhi have been omitted from their itinerary.

Shri Bhakt Darshan : As regards the visit of the Australian cricket team, we have not yet received the recommendation of the All-India Council of Sports. But our information is that a large amount of foreign exchange is going to be spent on it and therefore, the question of curtailing some of the tests is under consideration. However we shall consider the suggestion given by the Hon. Member.

Shri Dinkar Desai has said something about the Survey of India. It is a very old and important institution of the country which has completed 200 years. I may assure Hon. Members that all possible efforts will be made to raise the standard of its working so that it can serve the country better.

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : इस समय देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति ऐसी है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। जब तक प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी नहीं बनाया जायेगा, राष्ट्रीय एकता या समाजवाद की बात करना बेकार है। प्राथमिक शिक्षा का बच्चों के चरित्र निर्माण में बड़ा योगदान होता है। यदि प्राथमिक स्कूल भिन्न-भिन्न प्रकार तथा विभिन्न स्तर के होंगे तो समाजवाद कभी भी नहीं आ सकता। यदि माननीय मंत्री सच्चे दिल से समाजवाद के समर्थक हैं, तो इन्हें यह स्वीकार करना होगा कि प्रारम्भ से ही बच्चों में बराबरी की भावना होनी चाहिये।

शिक्षा मंत्री ने एक आम सभा में यह कहा बताते हैं कि वे गरीब छात्रों को पब्लिक स्कूलों में जाने के लिये छात्रवृतियां देंगे। यदि वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि वे ऐसा न करें क्योंकि ऐसा करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

मेरा भी यही विचार है कि हमारे देश में पब्लिक स्कूल बन्द किये जाने जाने चाहिये। मैं उनका पूरी तरह से विरोध करती हूं। उनमें भेदभाव और ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा मिलता है। अतः शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह उन्हें समाप्त करने की बात सोचें। नारियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय को उस ओर भी विचार करना चाहिये।

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : अब तक तो शिक्षा मंत्रालय हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर ही विचार किया करता था परन्तु अब हमने यह अनुभव किया है कि विद्यार्थियों को अपने शिक्षा काल के आरम्भ से ही समाज में योगदान देना होता है। सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता से हमें लगातार नेता मिल सकते हैं। मैं समझती हूं कि हमने पहली बार ही विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया है। इन बातों को देखते हुये युवक सेवा की व्यवस्था से विद्यार्थियों की समस्यायें हल करने में हमें एक वास्तविक अंशदान मिल सकता है। इसके साथ ही साथ हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि इस नई योजना से हम नौकरशाही के शिकार न बन जायें। इससे बचने के लिए हमें कुछ सुझावों पर विचार करना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और अध्यापकों में सामाजिक जागृति लाना है। अतः इसके लिये छात्र सामाजिक आन्दोलन चलाया जाना चाहिए। युवक सेवा का तात्पर्य विद्यार्थियों की विभिन्न कार्यवाहियों को संगठित करना है परन्तु इस योजना में भाग लेना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। युवक सेवा अनिवार्य सेवा नहीं है। इस सेवा को अनिवार्य करने से संगठनात्मक साधन नहीं मिल सकेंगे।

मेरा दूसरा सुझाव कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में है। इसमें राष्ट्रीय छात्रसेना दल अथवा ऐसी योजनाओं को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। अतः प्रत्येक कार्यक्रम का विकास अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिये। युवक सेवा योजना संगठकों तथा समुदाय नेताओं के कार्य के बीच पूरा समन्वय स्थापित होना चाहिए।

मैं एक सुझाव संगठन तथा प्रशासन के बारे में भी देना चाहती हूं। कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक क्रियान्विति तथा विकास के लिए समुदाय के सहयोग से विद्यार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाना अत्यावश्यक है। कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों की सहायता से समाज सेवा परिषदें बनानी चाहियें। इन परिषदों में तीन-चौथाई प्रतिनिधि विद्यार्थियों में से तथा एक-तिहाई अध्यापकों, समाज सेविकों आदि में से लिये जाने चाहियें। किसी भी कारण राजनीतिज्ञों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं वित्तीय पहलू के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य को कुछ निश्चित धन दिया जाना चाहिये। तथा राज्य को अपने साधनों से विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने चाहिये। राज्य स्तर पर एक छोटी-सी समिति भी बनाई जानी चाहिये जिसमें शिक्षा मंत्री, कुछ महत्वपूर्ण स्वयं सेवी विद्यार्थी संघ के नेता तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हों। यह विकास स्वायत्तशासी होना चाहिये तथा उसे सभी निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये।

इस योजना का प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा विद्यार्थियों के हित को देखने के लिए कोई एजेंसी होनी चाहिये।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : माननीय सदस्य श्री रा० की० अमीन ने विश्वविद्यालयों के ढांचे के बारे में प्रश्न उठाया था। वह विशेषकर केरल विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में बोले थे। जहां तक उस विधेयक का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ही उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुका है परन्तु केरल सरकार ने उन सुझावों को स्वीकार करना उचित नहीं समझा। अतः हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तत्सम्बन्धी कानून बनाने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि हमारे कहने का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों की राय का उन पर प्रभाव पड़ सकता है।

कुछ प्रश्न पाठ्य-पुस्तकों की समस्याओं के बारे में भी उठाये गए थे। एक सदस्य ने यह कहा था कि सरकार पाठ्य-पुस्तकों का अब भी आयात क्यों कर रही है तथा इसके साथ ही साथ भारतीय लेखकों की पाठ्य-पुस्तकों के लिए राजसहायता दे रही है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इन दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं है। राजसहायता इसलिये दी जा रही है क्योंकि हमें भारतीय लेखकों से समय पर पर्याप्त संख्या में पाठ्य-पुस्तकें नहीं मिल पातीं। अतः राजसहायता देकर हमें कम दामों पर विदेशी पुस्तकें मिल सकती हैं। चूंकि हम अनिश्चित काल तक आयातित पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहना चाहते इसलिए हम देश की प्रतिभा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं ताकि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें अधिक मात्रा में बिक सकें। इसीलिए हम उन्हें राजसहायता देने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है उसके बारे में सरकार ने कुछ समय पहले ही वह नीति जारी कर दी थी जो उसने राज्यों के लोगों तथा संसद् सदस्यों के साथ बातचीत करके बनाई थी तथा जिसमें यह स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। प्रादेशिक भाषा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पहले ही शिक्षा का माध्यम बन चुकी है। सरकार ने इसके लिये व्यवस्था भी कर दी है। सरकार ने प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें लिखने के लिये प्रत्येक राज्य सरकार को एक करोड़ रुपया देने का कार्यक्रम बनाया है। मैं सभा को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि अनेक विश्व-विद्यालयों ने यह काम करना आरम्भ कर दिया है तथा बहुत से विश्वविद्यालयों ने मुझे बताया है कि वे अपनी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। हम अपने मंत्रालय में एक विशेष-कार्य अधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं जो पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने के लिये विभिन्न प्रादेशिक बोर्डों के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा।

कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी को नहीं रहने दिया जाना चाहिये, इसे समाप्त किया जाना चाहिये। इस बारे में मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि शिक्षाविद तथा शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं यह महसूस करता हूं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को बनाने से अंग्रेजी को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही अंग्रेजी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा करने से अंग्रेजी की पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वह विद्यार्थियों को कैसे प्राप्त हो सकेगा। ऐसा किये जाने पर शिक्षा का स्तर और भी गिर जायेगा। हम शिक्षा का माध्यम तो बदलना चाहते हैं परन्तु साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर न गिरे। अतः मैं समझता हूं कि आज जो लड़के और लड़कियां अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे तीस चालीस वर्षों में अपनी भाषा में पुस्तकें लिख सकेंगे। अतः तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चहिए। अंग्रेजी तो अब अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। अतः इसे छोड़ना बुद्धिमता नहीं है। एक बार मैंने डा० लोहिया को भी कहा था कि "अंग्रेजी हटाना तो ठीक नहीं है, हां, अंग्रेजी माध्यम जरूर जाना चाहिये।" अतः मैंने शिक्षा के माध्यम के बारे में सारी चीज स्पष्ट कर दी है।

जहां तक त्रि-भाषा सूत्र का सम्बन्ध है तमिलनाडू के सिवाय, जहां सरकारी तौर पर दो भाषायें हैं, त्रि-भाषा सूत्र कार्यान्वित किया जा रहा है।

जहां तक संस्कृत भाषा का सम्बन्ध है मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण भाषा है। यह भाषा केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह एक सम्पर्क भाषा भी है। संस्कृत एक अखिल भारतीय भाषा है तथा यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। अतः हमें इसके विकास के लिये प्रयास करना चाहिये। इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र की एक भाषा नहीं बनाया जाना चाहिये अन्यथा हम उस सूत्र को कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे।

ग्रामीण संस्थाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया था। इस बारे में लोगों को कुछ

भ्रान्ति है । केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों ने भी रोजगार देने के प्रयोजन से कुछ ग्राम्य सेवा डिपलोमाओं को मान्यता प्रदान कर दी है । परन्तु मैं यह नहीं कहता कि ग्राम्य संस्थाओं में हर एक चीज बिल्कुल ठीक है । एक समिति इस बारे में विचार कर रही है तथा उसका प्रतिवेदन आने पर हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे ।

प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था । प्राथमिक शिक्षा राज्यों का विषय है । श्री देसाई ने यह विचार व्यक्त किया है कि केन्द्र को शिक्षा का वित्तीय उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये । अतः मेरा निवेदन है कि सभा को इस पर विचार करना चाहिये । हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में वाद-विवाद करने वाले हैं मैंने समाचार पत्रों में भी यह पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु केन्द्र को साधन जुटाने चाहिये। हमें इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । यदि हम ऐसा करने लग जायेंगे तो केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध क्या रहेगा। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध पहले खराब हो रहे हैं इसलिये यदि यह अधिकार केन्द्र को दे दिया गया तो पता नहीं वह राज्यों को कहां तक स्वीकार्य होगा ।

मुझे बहुत खेद है कि मैं इस बात से अनभिज्ञ था कि कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क नहीं है । मुझे यह भी पता लगा है कि 30 से 40 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा ले भी नहीं पाते परन्तु मुझे इस बात का आश्चर्य है कि उस बारे में कोई उल्लेख नहीं करते । मैंने इस बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की थी । वह मेरे विचारों से सहमत हो गये परन्तु उन्होंने कहा कि क्या इसके लिये केन्द्र की ओर से कोई अनुदान दिया जायेगा । परन्तु जैसे ही अनुदान का प्रश्न आता है, मुझे केन्द्र और राज्यों के बीच के सम्बन्धों की याद आ जाती है । अतः मैं इस सम्बन्ध में वित्त आयोग को अपने विचार व्यक्त करूंगा और तब इस समस्या का समाधान हो जाने की आशा हो जायेगी ।

मैं राष्ट्रीय दक्षता दल के बारे में अधिक न कहता हुआ केवल यही कहना चाहता हूं कि मैं भी यही चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान हो जाये ।

मैं अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ का प्रधान रहा हूं तथा मैंने विश्वविद्यालय अध्यापक सम्मेलनों तथा माध्यमिक स्कूल अध्यापक सम्मेलनों का उद्घाटन किया था । वहां मैंने कई ऐसी बातें कहीं हैं जो शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जाती हैं परन्तु तब मेरे पर इन्हें लागू करने की जिम्मेवारी नहीं थी । परन्तु शिक्षा मंत्री होने पर धन के पर्याप्त न होने का भी ध्यान रखना होता है । तथापि इन मामलों में कुछ किया जाना चाहिए ।

कुछ सदस्यों ने एक मामला उठाया है जिसे मैं पहले समझ नहीं सका था । परन्तु बाद में इस सम्बन्ध में टेलीफोन पर पटना से जानकारी प्राप्त करने पर मुझे पता चला कि अध्यापकों को जेल में 'सी' श्रेणी में नहीं रखा गया है । इस बारे में जानकारी ठीक नहीं थी । उन्हें दूसरे

वर्ग में रखा गया है । यह विषय है कि अभियोगाधीन व्यक्तियों को इससे ऊपर के वर्ग में नहीं रखा जा सकता बिहार के शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि जब भी अध्यापकों को गिरफ्तार किया जाये, तो उन्हें उचित वर्ग में रखा जाये अर्थात् 'ए' श्रेणी दी जावे। सरकारी विनियमों के अन्तर्गत किसी कैदी को अच्छे से अच्छी यही श्रेणी दी जा सकती है । जहां तक बिहार के कालेजों के अध्यापकों की हड़ताल का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में समूची जिम्मेवारी राज्य सरकार की है केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेवारी नहीं है।

मुझे प्रसन्नता है कि बहुत से सदस्यों ने शिक्षा के लिये अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है । मेरे पूर्ववर्ती ने इसके लिये काफी प्रयत्न किये हैं और मैं भी अधिक धन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करूंगा। परन्तु यदि माननीय सदस्य वास्तव में इसके इच्छुक हैं तो उन्हें केवल संसद् में भाषण ही नहीं देने चाहिये मैं आशा करता हूं कि सदस्य सदन में शिक्षा के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे ।

काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध में हमें कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में कई समस्यायें हैं। यदि कोई सदस्य काशी विद्यापीठ की स्थिति जानना चाहते हैं तो मैं मंत्रालय द्वारा तैयार की गई सूचना उन्हें भेजने के लिए तैयार हूं ।

कुछ सदस्यों ने पब्लिक स्कूलों के बारे में बलपूर्वक अपने विचार व्यक्त किये हैं और उन्होंने साझे स्कूलों का पक्ष लिया है । इसमें सन्देह नहीं कि हमें साझे स्कूलों में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए । परन्तु उनकी संख्या इतनी अधिक है कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से उनमें सुधार करना बहुत कठिन है । पब्लिक स्कूल बहुत थोड़े हैं। अतः हमें उन्हें समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिये। पब्लिक स्कूलों में अल्पसंख्यकों के स्कूल भी शामिल हैं जिनमें हम संविधान के उपबन्धों के अनुसार हस्तक्षेप नहीं कर सकते । अतः देश में कुछ अच्छे स्कूलों को समाप्त करने की बजाय हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों में 5, 10 अथवा 15 प्रतिशत तक निर्धन लोगों को प्रवेश मिले । सरकार ने सनावर तथा लवडेल में पब्लिक स्कूल स्थापित किये हैं हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन स्कूलों में योग्यता के आधार पर दाखिला मिले।

श्री जयपाल सिंह तथा कुछ अन्य सदस्यों ने ऐसी शिक्षा का उल्लेख किया जिसका सम्बंध नौकरियां प्राप्त करने से हो । इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा प्रणाणी में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है । हम इस बात के प्रयत्न करते रहे हैं कि शिक्षा प्रणाणी में किसी प्रकार की अस्थिरता लाये बिना तथा राष्ट्रीय पैमाने पर शिक्षा में लगातार प्रयोग करते जाने बिना शिक्षा को किस प्रकार पुनर्गठित किया जा सकता है ।

सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप हम दिल्ली में एक ऐसा कालेज खोलने जा रहे हैं जो नौकरी दिलाने की शिक्षा देने में सहायक होगा। उसमें स्नातक की

उपाधि दी जायेगी क्योंकि आजकल उपाधि के बिना कुछ नहीं होता है परन्तु हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे उन्हें नौकरियां मिल सकें। आशा है कि विश्वविद्यालय हमारे प्रस्ताव से सहमत हो जायेगा।

श्री जे० एच० पटेल, श्री इमाम तथा कुछ अन्य सदस्यों ने बंगलौर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हमें योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें प्राप्त करनी होंगी और उसके बाद यह मामला मंत्रिमण्डल तथा संसद् के समक्ष रखना होगा। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना केवल संसद् द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ही हो सकती है। शिक्षा मंत्री केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते।

मिथिला विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दरभंगा के रहने वालों ने पेशकश की है कि वे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये अपनी सम्पत्ति देने के लिये तैयार हैं। इस समय दरभंगा में एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार है कि संस्कृत विश्वविद्यालय को मिथिला विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए और इसका एक विभाग संस्कृत के लिए तथा दूसरा विभाग अन्य विषयों के लिये होना चाहिए।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के बारे में पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन अगस्त, 1968 में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्य के स्वरूप तथा क्षेत्र, राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के विभागों के पुनगर्ठन, पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति, शिक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक कालेज तथा शिक्षा के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्राथमिकता के बारे में मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। सरकार द्वारा स्वीकार की गई पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों के अनुसार 1969-70 के लिए योजना में निर्धारित 142.60 लाख रुपये की राशि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों पर व्यय की जायेगी।

युवक कल्याण के बारे में मैं सभा को यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि इस सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव क्या है। मैंने सभा में पिछली बार भी बताया था कि युवक कल्याण के बारे में मैं विभिन्न व्यक्तियों से बातचीत करूंगा। मैं इस सम्बन्ध में एक पत्र तैयार कर रहा हूं जिसे सभा के सभी सदस्यों को भेज दिया जायेगा।

शिक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने कहा है कि हमने संकल्प पारित किये और कई वक्तव्य दिए परन्तु संसद ने जो कुछ कहा, उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में हमें यह मानना चाहिए कि शिक्षा राज्यों का विषय है तथा हमारे पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि राज्यों को शिक्षा के ढांचे के बारे में बतायें। हम इस विषय पर केवल अपने विचार

ही व्यक्त कर सकते हैं और उनका केवल नैतिक परिणाम होगा । मैं सभा को आश्वासन दिलता हूं कि मैं राज्य सरकारों को प्रतिवेदन में दी गई दिशा में चलाने का प्रयत्न करूंगा ।

जहां तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का सम्बन्ध है, मैंने सभी प्रयोगशालाओं को कहा है कि उन्होंने गत 20 वर्ष में जो कार्य किया है, उसके बारे में मुझे अवगत करायें । मुझे इस सम्बन्ध में बहुत सामग्री प्राप्त हो रही है और यथासमय मैं सभा में एक पुस्तक प्रस्तुत करूंगा जिसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया हो कि देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का योगदान क्या है । उसमें यह भी बताया जायेगा कि देश की उत्पादिकता तथा आर्थिक विकास में उसका क्या योगदान है ।

यह प्रश्न उठाया गया है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं सम्बन्धित लोगों का ठीक मार्ग दर्शन नहीं करती हैं । हमें केन्द्र में कोई ऐसा संगठन अथवा अनुभाग स्थापित करना चाहिए जो प्रयोगशालाओं को बता सके कि उन्हें किन दिशाओं में कार्य करना है । मुझे आशा है । कि इस तरह साथी वैज्ञानिकों तथा अन्य व्यक्तियों की सहायता से मैं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को केवल वैज्ञानिक अनुसन्धान करने की बजाय उत्पादिकता में अंशदान देने की ओर लगा सकूंगा ।

यह बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में सम्पर्क हो क्योंकि इससे मूलभूत अनुसन्धान का सम्बन्ध है । कुछ सम्पर्क तो पहले ही है परन्तु मैं और अधिक सम्पर्क चाहता हूं तथा न केवल निदेशक के स्तर पर बल्कि कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के स्तर पर भी सम्पर्क चाहता हूं ।

उप-कुलपतियों के साथ होने वाली बैठक में भी मैं यह समस्या रखूंगा ।

मैं इस बात का बहुत इच्छुक हूं कि प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले युवक वैज्ञानिकों से प्रोत्साहन हो, मैं यह तो नहीं कह सकता कि वे जितने वेतन चाहते हैं, दिये जायें । दुर्भाग्य से ऐसा करना मेरे हाथ में नहीं है । परन्तु मैं इस बात का भरसक प्रयत्न करूंगा कि कार्य के संबंध में उन्हें अधिक संतुष्टि मिले तथा सुयोजित गतिविधियों की अधिक गुंजाइश हो । जहां तक वैज्ञानिकों का सम्बन्ध है, मैं वचन देता हूं कि प्रयोगशालाओं में युवक वैज्ञानिकों को मिलूंगा और उनकी कठिनाइयां जानने का प्रयत्न करूंगा । हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसन्धान परिषद देश की सेवा कर सके और देश को अनुसन्धान तथा उत्पादिकता के रूप में उससे लाभ हो सके ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की वर्ष 1969-70 सम्बन्धी निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
6.	शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य	1,03,67,000
7.	शिक्षा	50,21,94,000
8.	पुरातत्व	1,34,65,000
9.	भारतीय सर्वेक्षण	4,76,24,000
10.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	16,23,77,000
11.	शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य का अन्य राजस्व व्यय	3,35,82,000
104.	शिक्षा और युवक सेवा कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,05,46,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 18 अप्रैल, 1969/28 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 18th April, 1969/Chaitra 28, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 27-7-69—600.